खण्ड-185, अंक-1
गुरूवार, 10 श्रावण, शक संवत् 1879
(1 अगस्त, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 185 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य—केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता (स्वीकृत)	३१
अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य और ८१—राजस्व से लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा (स्वीकृत) ..	३१
अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—कृषि आय कर की उगाही पर व्यय (स्वीकृत)	३२
अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि (स्वीकृत)	३२
अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा (जारी)	३२—३५
कांग्रेस पक्ष तथा विरोधी पक्ष को आय-व्ययक पर विचार में समान समय देने पर आपत्ति	३५—३७
भाषणों के लिये समय निर्धारण	३७
१९५७—५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पंजी लेखा (स्वीकृत)	३७—७५
श्री उपाध्यक्ष द्वारा अपने निवास स्थान की सज्जा के व्यय में कटौती की घोषणा	७५
नत्थियां	७६—८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (२९९)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श , श्री शेख
अशफाक अली खां, श्री
असगर अली खां, कुवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडय, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमल कुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छन्नन गुरू
कल्याणराय, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कोतवाल सिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री

चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह विष्ट, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जागेश्वर, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
निरंजनसिंह, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री

मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलाल, श्री
रामवचनयादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंहचौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री

वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईदअहमद अन्सारी, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सिया दुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—श्री परमात्मानन्द सिंह, माल उपमंत्री, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १ अगस्त, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[५ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

विधायकों, मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा सभासचिवों के आवास की व्यवस्था

**२—श्री रामसूरत प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस राज्य के मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों, उपमन्त्रियों एवं सभासचिवों के आवास के लिये कुल कितने मकानों की व्यवस्था की गई है और उनमें से कितनों को मकान दिये जा चुके हैं जो उनमें निवास कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)---मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उपमंत्रियों एवं सभा सचिवों के लिए २१ मकानों की व्यवस्था की गई है। इनमें से २० मकान उन लोगों को दिये जा चुके हैं।

****३---श्री रामसूरत प्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायकों की संख्या के अनुसार उनके लिये कुल कितने आवास-गृहों की व्यवस्था की गई है और कितने को आवास-गृह प्राप्त हो चुके हैं ?

श्री धर्मसिंह---विधायकों के लिये ८३ छोटे और २२० बड़े कमरों की व्यवस्था की गई है और इनमें इस समय ४२९ विधायक रह रहे हैं। इनके अलावा २० विधायक पुराने रायल होटल में निर्मित आवास-गृहों में रह रहे हैं।

श्री रामसूरत प्रसाद---क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि आज भी विधायक निवास नं० २ में एक राज्य मंत्री, दो उपमंत्री और ५ सभा सचिव रह रहे हैं ? उनको कोई मकान क्यों नहीं दिया गया ?

श्री धर्मसिंह---यह ठीक बात है कि आज भी एक राज्य मंत्री वहां रह रहे हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया और लोग भी रह रहे हैं। जहां तक राज्य मंत्री का सम्बन्ध है उनको एलाटमेंट कर दिया गया है। उपमंत्रियों और सभा सचिवों का जहां तक सम्बन्ध है, उनके लिये भी व्यवस्था की जा रही है और जहां तक सम्भव हो सकेगा, उनको भी मकान जल्द से जल्द एलाट किये जायेंगे।

श्री रामसूरत प्रसाद---क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है इसी प्रकार राज्य मंत्री के लिये एलाटमेंट होते रहे और एलाटमेंट के आर्डर फिर कैंसिल होते रहे ?

श्री धर्मसिंह---यह ठीक बात है कि एलाटमेंट होते रहे हैं। सरकार की इस बात की कोशिश रही कि उनको मकान दिया जाय लेकिन विशेष परिस्थितियां पैदा होती गयीं और अन्त में वह कैंसिल होते गये। अब इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उनको मकान दिया जाय और उनको एलाटमेंट आदि भी भेज दिया गया है।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि विधायक निवास में ऐसे कितने लोग हैं जो वहां रह रहे हैं और एम० एल० ए० नहीं हैं ?

श्री धर्मसिंह---इस तरह के तीन व्यक्ति हैं।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि विधान सभा के प्रत्येक सदस्य के लिये अलग-अलग कमरा हो ?

श्री धर्मसिंह---इस बात की कोशिश की गयी है लेकिन उसमें बहुत खर्चा आता है। हमने जैसे विधायक निवास नं० १ और नं० २ बनाये हैं, अगर ऐसा किया तो इस तरह के और बनाने पड़ेंगे जिसमें बहुत खर्चा आयेगा। इसलिये सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती।

श्री प्रताप सिंह---क्या यह सही है कि जो क्वार्टर्स डिप्टी मिनिस्टर्स के लिये बने हैं, अभी तक खाली हैं और बहुत से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज विधायक निवास में रह रहे हैं ?

श्री धर्मसिंह---इस वक्त कोई खाली नहीं है। सबके सब भरे हुए हैं।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो डबल सीटेड कमरे हैं उनमें एक ही सज्जन रह रहे हैं और उनका किराया भी सरकार को नहीं मिल रहा है ?

श्री धर्मसिंह--यह ठीक बात है कि बहुत से सदस्य इस प्रकार से रह रहे हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि उनसे किराया लिया जाय।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुराने विधायक निवास में जो दो सज्जन ऐसे रह रहे हैं कि जो अब एम० एल० ए० नहीं हैं और वहां अनअथाराइज्ड तरीके से रहे हैं, उनसे कमरे खाली कराने का क्या प्रबन्ध वह कर रहे हैं क्योंकि ४ मास बीत चुके हैं ?

श्री धर्मसिंह--सरकार ने उनको नोटिस भी भेजे हैं, उनसे प्रार्थना भी की गई है, उनको बुलाकर भी कहा गया है और अगर उन्होंने फिर भी कमरे नहीं छोड़े तो सख्त से सख्त कदम अन्त में उठायें जायंगे।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या माननीय मंत्री जी महिला सदस्याओं के लिये इस बात का एगजेम्पशन करने की कृपा करेंगे कि जो महिलायें सिंगिल सीटेड कमरे में रहती हैं उनको वहीं रहने दिया जाय और उनको सिंगिल सीटेड कमरे ही दिये जायं ?

श्री धर्मसिंह--सरकार ने एलाटमेंट में इस बात की कोशिश की है कि महिलाओं को सिंगिल सीटेड कमरे दिये जायं।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन विशेष परिस्थितियों में राज्यमंत्रियों के मकानों के एलाटमेंट कैन्सिल हुये और वे क्या विशेष परिस्थितियां थीं कि जिनमें ऐसा हुआ ?

श्री धर्मसिंह--शुरूआत में इस तरह से हुआ कि श्री हरगोविन्द सिंह जी का मकान खाली हुआ, उसमें श्री मंगला प्रसाद जी जाना चाहते थे और जो मंगला प्रसाद जी का मकान था उसका एलाटमेंट डा० सीताराम जी के लिये हुआ, जब तक यह बात तय हुई तब तक श्री चरण सिंह जी ने उस मकान में जाना चाहा जिसमें श्री हरगोविन्द सिंह जी रहते थे। इसलिये वह चीज भी कार्यरूप में परिणत नहीं हो सकी और उसके बाद अब जब गौतम जी मिनिस्टर हो गये तो उन्होंने चाहा कि वह श्री हरगोविन्द सिंह जी के मकान में चले जायं और वह भी परिणत नहीं हो सकी। इन परिस्थितियों में यह एलाटमेंट होते रहे और कैंसिल होते रहे।

जिला ऐण्टी-करप्शन कमेटियों के अधिकार बढ़ाने के लिए सुझाव

****४--श्री चन्द्रहास मिश्र** (जिला हरदोई)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि वह जिले में ऐण्टीकरप्शन कमेटी के चेयरमैनों को नान-आफिशियल एजेन्सी द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच कराने का अधिकार देने की योजना बना रही है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री चन्द्रहास मिश्र--क्या सरकार कोई ऐसी योजना निकट भविष्य में बनायेगी कि जिससे हमारी यह कमेटियां अधिक जागरूक और सक्रिय बन सकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, इस सम्बन्ध में हम बराबर विचार करते रहते हैं और कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो उनको मानने को हम तैयार रहते हैं।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार को मालूम है कि इन भ्रष्टाचार निरोध कमेटियों के सामने जो शिकायतें आती हैं उनकी जांच अकसर उन्हीं पुलिस के आदमियों के पास पहुंचती है जिनकी वह शिकायतें होती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह कोई तीन चार वर्ष पहले की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, अब तो उस प्रथा को बदले हुये कई साल हो गये।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि यह जो कम्पलेंट आफिसर रखे गये हैं उनसे एण्टी-करप्शन कमेटियों को जांच कराने का अधिकार है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एण्टी-करप्शन कमेटी के पास जो शिकायतें आती हैं वे सरकारी अधिकारियों के पास भेज दी जाती हैं, वे या तो विभाग के अफसरों द्वारा जांच कराते हैं या कम्पलेंट अफसरों के द्वारा।

श्री मदन पांडेय---क्या सरकार इसका विचार कर रही है कि एण्टी-करप्शन कमेटी अगर चाहे तो वह उन शिकायतों की इनक्वायरी कम्पलेंट आफिसर से करा सके ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं उनके अनुभव के संबंध में तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मुझे ख्याल है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। हमारे यहां जो प्रोसिजर है वह यह है कि एण्टी-करप्शन कमेटी शिकायत को पहले डी० एम० के पास भेज दे और वह उस कोबाद में कम्पलेंट आफिसर के पास भेज दें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस विभाग की शिकायत है उस विभाग के हेड की अनुमति के बिना क्या सरकार सोच रही है कि एण्टी-करप्शन के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस को जांच का अधिकार दिया जाय ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

श्री रामकृष्ण सारस्वत---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन भ्रष्टाचार समितियों का निर्माण पहले हुआ था उनमें एम० एल० ए० होते थे; नये चुनाव हो जाने के बाद उन समितियों का पुनर्गठन अभी तक नहीं हुआ; वह कब तक हो जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरे ख्याल से तो सभी जगह हो गया। शायद कोई एक आध जिला हो जहां न हुआ हो। अगर माननीय सदस्य को कोई सूचना हो तो फिर मैं बता सकता हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि एण्टी-करप्शन कमेटी के किसी माननीय सदस्य की शिकायत पर बिना किसी जांच के कोई कार्यवाही हो सकेगी या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बिना जांच के तो कार्यवाही कभी नहीं हो सकती और न होनी चाहिये।

चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी पर व्यय तथा प्रतिमास उत्पादन

**५---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)---क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी में अब तक कितनी लागत लग चुकी है, गत वर्ष के recurring expenses कितने थे और अब तक उसका प्रति माह उत्पादन कितना हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--चुर्क सीमेंट फैक्ट्री पर अब तक ४६७.६६ लाख या ४६८ लाख रु० खर्च हुआ है। गत वर्ष में १,६६,३१,२०० रु० का आवर्त्तक (recurring) खर्चा हुआ। फैक्ट्री का प्रति माह उत्पादन संलग्न सूची में है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६ पर)

**६--श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या उद्योग मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिस विदेशी फर्म से इस फैक्ट्री के लगाने का ठेका हुआ था उसकी शर्तें क्या थीं और उनकी पूर्ति कहां तक हुई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--चुर्क फैक्ट्री को लगाने का ठेका किसी को नहीं दिया गया था।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी के कटाव से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घाघरा नदी के कटाव के कारण आजमगढ़ जिले के मूसाडोही देवारा बरोहा, मोलनापुर, देवारा दुबारी और धर्मपुर गांवों के सैकड़ों परिवारों के हजारों व्यक्ति आश्रयहीन एवं रोजीविहीन हैं ?

माल उपमंत्री (श्री परमात्मानन्द सिंह)--घाघरा नदी के कटाव के कारण इन गांवों के कुछ खेत और झोपड़ियां हर वर्ष कट जाती हैं, मगर वहां के लोग कटाव की हालत देखते हुये अपनी झोपड़ियों को हटा और बढ़ा लेते हैं इसलिये इनमें से कोई भी आश्रयहीन नहीं रह जाता। इसी प्रकार से भूमि अगर एक ओर से कटती है तो दूसरी ओर निकलती है और किसी के रोजीविहीन होने का प्रश्न पैदा नहीं होता। आजकल कोई भी व्यक्ति आश्रयहीन व रोजीविहीन नहीं है।

*२--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से गृह निर्माण के लिये धन तथा रोजी चलाने के लिये प्रत्येक परिवार को कितनी-कितनी जमीन दी गई है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--सरकार की ओर से गृह निर्माण के लिये कोई धन नहीं दिया गया। हां, इन लोगों को ऐसी जगह बसाने के लिये जहां उनके मकान नदी से न कटें कुछ भूमि प्राप्त (acquire) की जा रही है। केवल ग्राम समाज भूसाडोही ने १०८ एकड़ १२७ कड़ी ७२ परिवारों को और ग्राम समाज मोलनापुर ने ५२ एकड़ ७३० कड़ी ११४ परिवारों को बिला मुआवजा भूमि दी है। इसके अतिरिक्त इन लोगों की मदद के लिये सरकारी बांध तैयार कराया जा रहा है जिसमें भूमिहीन लोग काम कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माल मंत्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों का खेत नदी में कट जाता है और उस खेत में नदी का पानी और बालू रहती है उस वक्त वह रोजी विहीन कैसे नहीं रहते?

श्री परमात्मानन्द सिंह--कुछ ऐसी जगहें हैं जहां बालू हो जाती है। अगर नीचे मिट्टी रहती है तो वहां लोग खरबूजा, तरबूज, करेली वगैरह बो लिया करते हैं। प्रायः ऐसा अनुभव है कि नदी के किनारे के रहने वाले लोग नदी का किनारा छोड़कर हटना पसन्द नहीं करते। मुझे मेरे गांव का अपना अनुभव है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि मूसाडोही के ७२ परिवारों को जो जमीन दी गई है वह जमीन अभी तक इन किसानों के कब्जे में नहीं आयी है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जी हां, यह सही है कि वहां कुछ झगड़ा रहा जमीन के बारे में, इसलिये कब्जा नहीं मिल पाया अभी तक ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्षों से उनकी रोजी किस प्रकार चल रही है और रोजी का साधन सरकार ने क्या मुहय्या किया ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जो प्रश्न चल रहा है उसका निपटारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त और कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

कानपुर जिले में अमरौधा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बम्हरौली घाट में सार्वजनिक कुएं का निर्माण

*३—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर के अमरौधा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बम्हरौली घाट में सार्वजनिक कुंआ खुदाने के लिये सरकार ने १,५०० रुपया दिया था ?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी हां।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह रुपया सार्वजनिक कुआं निर्माण करने को दिया गया था ? यदि हां, तो यह कुंआ किसी एक व्यक्ति की सुविधा के लिये उसके मकान के सामने उसके खेत में क्यों बना दिया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि उक्त कुयें के दोनों तरफ अत्यन्त निकट दो कुयें हैं और हरिजन बस्ती में कोई कुआं नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सरकार को इसकी कोई इत्तला नहीं है।

इटावा जिले के पारपट्टी क्षेत्र की विकास योजना

*४—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के जमुना और चम्बल नदी के बीच के क्षेत्र पार पट्टी के विकास के लिये कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, पारपट्टी में दो राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड खोले गये हैं। एक राजपुर (चकरनगर) में अक्तूबर १९५६ में खोला गया जहां भूमि संरक्षण का कार्य प्रारम्भ होने को है। दूसरा ब्लाक बढ़पुरा में १ जुलाई, १९५७ से खोला गया है। इसके अतिरिक्त पारपट्टी क्षेत्र में २१ ट्यूब वेल बनाने की योजना है जिससे ११ गांवों को लाभ होगा। यह कार्य इकनोर और दलीपनगर गांवों में शीघ्र ही शुरू होने वाली है।

*५--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी और नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वांछित सूचना पूर्व प्रश्न के उत्तर में दे दी गई है। अतएव प्रश्न नहीं उठता।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह भूमि-संरक्षण का कार्य कब से प्रारम्भ होने जा रहा है और किस ब्लाक में पहले होगा राजपुरा में या बढ़पुरा में ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यों तो भूमि-संरक्षण का कार्य कई साल पहले से वन विभाग की ओर से हो रहा है और अब इस साल से यह राजपुरा ब्लाक में भी शुरू हो जायगा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो २१ नलकूप लगाये जायेंगे इनमें कितने बढ़पुरा में और कितने राजपुरा में है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र के विकास के लिये यमुना और चम्बल नदियों पर पुल बनवाने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस संबंध में तो अगर एक सीधा प्रश्न आप करें तो बेहतर रहेगा क्योंकि यह इससे संबंधित नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आपको नोटिस की आवश्यकता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां।

*६-८--श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*९--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*१०-११--श्री गोविन्द सिंह बिष्ट---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

नैनीताल जिले में रुद्रपुर ग्राम को टाउन एरिया बनाने पर विचार

*१२--श्री जगदीश शरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रुद्रपुर, जिला नैनीताल सरकारी वर्गीकरण में "ग्राम" माना जाता है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---जी हां, सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार "रुद्रपुर", जिला नैनीताल में रुद्रपुर परगना के अन्तर्गत एक ग्राम है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---क्या सरकार को विदित है कि सरकार की ही नीतिके फलस्वरूप पिछले सात वर्षों में यहां की जनसंख्या,उद्योग और व्यापार बहुत बढ़ चुका है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---जी हां।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या और व्यापार को ध्यान में रखते हुये वह इसको टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया करने के सुझाव पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---इसको टाउन एरिया बनाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है और माल विभाग और स्वाशासन विभाग के बीच लिखा-पढ़ी चल रही है ।

श्री प्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रुद्रपुर ग्राम की जनसंख्या इस समय कितनी है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---इसके लिये माननीय सदस्य नोटिस देने की कृपा करें। यह इस वक्त उपलब्ध नहीं है ।

आबकारी विभाग के चपरासियों को बस रुकवाकर तलाशी लेने का अधिकार

*१३---श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी कानून के अन्तर्गत आबकारी विभाग के चपरासियों को भी आवागमन के रास्तों में बसें रोक करके किसी भी संभ्रांत सज्जन की तलाशी लेने का अधिकार दे रखा गया है ?

मादककर राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---जी हां।

आजमगढ़ जिले में स्थायी जिला नियोजन एवं जिला पंचायत अधिकारी न होना

*१४---श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में जिला प्लानिंग अफसर और पंचायत अफसर के पद पर स्थायीरूप से किसी अफसर की नियुक्ति कितने समय से नहीं हुई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---आजमगढ़ जिले में २४-६-५६ से ३-४-१९५७ ई० तक कोई स्थायी जिला नियोजन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी नहीं रहा।

*१५-१७---श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर जिले में बाढ़ पत्थर तथा गेरूई रोग से क्षति ग्रस्त क्षेत्र में सहायता

*१८---श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले में बाढ़ पत्थर तथा गेरुई रोग के कारण गत खरीफ तथा रबी की फसल को गहरी क्षति हुई है और वहां बकाया लगान, तकावी तथा बकायों की वसूली की जा रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---जी हां, किन्तु क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी करों की वसूली रोक दी गई है।

*१९---श्री राजकुमार शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले में क्षतिग्रस्त किसानों को क्या क्या सहायता किस-किस रूप में तहसीलवार दी गई है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७ पर)

श्री राजकुमार शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि गत वर्ष की घनघोर वर्षा से जो बाढ़ क्षेत्र नहीं माने जाते थे वहां भी बाढ़ ने सदमा पहुंचा दिया ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---जी हां, ऐसा हो सकता है कि अधिक वर्षा से बाढ़ की सी दशा वहां पैदा हो गई हो ।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या सरकार ऐसे ग्रामों को, जो बाढ़ क्षेत्र के कागज में दर्ज नहीं हैं और वास्तव में बाढ़ग्रस्त हैं उन्हें सहायता देगी और बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की कृपा करेगी ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---ऐसे स्थानों पर सहायता का प्रबन्ध प्रांत में बहुत जगहों पर किया जा रहा है।

*२०-२१---श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---[१३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३१-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

वाराणसी जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता

*२२---श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या नियोजन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला वाराणसी में कुछ श्रमदान द्वारा बनाई गई सड़कों पर सन् १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में मिट्टी डालने के लिये कितना रुपया दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कोई रुपया नहीं दिया गया है।

मथुरा जिले में माल विभाग के मुकदमों के फैसले में देरी

*२३---श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा कलेक्ट्री में माल विभाग के ऐसे कितने केस हैं जिनकी अवधि एक वर्ष से अधिक हो गई है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---ऐसे नौ मुकदमें हैं।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन विशेष कारणों से इन केसेज के शीघ्र फैसले नहीं हो सके हैं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---कुछ में तो कहीं-कहीं थोड़ी-बहुत मुहकमें की भी गलती होती है, कहीं पर समय से सम्मन तामील नहीं हो सके, कहीं पर पिछले इलेक्शन की वजह से अधिकारी इलेक्शन इत्यादि के कार्य में व्यस्त रहे। इन कारणों से देर हुई लेकिन कार्य को देखते हुये ९ की संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि जिस पर एतराज हो सके।

गाजीपुर जिले के अतिवृष्टि तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तकावी का वितरण

*२४---श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में तहसीलवार गत अतिवृष्टि तथा बाढ़ के कारण कितना रुपया तकावी के रूप में वितरित किया गया और कितना रुपया तथा कपड़ा मुफ्त बांटा गया ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७८-७९ पर)

श्री यमुना सिंह---क्या यह सही है कि तकावी उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनके पास कुछ हैसियत होती है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---जाहिर बात है कि कर्जा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनसे वसूल होने की उम्मीद होती है।

श्री यमुना सिंह---क्या यह सही है कि गाजीपुर के सरयाबाद परगने में जो गांव बाढ़ से विशेष दुखी थे उनको तकावी नहीं मिल पाई ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--ऐसी सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य हमारी जानकारी में लाने की कृपा करेंगे तो उसकी जांच की जायगी।

*२५-२६--श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--[२१ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

इटावा जिलान्तर्गत श्रमदान द्वारा निर्मित भर्थना-ऊसराहार सड़क को पक्की करने की प्रार्थना

*२७--श्री मिहरबान सिंह(जिला इटावा)--क्या नियोजन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत भर्थना-ऊसराहार सड़क पर पिछले वर्ष श्रमदान द्वारा कितना काम हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--भर्थना-ऊसराहार सड़क पर १५ मील लम्बाई २४ फीट चौड़ाई और १ फुट ६ इंच ऊंचाई से श्रमदान द्वारा २८,५०,००० घनफुट मिट्टी का कार्य किया गया।

*२८--श्री मिहरबान सिंह--क्या नियोजन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सड़क पर भर्थना से ऊमर सेड़ा तक पक्का बनाने में कितना धन खर्चा किया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--भर्थना से उमरसेंडा सड़क पर अभी तक १०,०४५ रु० व्यय किया जा चुका है।

श्री मिहरबान सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १५ मील सड़क श्रमदान से तैयार की गयी है मिट्टी की भराई से, उसके लिये यह आश्वासन जनता को दिया गया था कि आप श्रम से भराई कर दीजिये, इसको हम पक्का करा देंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--कुछ तो बनी है और इसमें लगभग, जो बनी है, ४२,७५० रु० लग गया और उसपर थोड़ी बहुत सरकार ने बनाई है, बाकी फिर देखा जायगा।

श्री मिहरबान सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि जो ४ मील सड़क भर्थना से ऊसराहार तक जाती है, जिस पर ईंट बिछा दी गयी थी और उसकी सोलिंग हो गयी थी, वह टूट गयी है और उससे जनता को बहुत अधिक कष्ट हो रहा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो सरकार को पता नहीं है, लेकिन ब्रिक्स जरूर लग गयी हैं, सोलिंग भी किया गया है, मगर इस पर भी टूट गयी है, तो बड़े दुख की बात है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सड़क जो श्रमदान द्वारा सरकार ने बनाई थी वह ठीक प्रकार से सहायता न मिलने से पूर्णरूप से उसकी मिट्टी बरबाद हो गयी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--नहीं, यह बात नहीं है। जितना सरकार को करना था वह तो किया है।

श्री प्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस सड़क पर सोलिंग के ऊपर कंकर क्यों नहीं बिछवाया गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो स्थानीय अधिकारियों ने और कार्यकर्त्ताओं ने जो मुनासिब और उचित समझा, वह किया।

श्री गजेन्द्रसिंह—क्या सरकार इस सड़क को बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह बेहतर होगा कि माननीय सदस्य इस प्रश्न को अपने जिले की प्लानिंग कमेटी में उठायें, क्योंकि प्रत्येक माननीय सदस्य इस सदन की उस प्लानिंग कमेटी के मेम्बर हैं।

इलाहाबाद का नाम 'प्रयाग' रखने का सुझाव

*२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि इलाहाबाद नगर का नाम बदल कर उसका नाम प्रयागराज रखने के सुझाव इलाहाबाद के नागरिकों अथवा नगरपालिका की ओर से आये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयाग रखने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस तरह से बनारस का नाम बदलकर वाराणसी रख दिया गया है उसी तरह से इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयाग रखने में उसे कोई आपत्ति है ? यदि हां, तो क्या ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आपत्ति का प्रश्न तो आगे पीछे आता; इस प्रश्न में यह पूछा गया था कि वहां के नागरिकों तथा नगरपालिका की तरफ से कोई सुझाव नहीं आया। जब सुझाव आयेगा तो गौर करने का वक्त होगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज रखने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसमें देखना यह है कि नागरिक चाहते हैं या नहीं। अगर उनकी तरफ से सुझाव आयेगा तो सोचेंगे। प्रयाग रखा जाय या प्रयागराज रखा जाय पहले यह तय कर लें।

श्री गजेन्द्र सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी प्रश्नकर्ता को वहां का नागरिक मानकर इस पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इलाहाबाद में साढ़े तीन लाख नागरिक रहते हैं, एक को निकालने के बाद शेष ३,४९,९९९ लोगों की राय भी तो जानना चाहिये।

फर्रुखाबाद जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*३०—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि फर्रुखाबाद जिले में मार्च अप्रैल, सन् १९५७ में किन-किन ग्रामों में अग्निकांडों के फलस्वरूप कितनी-कितनी क्षति हुई और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या सहायता दी गई ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जिला फर्रुखाबाद में गत मार्च तथा अप्रैल, १९५७ के माह में अग्निकांड से चार तहसीलों के ६३ ग्रामों में अनुमानतः ४,२२,२७४ रु० की क्षति हुई। इनमें से ११ ग्रामों में सरकार द्वारा २,७५७ रु० अहेतुक सहायता के रूप में और ६४५ रु० तकावी के रूप में वितरण किया गया। इस सबका पूरा ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८०–८२ पर)

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो अहेतुक सहायता दी गई वह किस हिसाब से दी गई ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---वह तो उनका नुकसान और हैसियत देखकर दी गई है। जो बड़े लोग थे और जिनको अहेतुक सहायता की आवश्यकता नहीं थी उनको नहीं दी गई।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायता देने के लिये कोई नियम बनाये गये हैं ? यदि हां, तो उनको पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---नियम तो आपको स्वयं जानना चाहिये लेकिन प्रश्न के पहले भाग का जवाब दे दें।

श्री परमात्मानन्द सिंह---इसके लिये कोई नियम नहीं हैं, अधिकारियों पर निर्भर है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या सरकार यह देखकर कि अग्निकांड बहुत होते हैं हर तहसील में फायर ब्रिगेड का इंतजाम कर रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---ऐसा तो नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले के दारापुर बरैठी गांव से चकबन्दी के खिलाफ शिकायत

*३१---श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार के पास ग्राम दारापुर बरैठी, परगना सौरिख, तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के निवासियों की शिकायतें चकबन्दी एवं चकों के गलत निर्माण के विरोध में आई हैं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---ग्राम दारापुर बरैठी, परगना सौरिख, तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के निवासियों में से किसी ने भी चकबन्दी के विरोध में शिकायत नहीं की। परन्तु चकों के गलत बनाये जाने के संबंध में अवश्य दो शिकायतें आई थीं।

*३२---श्री होरीलाल यादव---यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---दोनों शिकायतों की पूरी जांच की गई। एक शिकायत जांच करने पर बेबुनियाद साबित हुई अतः उसको दाखिल दफ्तर कर दिया गया। दूसरी शिकायत जब कि गांव में कब्जा बदला जा चुका था उसके बहुत बाद प्राप्त हुई, इसलिये इस शिकायत पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। अतः वह भी दाखिल दफ्तर कर दी गई।

श्री होरीलाल यादव---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच करते समय किसानों ने यह मांग की थी कि वे अपने चक अमीन की सहायता से बनाने के लिये तैयार हैं ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री होरीलाल यादव---क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि जिस गांव के किसान अमीन की सहायता से चक बनाने के लिये तैयार हों तो दोबारा उन्हें इजाजत दे दे ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---वह वहीं नहीं, सारे सूबे में अगर एक गांव के सारे किसान मिल कर चक बनाना चाहें, जिससे सब सहमत हों, तो भी सरकार को कोई एतराज नहीं हो सकता।

श्री होरीलाल यादव---जैसा कि प्रश्न संख्या ३२ में सरकार ने उत्तर दिया है कि चकों पर कब्जा दिलाया जा चुका है तो क्या इसके बाद भी सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वहां दोबारा चक बनाने की इजाजत दी जाय ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---अगर गांव के सभी लोग राजी हों तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनका "गांव के सारे रहने वालों" से क्या मतलब है ? जो सब लोग गांव में रहते हैं या जिनकी जोत है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---जिनका खेतों से संबंध है।

*३३-३४---**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले के सुलेमापुर गांव में श्री शंकर जी के शिवालय के जीर्णोद्धार की प्रार्थना

*३५---**श्री यमुना सिंह**---क्या सरकार परगना पचोतर, जिला गाजीपुर के सुलेमापुर ग्राम में श्री शंकर जी के शिवालय के जीर्णोद्धार के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---चूंकि इस मंदिर की इमारत ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक महत्व की नहीं है, अतः इसके जीर्णोद्धार कराने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार करना संभव नहीं है।

*३६---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले में पुलिस अधिकारियों की कार्य अवधि

*३७---**श्री केशव पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में कितने पुलिस आफिसर ऐसे हैं जो कई वर्षों से इसी जिले में रह रहे हैं और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गोरखपुर जिले में कोई भी ऐसा गजटेड पुलिस अफसर तथा पुलिस इन्सपेक्टर नहीं है जो तीन वर्षों से अधिक इसी जिले में तैनात हो। शासकीय कारणों से कुछ सब-इन्सपेक्टर अधिक समय से वहां अवश्य तैनात हैं जिनका विवरण नीचे दिया जाता है। इनके तबादले का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है:—

सब-इन्सपेक्टरों की संख्या			किस सन् से तैनात हैं।
३	..	..	१९४८
७	..	..	१९४९
२	..	..	१९५०
६	..	..	१९५१
४	..	..	१९५२
५	..	..	१९५३
९	..	..	१९५४

*३८---**श्री केशव पांडेय** (अनुपस्थित)---[२१ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बलिया जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*३९—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार को पता है कि जिला बलिया में गत दो माह के अन्दर कई किसानों के खलिहानों में आग लग गई या लगा दी गई जिसके फलस्वरूप उनके खलिहान पूर्णतः जल गये हैं? यदि हां, तो ऐसे किसानों की संख्या एवं पूर्ण पता क्या है?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जी हां, बलिया जिले में गत मई तथा जून माह में आग लगने के कारण ३१ किसानों के खलिहानों को क्षति पहुंची। ऐसे किसानों की संख्या तथा पूर्ण पता संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३ पर)

*४०—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिला बलिया में जिन किसानों का खलिहान जल गया है उनको अब तक सरकार द्वारा किस किस प्रकार की सहायता दी गई है या दी जाने को है?

श्री परमात्मानन्द सिंह—अहेतुक सहायता के रूप में सरकार द्वारा उक्त किसानों को १,२४० रु० वितरण कर दिया गया है तथा ३५५ रु० और वितरण किया जाने को है। इसका भी पूरा विवरण संलग्न सूची में दिखा दिया गया है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनके खलिहान जल गये हैं उनकी रबी की मालगुजारी की माफी के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी?

श्री परमात्मानन्द सिंह—खेत से कट कर खलिहान में पहुंच जाने के बाद ऐसी छूट देने का सरकार की तरफ से कोई विचार नहीं होता।

श्री गौरी शंकर राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन मांवों के जलने की सूचना आपने दी है उससे कुल कितने की क्षति हुई है?

श्री परमात्मानन्द सिंह—किसानों की संख्या पूछी गयी थी वह बतायी गयी। रकम के बारे में कोई प्रश्न नहीं था, इसलिये यह सूचना नहीं मांगी गयी थी।

श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बहुत से ऐसे भी किसानों के खलिहान थे कि जिनके पास ही उनका घर भी था और खलिहानों में आग लगने से उनका घर भी जल गया। तो ऐसे किसानों को क्या कुछ सहायता देने का सरकार विचार कर रही है?

श्री परमात्मानन्द सिंह—इस समय प्रश्न खलिहानों का था, जिसका यह उत्तर दिया गया। यदि माननीय सदस्य घरों के बारे में कोई बात जानना चाहते हैं तो प्रश्न दे सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि माल विभाग में ऐसी व्यवस्था न होते हुये भी जिन किसानों का सर्वस्व जल गया है उनको कुछ छूट देने की व्यवस्था हो?

श्री परमात्मानन्द सिंह—जी नहीं। छूट तो खेती की बरबादी के सिलसिले में होती है और दूसरी चीजों में लगान की छूट का प्रश्न पैदा नहीं होता। सहायता और रूप से दी जा सकती है।

प्लानिंग अफसर श्री उमेशदत्त शुक्ल के शाहजहांपुर जिले में अधिक समय तक रहने पर आपत्ति

*४१—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि शाहजहांपुर जिले के प्लानिंग विभाग के कुछ अफसर उस जिले में प्रायः दस वर्षों से हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी नहीं, नियोजन विभाग तो सन् १९५१-५२ में बना था।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहां के प्लानिंग अफसर श्री उमेशदत्त शुक्ल शाहजहांपुर जिले में सन् ४७ से हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—पहले वह वहां जुडिशियल आफिसर की कैपेसिटी में रहे।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलायेगी कि प्लानिंग आफिसर और जुडिशियल आफिसर, दोनों की हैसियत से वह प्रायः १० साल से शाहजहांपुर में हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—१० साल से नहीं पर कोई साढ़े ७ साल के लगभग दोनों को मिलाकर होते हैं, लेकिन वह जून में बदल भी दिये गये।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या यह सही है कि मेरे प्रश्न करने के बाद वह वहां से हटाये गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह नहीं है। वह तो स्वतः आम तरीके पर जैसे काम चलता है उसमें हटाये गये हैं। आप के प्रश्न का कोई असर नहीं हुआ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों का कितने समय के बाद एक जिले से दूसरे जिले में तबादला किया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये तो सामान्य रूल हैं। कोई अवधि निश्चित नहीं है। मगर अमूमन ३ साल के बाद हरएक मुहकमें में ट्रांसफर हुआ करते हैं।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह उन प्लानिंग अफसरों के विषय में कि जो एक जिले में लगभग ५ वर्ष से अधिक रह चुके हैं, कोई नोट रखती है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सरकार के पास तो हर एक के विषय में नोट रहता है।

*४२-४३—श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४—श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)—[इस प्रश्न का उत्तर ३१ जुलाई, १९५७ को प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत दिया गया।]

प्रादेशिक कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत कार्यों की त्रुटियों के सम्बन्ध में अभि कथित रिपोर्ट

*४५—श्री रामगोपाल गुप्त—क्या यह सही है कि केंद्रीय कम्युनिटी प्रोजेक्ट् ऐडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी एक रिपोर्ट में इस प्रदेश में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत जो काम हुआ है, उसके बारे में प्रादेशिक सरकार का ध्यान बहुत-सी त्रुटियों की ओर आकर्षित किया है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--राज्य सरकार को कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन से कोई ऐसी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई।

*४६--श्री रामगोपाल गुप्त--क्या सरकार उपर्युक्त रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामगोपाल गुप्त--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई तो क्या उनका पत्र द्वारा ध्यान आकर्षित कराया गया है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पत्र द्वारा तो कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया है।

बुलन्दशहर बस स्टैण्ड के मेण्टिनेन्स शेड का गिर जाना

*४७--श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर बस स्टैन्ड का मेंटिनेंस शेड हाल में गिर गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच करा रही है?

डाक्टर सीताराम--जी हां, जनरल मैनेजर, आगरा रोडवेज इसकी जांच कर रहे हैं पर उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि तूफान के कारण दीवार का कुछ भाग गिर गया है।

श्री छत्तरसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मेंटिनेंस शेड बने हुये कितने दिन हुये और उस पर कितना व्यय हुआ?

डाक्टर सीताराम--शेड को बने हुये करीब डेढ़ साल हुआ। शेड कोई अलग से नहीं बनता है बल्कि जो खर्चा आफिसेज या मोटर स्टैंड वगैरह की बिल्डिंग में होता है वह सब बजट में साथ रहता है। इसके लिये अलग से कितना रुपया व्यय हुआ है वह फीगर बाद को बताये जा सकते हैं।

श्री छत्तरसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसके गिरने का क्या कारण था?

डाक्टर सीताराम--यह प्रश्नोत्तर में बतलाया गया है कि तूफान के कारण गिरा।

*४८--श्री राजकुमार शर्मा--[६ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

फैजाबाद जिले में हाकिम तहसीलों के विचाराधीन मुकदमे

*४९--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में हाकिम तहसीलों के इजलास में कितने-कितने ऐसे मुकदमें हैं, जो--

(१) चार वर्ष से ज्यादा अवधि से चल रहे हैं?
(२) तीन वर्ष से ज्यादा अवधि से चल रहे हैं?
(३) दो वर्ष से ज्यादा अवधि से चल रहे हैं?
(४) एक वर्ष से ज्यादा अवधि से चल रहे हैं?

श्री चरणसिंह--चार वर्ष से अधिक अवधि से १८, तीन वर्ष से अधिक अवधि से ३२, दो वर्ष से अधिक अवधि से ६५ तथा एक वर्ष से अधिक अवधि से १४२ मुकदमें चल रहे हैं।

*५०—श्री रामनारायण त्रिपाठी (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास इस बात की शिकायत है कि उक्त जिले में मुकदमों में जरूरत से ज्यादा तारीखें डाली जाती हैं ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं ।

मिर्जापुर जिले की दुद्धी तहसील में लाख उत्पादन तथा व्यवसाय के सम्बन्ध में जांच

*५१—श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुद्धी तहसील, जिला मिर्जापुर में लाख के उत्पादन तथा बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का वह विचार कर रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—दुद्धी क्षेत्र, जिला मिर्जापुर के लाख उत्पादन तथा व्यवसाय को किस प्रकार बढ़ाया जाय इसकी जांच करने के लिये कुछ समय पूर्व सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी । उस समिति की रिपोर्ट पर अभी विचार हो रहा है । अतः इस समय यह बताना कठिन है कि भविष्य में लाख के उत्पादन व उद्योग को उन्नति देने के लिये सरकार क्या करेगी ।

श्री राजकुमार शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी समिति की रिपोर्ट पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—माननीय मन्त्री जी उस रिपोर्ट को पढ़ चुके हैं, उसको दोबारा यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजकुमार शर्मा—श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि उसका भाव ही बतला दिया जाय ।

श्री परमात्मानन्द सिंह—यदि माननीय सदस्य नोटिस देने की कृपा करेंगे तो वह रिपोर्ट मंगाई जा सकती है । इस समय वह रिपोर्ट यहां पर नहीं है ।

प्रान्तीय रक्षकदल के कर्मचारियों के कार्य

*५२—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला जालौन में जो पी० आर० डी० के कर्मचारी हैं उनके मुख्य कार्य क्या हैं और उन्होंने १९५६ में जो मुख्य कार्य किये क्या सरकार उसकी सूची मेज पर रखेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारियों के मुख्य कार्य स्वयंसेवकों की भर्ती व सैनिक शिक्षा, विकास कार्यों में जन-शक्ति आदि जुटा कर सहयोग देना, शारीरिक संवर्धन के लिये अखाड़ा, खेल-कूद आदि का आयोजन करना, वन-रोपण कराना तथा समाज सेवा के अन्य कार्य करना है । जिला जालौन में प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारियों द्वारा १९५६ में किये गये मुख्य कार्यों का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८४-८५ पर)

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलावेंगे कि पी० आर० डी० के कार्य कौन-सा विभाग करेगा ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह बजट के रोज बता दिया जायगा ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री बतावेंगे कि अब उस कार्य की जरूरत नहीं रही है जिसे यह विभाग करता था और इसीलिये इसे तोड़ा गया है ?

श्री अध्यक्ष---मैं आपको उस तरफ नहीं जाने देना चाहता कि पी० आर० डी० को क्यों तोड़ा गया है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि जो रिपोर्ट जालौन पी० आर० डी० के बारे में आई है उसके बारे में क्या सरकार को सन्तोष है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसमें कोई सन्देह नहीं कि जालौन में उनका कार्य सन्तोषजनक रहा ।

प्रतापगढ़ जिले में विलेज लेविल वर्करों में लिए गए हरिजन

*५३---श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ में विलेज लेविल वर्करों (Village level workers) के लिए, जिसका चुनाव अप्रैल, १९५७ में हुआ था, कितनी अर्जियां आयीं थीं ? उसमें कितने हरिजनों के प्रार्थना-पत्र थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---निर्धारित योग्यता से मुक्त अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या ३२१ थी, जिनमें से १२ प्रार्थना-पत्र हरिजन अभ्यर्थियों के थे ।

*५४---श्री रामकिंकर (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कितने उम्मीदवार लिये गये तथा उनमें कितने हरिजन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नियुक्ति के संबंध में जो परीक्षा ली गई उसमें केवल १८७ अभ्यर्थी सम्मिलित हुए । इनमें से १४१ अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिनमें ५ हरिजन हैं । नियुक्ति के पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण के लिए अभी जिन सर्व श्रेष्ठ १९ अभ्यर्थियों को आदेश भेजे गए हैं उनमें ४ हरिजन अभ्यर्थी शामिल हैं । शेष श्रेष्ठता के क्रम में, ग्राम सेवकों की आवश्यकता होने पर तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में स्थान रिक्त होने पर प्रशिक्षण के लिए भेजे जायंगे ।

खीरी जिलान्तर्गत रामनगर लहबड़ी गांव में बिला लगानी भूमि

*५५---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम रामनगर लहबड़ी, परगना धौरहरा, जिला खीरी में कितने एकड़ भूमि बिला लगानी भूमिधरी के अन्तर्गत है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---१८.६७ एकड़ ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि यह भूमि बिला लगान क्यों रही ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---नियमों के अनुसार जो बाग होते हैं वे बिना लगान होते हैं ।

सामान्य, वित्त तथा सार्वजनिक सचिवालयों में सहायक सचिवों की पदोन्नति के सम्बन्ध में जानकारी

*५६---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सिविल, फाइनेन्स तथा पब्लिक वर्क्स सेक्रेटरियट में असिस्टेन्ट सेक्रेटरियों के कितने स्थायी तथा अस्थायी स्थान हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय सचिवालय के तीनों यूनिटों में सहायक सचिव के पदों की संख्या निम्नांकित है :

	स्थायी	अस्थायी
सामान्य सचिवालय ..	१२	५
वित्त सचिवालय ..	४	२
सार्वजनिक निर्माण सचिवालय ..	४	१

*५७—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या इन पदों पर पदोन्नति इन तीन भिन्न-भिन्न सचिवालयों में अलग-अलग होती है या सब सचिवालयों के पदाभिलाषियों में से चुनाव होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन पदों पर पदोन्नति तीनों यूनिटों में अभी अलग-अलग होती है ।

*५८—श्री गनेश चन्द्र काछी—क्या यह सही है कि कुछ असिस्टेंट सेक्रेटरियों के पदों को अन्डर सेक्रेटरी के पदों में परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितने पदों को और क्यों और इसमें वार्षिक कितना अधिक व्यय हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सामान्य सचिवालय में ७ और सार्वजनिक निर्माण विभाग में १ सहायक सचिव के पद अनुसचिव के पदों में परिवर्तित किये गये हैं ।

सचिवालय के सहायकों को प्रोत्साहन तथा शासकीय सुविधा के अनुसार सहायक सचिव के कुछ पद अनुसचिव के पदों में परिवर्तित किये गये हैं ।

इस वर्ष सामान्य सचिवालय में परिवर्तित पदों पर अतिरिक्त व्यय २,१०० रु० और सार्वजनिक निर्माण सचिवालय में ३०० रु० हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अल्प बचत योजना के अनुसार सामान्य, वित्त और सार्वजनिक सचिवालयों में अस्थायी पदों पर काम करने वाले सचिवों में से सरकार कुछ कम करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अल्प बचत योजना तो स्माल सेविंग्स स्कीम को कहते हैं । इससे उसका कोई संबंध नहीं मालूम होता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार खर्च में कुछ कमी करने की नीयत से इन पदों में कमी करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी सचिवालय में पुनर्संगठन हुआ है जिसके फलस्वरूप तीनों सचिवालय मिला कर एक कर दिये गये हैं । इसके बाद क्या आवश्यकता होती है वह देखा जायगा लेकिन चाहे थोड़े भले ही कम हों, कोई व्यक्ति निकाला नहीं जायगा ।

नैनीताल तहसील में ग्राम ब्यूरीगाड़ की पाइप लाइन

*५९—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल तहसील के ग्राम ब्यूरीगाड़ में स्कूल तक पाइप लाइन नियोजन विभाग की ओर से लगाई गई ? यदि हां, तो क्या उसमें पानी चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां । सघन विकास क्षेत्र सरगाखेत के ग्राम ब्यूरीगाड़ में प्रारम्भिक पाठशाला तक पाइप लाइन की योजना बनी है । सूचना मिली है कि पाइप लाइन में जून, १९५७ से पाठशाला तक पानी चल रहा है ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस स्कीम के कितने दिन बनने के बाद पानी बन्द हो गया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं तो कह रहा हूं कि जून में पानी चल रहा था।

श्री प्रताप सिंह—यह पाइप लाइन कब लगाई गई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—ठीक तारीख इस समय मालूम नहीं है मगर १, २ साल के अन्दर की बात होगी ।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस योजना में जो कुछ खर्च हुआ है उसकी पूरी अदायगी अभी तक नहीं हो पाई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—पुराने ठेके के मुताबिक तो पूरी अदायगी हो गई पर २५० रु० के करीब और देने का वचन है। उसका इन्सपेक्शन होने पर वह दिया जायगा।

*६०—श्री गौरीशंकर राय—[६ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

हाथरस क्षेत्र में चकबन्दी का कार्य

*६१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७ में किन-किन क्षेत्रों में और कब से चकबन्दी शुरू हो रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह—१९५७ में सरकार राज्य के किसी भी नये जिले में चकबन्दी योजना लागू करने का विचार नहीं कर रही है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन जगहों पर चकबन्दी आज कल हो रही है जो इस साल में शुरू हुई है वह कितने दिनों में पूरी हो जायगी ?

श्री चरण सिंह—इस साल किसी जिले में नई शुरू नहीं हुई है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—इस वर्ष जो हाथरस में शुरू हुई है वह कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री चरण सिंह—२ साल के लगभग ।

*६२—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६३—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*६४-६५—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[१४ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३२-३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

देवरिया जिलान्तर्गत केन यूनियन हाटा, पिपराइच तथा कप्तानगंज द्वारा दसगुना की मद में जमा रकम

*६६—श्री सूर्यबली पांडेय (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाटा, जिला देवरिया में कुल कितने रुपये दसगुना की मद में केन यूनियन हाटा, पिपराइच तथा केन यूनियन कप्तानगंज द्वारा जमा किया गया है ?

श्री चरण सिंह---तहसील हाटा, जिला देवरिया में केन यूनियन हाटा, पिपराइच तथा कप्तानगंज द्वारा क्रमशः २,११,१६५ रु० १२ आ० ६ पा० ; १,२२,७४५ रु० ५ आ० ८ पा० तथा ७८,८९९ रु० ११ आ० ९ पा० दसगुना के मद में जमा हुआ ।

*६७---**श्री सूर्यबली पांडेय** (अनुपस्थित)---उपर्युक्त रकम में से कितने रुपये की सनदें किसानों को बांटी गयीं और कितनी शेष रह गयीं ?

श्री चरण सिंह---उपरोक्त कुल जमा किये गये ४,१२,८१० रु० १३ आ० ११ पा० में से २,९९,१८५ रु०९आ०५पा० की रकम लगान के पूरे दसगुने के रूप में जमा हुई थीं और उसकी सनदें किसानों को दे दी गईं। ६६,३९४ रु० ४ आ० ६पा० की धनराशि जो आंशिक रूप में नकद जमा की गई थी या तो किसानों को नकद लौटा दी गई अथवा उनकी देय मालगुजारी में मिनहा कर दी गई है। शेष ४७,२३१ रु० है। यह दो आना गन्ना कटौती के संबंध का है और आंशिक रूप में जमा किया गया था। इसको वापस करने अथवा मालगुजारी में मिनहा करने के विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*६८-६९---**श्री पब्बर राम** (जिला गाजीपुर)---[२७ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ५६-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*७०---**श्री उग्रसेन**---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७१---**श्री मान्धाता सिंह** (जिला बलिया)---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

देहरादून के सैनिक स्कूल में प्रविष्ट विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*७२---**श्री दीनदयालु शास्त्री**---(जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि वह देहरादून के सैनिक स्कूल में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों को कितनी छात्रवृत्ति देती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---७५० रु० वार्षिक की तीन छात्रवृत्तियां, जिनमें से एक केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को दी जाती है।

*७३---**श्री दीनदयालु शास्त्री**---[अस्वीकार किया गया ।]

*७४---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

*७५-७६---**श्री इन्द्रभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये ।]

प्रतापगढ़-रायबरेली रोड पर बस सर्विस की योजना

*७७---**श्री रामअधार तिवारी** (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ रायबरेली रोड पर सरकारी बस चलने का कब से प्रबन्ध होने जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम---इस मार्ग को विज्ञापित मार्ग घोषित किया जा चुका है और इस पर सरकारी बस चलाने का प्रबन्ध वर्षा ऋतु के पश्चात् करने की संभावना है।

*७८---**श्री उग्रसेन**---[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद परगने में बाढ़पीड़ितों को गृहनिर्माणार्थ सहायता

*७९---**श्री हरदयाल सिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परगना जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर में कितने बाढ़पीड़ित लोगों को मकान बनाने में सहायता दी गई है ?

श्री चरण सिंह---शाहजहांपुर जिले के परगना जलालाबाद में ८२३ बाढ़-पीड़ित व्यक्तियों को मकान बनाने में सहायता दी गई।

*८०-८१---श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी जिले की ललितपुर व महरौनी तहसीलों में ओलापीड़ितों को सहायता

*८२---श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि तहसील महरौनी व ललितपुर जिला झांसी में मार्च सन् १९५७ में किन-किन ग्रामों में ओले गिरने के कारण रबी की फसल नष्ट हो गई और सरकार की ओर से ओलापीड़ित किसानों की सरकार ने क्या-क्या सहायता की ?

श्री चरण सिंह---जिला झांसी की तहसील महरौनी तथा ललितपुर में गत मार्च महीने में ओला गिरने के कारण कुल ३४ गांवों की, जिनके नाम संलग्न तालिका में दिये हैं, फसल को कमी बेश क्षति पहुंची। हानि की मात्रा इस प्रकार है:---

नाम तहसील	ग्रामों की संख्या जिनमें हानि	
	८ आने से कम है	८ आना या उससे अधिक है
१---महरौनी	८	१२
२---ललितपुर	..	१४ (इनमें ३ ऐसे गांव भी शामिल हैं जिनमें हानि रुपये में ६ आने से ८ आने तक है।)

इन गांवों में जिन खातों में हानि ८ आने या उससे अधिक है उनकी वसूली स्थगित है तथा तकावी की किस्तों की वसूली ऐसे लोगों से नहीं की गई जिनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८६ पर)

हमीरपुर जिले में गुहांड़ प्रगाढ़ विकास क्षेत्र पर व्यय

*८३---श्री डूंगर सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में गुहांड़ प्रगाढ़ विकास क्षेत्र में अब तक सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ ? उसमें से कितना विकास कार्यों में और कितना कर्मचारियों के वेतन, भत्ता, मोटर, मकान, आदि में खर्च हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---हमीरपुर जिले के गुहांड़ प्रगाढ़ विकास क्षेत्र में १५ जून, १९५७ तक निम्नलिखित व्यय हुआ---

	रु०	आ०	पा०
(क) विकास कार्यों पर व्यय ..	१,९४,०८७	७	०
(ख) वेतन, भत्ता आदि पर व्यय ..	१,८६,२३५	१५	०
योग	३,८०,३२३	६	०

श्री डूंगर सिंह---वेतन, भत्ता आदि में करीब-करीब उतना ही खर्च हुआ है जितना विकास कार्यों में, क्या सरकार को इस पर संतोष है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--नियमों के अन्तर्गत सभी जगह एकसां है।

फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील से चकबन्दी के सम्बन्ध में शिकायतें

*८४--श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले की तहसील छिबरामऊ में जहां चकबन्दी हो रही है वहां के किन-किन गांवों की इस प्रकार की दरख्वास्तें आई हैं कि उनके गांव की चकबन्दी रोक दी जाय ?

श्री चरण सिंह--फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील के निम्नलिखित गांवों को चकबन्दी योजना से निकाल दिये जाने के संबंध में दरख्वास्तें आई थीं—

(१) इन्दुईगंज, (२) नगला खेम करन, (३) चियासर, (४) फरीदपुर, (५) जुनेदपुर, (६) गंगा गंज गुरौली, (७) गरौरा, (८) मुढ़हा, (९) चांदपुर, (१०) जलालपुर, (११) अयूबपुर ।

*८५--श्री कोतवाल सिंह भदौरिया--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले की छिबरामऊ तहसील में जहां आज दो साल से चकबन्दी का कार्य चल रहा है वहां के काश्तकारों की शिकायतों की सूचना चकबन्दी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा ज्यादतियों के संबंध में सरकार को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरण सिंह--जब माल मंत्री छिबरामऊ के सिकन्दरपुर गांव में गये थे, किसानों ने केवल १५४ दरख्वास्तें पेश कीं। उन दरख्वास्तों पर पूरी-पूरी जांच करने के पश्चात् उचित कार्यवाही की गई।

*८६--श्री कोतवाल सिंह भदौरिया--क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ तहसील के सिकन्दरपुर गांव में जब वे पधारे थे उस समय हजारों की संख्या में किसानों ने अपनी तकलीफों तथा चकबन्दी अधिकारियों की ज्यादतियों की शिकायतें उनको दी थीं ? क्या कोई कार्यावाही उन पर की गई ?

श्री चरण सिंह--जब माल मंत्री छिबरामऊ के सिकन्दरपुर गांव में गये थे, किसानों ने केवल १५४ दरख्वास्तें पेश कीं। उन दरख्वास्तों पर पूरी-पूरी जांच करने के पश्चात् उचित कार्यवाही की गई।

*८७--श्री सैयद जरगाम हैदर (जिला बहराइच)--[१३ अगस्त, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील में ओला पीड़ितों को सहायता

*८८--श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील में गत मार्च में ओले पड़ने के कारण कितने ग्रामों को नुकसान पहुंचा है और सरकार की ओर से उन गांवों की क्या मदद की गई है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ८३ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चरण सिंह---मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील में गत मार्च महीने में ओला पड़ने से कुल ५१ गांवों की फसल को कमो वेश क्षति पहुंची थी। इनमें से १७ गांवों में हानि नगण्य थी। बाकी ३४ गांवों में पीड़ित व्यक्तियों को दी गई सहायता का विवरण इस प्रकार है:---

	रु०
१---मालगुजारी में छूट ..	२२,४१०·७५
२---विपत्तिकालीन तकावी ..	३१,०४०
३---तकावी की किश्तों का स्थगन---	
क---ऐक्ट १२ ..	६,२९२.०६
ख---ऐक्ट १९	१२,७४८.२५
४---अहेतुक सहायता ..	२२०

५---अन्य सरकारी देयों को भी वसूली स्थगित कर दी गई।

बदायूं जिले में कोआपरेटिव यूनियन्स द्वारा लगाये गये नलकूप

*८९---श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बदायूं में पिछले ५ वर्षों में कितने Tube-wells Co-operative Unions ने बनवाये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---केवल पांच।

*९०---श्री शिवराज सिंह यादव---इन Co-operative Tube-wells में से कितने Diesel Engines से चलते हैं, कितने बिजली से चलते हैं और कितने चालू हालत में नहीं हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द ---इन में से ३ तो डीजल इंजन से और १ बिजली से चलते हैं तथा एक नलकूप अनुकूल स्ट्रेटा न मिलने से असफल रहा।

बाराबंकी जिले के अग्निपीड़ितों को सहायता

*९१---श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में मार्च, सन् १९५७ ई० से मई, १९५७ ई० तक आतशजनी में कुल कितनी वारदातें हुई हैं और इस संबंध में सरकार की ओर से पीड़ित लोगों को क्या सहायता दी गई ?

श्री चरण सिंह---जिला बाराबंकी में मार्च, १९५७ से मई, १९५७ तक अग्निकांड से ७२ घटनायें घटित हुईं। इस संबंध में सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को जो सहायता दी है उसका विवरण निम्न प्रकार से है:---

१---अहेतुक सहायता	२,०१५ रु०
२---विपत्तिकालीन तकावी	२,३१५ रु० (तीन काश्तकारों की वसूली भी स्थगित की गई।)
३---अंतिम रिपोर्ट आने तक मालगुजारी की वसूली स्थगित की गई।	१,८६७ रु०

इसके अतिरिक्त भूमि प्रबन्धक समितियों के द्वारा खाने के लिये अन्न, छप्पर छाने के लिये बांस, फूस तथा जानवरों के लिये चारे आदि का प्रबन्ध किया गया। कई स्थानों पर आग बुझाने हेतु फौजी दमकल की सहायता दी गई।

विदेशी शासकों की मूर्तियां संग्रहालय में रखने का आदेश

*९२--श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विदेशी शासकों की मूर्तियां संग्रहालय में रखने में कितनी प्रगति हो पाई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसी समस्त मूर्तियों के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं कि शीघ्रातिशीघ्र १५ अगस्त के पहिले सब मूर्तियों को हटा कर सुरक्षित प्रकार से कहीं रख दिया जाय।

बरेली जिले की नवाबगंज तहसील में आग लगने से क्षति

*९३--श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)--क्या सरकार बतलाने की कृपया करेगी कि माह अप्रैल, सन् १९५७ में तहसील नवाबगंज, जिला बरेली के किन-किन ग्रामों में आग लग जाने से फसल रबी का कितना नुकसान हुआ ?

श्री चरणसिंह--माह अप्रैल, सन् १९५७ में तहसील नवाबगंज के ३ ग्रामों--घटमापुर, हंसा और मिर्जापुर-जागौर में आग लगी उससे रबी की फसल का २१५ मन ३१ सेर अनाज नष्ट हो गया।

*९४--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन पीड़ित किसानों की सहायता अथवा तकाबी के रूप में कितना-कितना रुपया दिया गया?

श्री चरणसिंह--किसी प्रकार की सहायता की मांग पीड़ितों की ओर से नहीं की गई।

*९५--श्री शिवराजबहादुर--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सिलसिले में इन किसानों को लगान और आबपाशी में छूट दी गई ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ?

श्री चरण सिंह--मालगुजारी तथा सिंचाई के कर में छूट अथवा मुल्तवी देने का प्रश्न विचाराधीन है।

*९६-९८--श्री वीरेन्द्र वर्मा--[२२ अगस्त, १९५७ के लिए स्थगित किये गये।]

*९९--श्री बासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)--[२२ अगस्त, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

हैदरगढ़ व रामसनेही घाट तहसीलों में अग्रिम लगान से वसूली

*१००--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील हैदरगढ़ व रामसनेहीघाट में इस वर्ष कितना रुपया अग्रिम लगान के रूप में वसूल किया गया है ?

श्री चरण सिंह--खरीफ १३६४ फसली में ३१ मार्च, १९५७ तक ७,३५४ रु० ८१ नये पैसे राम सनेहीघाट में और २६,४८८ रु० ४३ नये पैसे तहसील हैदरगढ़ में रबी १३६४ की अग्रिम मालगुजारी के रूप में दाखिल हुआ। इसके अतिरिक्त तहसील हैदरगढ़ में जमींदारी विनाश प्रतिकर तथा निधि का लगभग ३०,००० रुपया खरीफ १३६४ में रबी १३६४ की मालगुजारी में मुजरा किया गया। रबी १३६४ में १३६५ फसली का कोई मतालबा अग्रिम मालगुजारी के रूप में वसूल नहीं किया गया है।

भ्रष्टाचार विरोधी समिति, जालौन के कार्य

*१०१--राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन की एन्टी-करप्शन कमेटी ने १९५५-५६ में क्या कार्य किया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पुनस्संगठन के पश्चात भ्रष्टाचार विरोधी समिति, जालौन, द्वारा १९५५-५६ में किये गये कार्य का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८७-८८ पर)

रायबरेली जिले में ग्राम समाज बुधबन, गोविन्दपुर, पूरनपुर तथा तेजगांव की बंजर भूमि

*१०२--श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में सरेनी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-समाज "बुधबन" के पास कितनी बंजर भूमि है ?

श्री चरण सिंह--जिला रायबरेली में सरेनी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम समाज बुधबन के पास ३९ बीघा १२ बिस्वा ६ बिस्वांसी बंजर भूमि है ।

*१०३--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ग्राम के सभापति तथा उप-सभापति ने दो वर्ष के अन्दर अनाधिकार रूप से ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध थाना सरेनी में कितनी रिपोर्टें की हैं ?

श्री चरणसिंह--थाना सरेनी में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकार रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध कोई रिपोर्ट पिछले दो वर्षों में दर्ज नहीं है ।

*१०४--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में सरेनी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम समाज गोविन्दपुर के पास कितनी बंजर भूमि है ?

श्री चरण सिंह--जिला रायबरेली में सरेनी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम समाज गोविन्दपुर के पास २२७ बीघा २ बिस्वा ३ बिस्वांसी बंजर भूमि है ।

*१०५--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ग्राम समाज की बंजर भूमि पर उसी ग्राम के हरिजनों के भी जानवर चरने पाते हैं ?

श्री चरण सिंह--पहले ऊंची जाति के लोग हरिजनों के मवेशी इस बंजर भूमि में नहीं चरने देते थे । किन्तु दिसम्बर, १९५६ से हाकिम परगना और तहसीलदार के प्रयत्न से यह शिकायत बिल्कुल दूर हो गई ।

*१०६--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में सरेनी निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम समाज "पूरनपुर" के पास कितनी बंजर भूमि है ?

श्री चरण सिंह--ग्राम पूरनपुर में जो कि ग्राम समाज जगन्नाथपुर में शामिल है, कुल १ बीघा २ बिस्वा १ बिस्वांसी बंजर भूमि है ।

*१०७--श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने कृपा करेगी कि रायबरेली के अन्तर्गत सरेनी क्षेत्र में ग्राम तेज गांव में कितनी बंजर भूमि ग्राम समाज के पास हैं ?

श्री चरण सिंह--ग्राम समाज तेजगांव के पास १०२ एकड़ बंजर भूमि है ।

जिलाधीशों व पुलिस कप्तानों के घोड़ों पर व्यय

*१०८--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रत्येक जिले के जिलाधीशों और सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के लिये घोड़े रखने की व्यवस्था करने पर प्रत्येक वर्ष राज्य द्वारा कितना व्यय होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—

७२,७२० रुपये प्रति वर्ष (आवर्त्तक)

८०,८०० रु० (अनावर्त्तक)

अतारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड जेवर के कार्य

१—श्री छत्तर सिंह—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड जेवर में पिछले वर्ष कौन-कौन से कार्य हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड जेवर में पिछले वर्ष जो कार्य हुए उसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ८९ पर)

श्री ब्रजनारायण तिवारी द्वारा अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—कल एक अविश्वास का प्रस्ताव मेरे पास भेजा गया था उसके बारे में माननीय सदस्य ब्रजनारायण तिवारी ने पूछा था । चूंकि वह समय से बाद में आया था, मैंने कहा कि आज उसके बारे में फैसला दूंगा । इस बीच में उन्होंने स्वयं उसे वापिस ले लिया । मैंने उसके वापिस लेने की इजाजत दे दी । इसलिये अब वह सदन के सामने नहीं है ।

श्री मदन पांडेय द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री मदन पांडेय जी का आया है । उसकी उन्होंने एक ही प्रति मेरे पास भेजी है । मैंने उनको ढुंढ़वाया भी लेकिन वह नहीं मिले। नियमों में यह है कि जिस दिन कार्य स्थगन का प्रस्ताव उपस्थित करने का विचार हो उस दिन उपवेशन आरम्भ होने से पूर्व उस सूचना की दो प्रतियां सचिव को दी जायंगी । इस लिये वाजिब तरह से यह सूचना मुझे नहीं मिली । मैं इसलिये इस पर कोई विचार नहीं करता हूं ।

१९५७–५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के आय-व्ययक के अनुदानों पर प्रस्ताव होंगे । समय के लिये किसी को कोई सुझाव देना हो तो दे सकते हैं ?

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि अनुदान संख्या १, ३१, ३२,३३ और ३५ पर बिना किसी विवाद के मत ले लिया जाय, अनुदान संख्या ४७ को आज पूरा दिन दिया जाय, अनुदान संख्या २२ पर कल क्वेश्चन आवर के बाद आरम्भ में एक घंटा बहस हो तथा अनुदान संख्या २ पर बाकी पूरे समय कल और परसों बहस हो ।

श्री अध्यक्ष—इसमें किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ? (आपत्ति न होने पर) तो यही रहा । माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ३१, ३२, और ३३ पेश करेंगे और माननीय माल मंत्री जी १ और ३५ उपस्थित करेंगे ।

अनुदान संख्या ३१—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य, निर्माण-कार्यों पर लागत

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य—निर्माण-कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ४,१३,९४,८०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य—निर्माण-कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ४,१३,९४,८०० रु० की मांग वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य, केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता

श्री गिरधारी लाल—अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य—केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ३६,५६,२०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२—यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत ३६,५६,२०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा

श्री गिरधारी लाल—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत ७१,२५,२०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण-कार्य और ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत ७१,२५,२०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक ४—कृषि आय कर की उगाही पर व्यय

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—कृषि आयकर की उगाही पर व्यय—लेखा शीर्षक ४—निगम कर और सम्पत्ति शुल्क को छोड़कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत २,७९,२०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—कृषि आय कर की उगाही पर व्यय-लेखा शीर्षक ४—निगम कर और सम्पत्ति शुल्क को छोड़ कर आय पर दूसरे कर के अन्तर्गत २,७९,२०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ३५—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि

श्री चरण सिंह—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—दुर्भिक्ष सहायता—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत १९,६७,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५—दुर्भिक्ष सहायता—लेखा शीर्षक ५४—दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि को संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत १९,६७,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४७—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा

श्री गिरधारीलाल—मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत—लेखा शीर्षक ८१—राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी-लेखा के अन्तर्गत ९,६०,५२,६०० रु० की मांग वित्तीय वर्ष १९५७-५८ के लिये स्वीकार की जाय ।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। राज्यपाल ठीक है या गवर्नर महोदय ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण दें ।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—कांस्टीट्यूशन जो अंग्रेजी का है, उसमें तो "गवर्नर" लिखा है लेकिन कांस्टीटुएंट असेम्बली का जो अथराइज्ड अनुवाद हिन्दी में है, उसमें "राज्यपाल" लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि दोनों अपनी जगह पर ठीक हैं।

श्री अध्यक्ष—(निर्माण मंत्री से) आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री गिरधारीलाल—अध्यक्ष महोदय, इस ग्रांट के सिलसिले में मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना ही बतला देना चाहता हूं कि यह साधारण राजस्व के बाहर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके मातहत दो आइटम्स भवन के लिये और बिल्डिंग्स और रोड्स के लिये हैं। इन दोनों मदों में से इसमें रुपया खर्च किया गया है।

जहां तक भवनों का ताल्लुक है, उसमें ६,४४,१७,४०० रु० की व्यवस्था की गयी है जिसमें से ८८,२६,९०० रु० की धनराशि उन निर्माण-कार्यों के लिये भी सम्मिलित है, जिनके लिये जाने का प्रस्ताव इस बजट वर्ष में किया गया है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से पाइलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत इंडस्ट्रिअल स्टेट्स बनने हैं, जिनमें से एक तो मेरठ में तथा एक वाराणसी में बनने की स्कीम है। इसके लिये १३ लाख ९८ हजार रुपया है। पीलीभीत जिले के भूमिहीन श्रमिकों और अशिक्षित बेकारों के पुनर्वास के लिये १२ लाख ५० हजार रुपया बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये रखा गया है। बरेली और झांसी में नये डिप्लोमा इंस्टीट्यूट के भवनों के लिये ५ लाख रुपया, राज्य में माल विभाग के कुछ भवनों के निर्माण अथवा उन के विद्युतीकरण के लिये ६ लाख ५७ हजार रुपया, जो इसके अलावा ५ करोड़ ५५ लाख ९० हजार ५०० रुपया उन कामों के लिये रखा गया है जो पिछले सालों से चल रहे हैं उनको आगे के लिये जारी करना है और पूरा करना है। इसके अलावा यातायात के दूसरे मूल निर्माण-कार्य हैं, इसके लिये २ करोड़ ९२ लाख ८० हजार २०० रुपया रखा गया है, जिसमें से २९ लाख १५,३०० रुपया की धनराशि उन नई सड़कों के निर्माण के लिये है, जो इस बजट वर्ष के अन्दर निर्माण की जायंगी और इसके अलावा जो ऊपर की धनराशि है, उसकी प्रमुख मदें इस प्रकार से हैं कि नई सड़कों के निर्माण के लिये १३ लाख २८ हजार रुपया और वर्तमान सड़कों के लिये ४ लाख ३१ हजार रुपया, पुलों के निर्माण के लिये ३ लाख ७१ हजार रुपया, लखनऊ की कंधारी बाजार की सड़क के लिये २ लाख रुपया रखा गया है। २ करोड़ ६३ लाख ६४ हजार ९०० रुपये की धनराशि जो पिछले साल से काम चल रहे हैं उनको चालू करने के लिये और पूरा करने के लिये रखी गई है। इसके अलावा विविध प्रकार के कुछ और खर्चे हैं।

श्री कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)––प्वाइन्ट आफ आर्डर। क्या मंत्री जी अपना व्याख्यान पढ़ सकते हैं?

श्री अध्यक्ष––वह बजट की स्पीच पढ़ सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल––इस मद में १४ लाख ७५ हजार की धनराशि रखी गई है, जिसमें चालू निर्माण-कार्य शामिल हैं। इसकी प्रमुख मदें इस प्रकार हैं–– बनारस के घाटों के लिये १० लाख रुपया, शहीदों के स्मारकों के लिये ३ लाख रुपया रखा गया है और लखनऊ में खेलकूद के स्थान के निर्माण के लिये १ लाख ६५ हजार रुपया रखा गया है। इसके अलावा टूल्स एण्ड प्लाण्ट्स की मद में ५ लाख ८० हजार की रकम रखी गई है, जिससे उपकरण स्थिर-यंत्र लगाये जायेंगे। एक रकम और है ३ लाख की, जो सार्वजनिक निर्माण-कार्य के डिवीजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये है।

इसके बाद मैं इस वक्त सदन का अधिक समय नहीं लूंगा और केवल इतना बताऊंगा कि इस विभाग का जो काम है वह अपने ही आप सबको प्रकाश दिखला देता है, इसलिये मैं बाद में जो कहना होगा, कहूंगा। इस वक्त इतना कह देना मैं जरूरी समझता हूं कि आजादी से पहले हमारे सूबे में ५ हजार मील से कम पक्की सड़कें थीं और अब वे सड़कें दस हजार मील हो गई हैं। इसके अलावा बड़े-बड़े जो हमारे पुल हैं उनमें ३४ बड़े पुल आजादी के बाद बने हैं। इसके अलावा हमारे ४० बड़े-बड़े पुल ऐसे हैं कि जिन पर अभी काम हो रहा है और उन पर करीब ढाई करोड़ रुपया व्यय होगा।

आज के युग में माडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण की बहुत जरूरत है। पहले हमारे यहां कंकड़, की सड़कें होती थीं, पहले इतना ट्रैफिक नहीं था और हम लोग धूल में चलने के अभ्यस्त थे, लेकिन अब हम ज्यादा से ज्यादा तेज गाड़ियों में चलना चाहते हैं, इसलिये जरूरत

[श्री गिरधारी लाल]

हैं कि हमारी सड़कें आजकल के ट्रैफिक के लिये बढ़िया हों। अब हम अपनी पुरानी कंकड़ की सड़कों पर तारकोल बिछाते हैं और पत्थर डाल कर उनपर टार करते हैं, इस तरह से सड़कों का आधुनीकरण होता जाता है और उनकी संख्या बढ़ती जाती है . . . .

(इस समय १२ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

और उसमें काफी किफायत भी होने लगी है। इसका ढाई, तीन हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये प्रति मील का खर्चा होता है। हमारे प्रदेश के अन्दर पहले करीब १८ सौ मील लम्बी आधुनिक ढंग की सड़कें थीं, जो आज लगभग ३९ सौ मील हो गयीं।

इसके अलावा १९५६-५७ में जो काम हुआ है, उसका भी जिक्र कर देना चाहता हूं। १९५६-५७ में दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई जिसके मातहत जबकि हमने नई-नई सड़कों को अपने हाथ में लिया और उसके साथ ही हमने उन सड़कों को भी, जो पहले से अधूरी थीं, उनको भी हाथ में लिया और उनको पूरा किया, जिनके पूरा करने से करीब ४५.६ फी सदी काम पूरा हो गया, जिसकी वजह से २७० मील सड़कें बन गयीं और १८० मील लम्बी सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया है और इसके अलावा कई एक पुल भी बने हैं।

जहां तक १९५६-५७ में खर्चे की बात है, उसके लिये सदन ने इस मद में ३ करोड़ १४ लाख रुपया मंजूर किया था, जबकि ३ करोड़ ३४ लाख ७२ हजार रुपया खर्च हुआ। मैं इतना और बतला देना चाहता हूं कि हर एक की यह इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनें। विभाग और सरकार की भी इस बात की ख्वाहिश है कि जिस वक्त भी धन मिल जाता है कहीं से, उस वक्त कुछ और कामों को भी ले लिया जाता है। तो इस तरीके से पिछले वर्ष हमें और विभागों में इकोनामी होने की वजह से करीब १ करोड़ ३६ लाख ६० हजार रुपया मिला, जिसकी वजह से एक ऐडीशनल प्लान तैयार किया गया और सूबे के अन्दर १५१ मील लम्बी, सड़कें बनीं और २३ मील लम्बी सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया। इस ऐडीशनल प्लान के अन्दर, जहां बहुत सी कैनाल रोड्स थीं, सर्विस रोड्स थीं, इनके अलावा करीब ३०० मील लम्बी श्रमदान की सड़कों को लिया गया, जिसमें १५ लाख रुपया खर्च किया गया।

अब मैं उन कामों की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि बेकारी, अनएमप्लायमेंट रिलीफ की मद के मातहत हुए। इसमें पहाड़ी इलाके में सड़कें बनीं। बुद्ध जयन्ती के सिलसिले में हमारे प्रदेश के अन्दर करीब ९५ लाख रु० खर्च करके कई एक सड़कें बनीं और कुछ भवन भी बने।

जैसा मैंने कहा विभाग ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता है, लेकिन धन की कमी है। जितने पुलों की हमें जरूरत है, उतने पुल धन की कमी की वजह से नहीं बन पाये। लिहाजा यह सोचा गया कि जो पुल बने हैं उन पर टोल लगाया जाय, और टोल लगाया गया और हम समझते हैं कि उससे बहुत से पुल और बना सकेंगे। बहुत से माननीय सदस्यों की यह ख्वाहिश थी कि जो पैदल यात्री हैं उनके ऊपर टोल न लगे। चुनांचे हमने उस बात को मान लिया और यह तय किया गया कि जो पैदल यात्री हैं उन पर कोई भी, किसी तरह का टोल नहीं लगेगा।

जहां तक इस वर्ष का ताल्लुक है, इस वर्ष में भी पिछले वर्ष की प्लान की जो सड़कें हैं, उसमें से करीब ३० फीसदी सड़कों के पूरे होने की उम्मीद है, जिससे ३२० मील लम्बी सड़कें बन कर तैयार हो जायंगी और १५५ मील सड़कें ऐसी होंगी, जिनका मौडरनाइजेशन होगा और २० पुल बन करके तैयार होंगे। जहां तक ऐडीशनल प्लान का संबंध है इसके ऊपर इस वर्ष में करीब २४ लाख १६ हजार रुपया खर्च होना है।

अब जहां तक इकोनामी, किफायतशारी की बात है उसकी तरफ भी महकमे ने हमेशा ध्यान रखा है। कंटिन्जेंसी की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान गया और सरकार ने भी उसको देखा। अब उसको ५ परसेंट से घटाकर ३ परसेंट कर दिया गया है।

वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट भी दो परसेंट से डेढ़ परसेंट कर दिया गया। इसके अलावा जहां तक इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे का सवाल है इस्टैब्लिशमेंट के खर्चे के ऊपर विभाग ने हमेशा काफी किफायतशारी करने की कोशिश की है। ५३–५४ में इस विभाग का इस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो खर्चा था, वह ६.८ परसेंट था। १९५४–५५ में ६·३ हो गया और आज यानी ५६–५७ में ५.१ है। इस वर्ष हमें उम्मीद है कि वह करीब साढ़े चार परसेंट होगा। जहां तक बजट के अन्दर जो मदें रखी गयी हैं, वे किसी तरीके से खर्च की जायंगी, उसके सिलसिले में मैंने बतलाया और इस बजट में पूरी की पूरी जो धनराशि है, जिसका कि मैं पहले जिक्र कर चुका, वह सब की सब कम्यूनिकेशन्स के निर्माण के लिए और उसके सुधार के लिए है। मैं अब सदन का और अधिक समय न लेकर सदन से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वह इस अनुदान को स्वीकार करे।

कांग्रेस पक्ष तथा विरोधी पक्ष को आय-व्ययक पर विचार में समान समय देने पर आपत्ति

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से भाषण सम्बन्धी व्यवस्था का एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। कल और परसों के वाद-विवाद के आधार पर आप देखेंगे कि उस पक्ष के लोगों को एक और इस पक्ष के लोगों को एक, दोनों ओर से एक-एक वक्ता को अवसर दिया गया है जब कि संख्या यहां इस तरफ उधर से दुगनी है। तो इधर के दो और उधर के एक वक्ता को बोलने का समय मलना चाहिए, क्योंकि जब दोनों पक्षों के लोग उत्तम-उत्तम सुझाव देते हैं तो कोई कारण नहीं है कि जो दूनी संख्या में सदस्य हैं उनमें से बहुतों को समय न मिले। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इधर के लोगों को ज्यादा समय दिया जाना चाहिए।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)––उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने श्रीमान् से जो निवेदन किया है उस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और तीन चार दिन पहले इस आदरणीय सदन में निवेदन भी कर चुका हूं कि संसदीय प्रथा यही है कि एक स्पीकर एक पक्ष का होगा तो दूसरा स्पीकर दूसरे पक्ष का होगा। यह सर्वमान्य है, कुछ कहने की जरूरत नहीं कि बहुमत की तादाद हमेशा ज्यादा होती है, लेकिन अल्पमत को सदन में मौका, जो बहुमत की तादाद है, उसके अनुपात में कहीं नहीं दिया जाता है। मैं आपकी सेवा में निवेदन करूंगा कि इस आदरणीय सदन की भी यही प्रथा, जब इसके पूर्व मैं इस सदन का सदस्य था, कि एक स्पीकर उस तरफ का तो दूसरा स्पीकर इस तरफ का रहा इसमें जो दोनों पक्षों की संख्या होती है उसके अनुपात से समय नहीं दिया जाता।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां तक बजट के वाद-विवाद का प्रश्न है तो यह इस आदरणीय सदन में भी माना जा चुका है और बाहर भी यही प्रथा है कि अपोजीशन को ग्रान्ट पर कटमोशन के स्पांसर करने का अधिकार है। जो उस पक्ष के लोग हैं, जो सरकार के समर्थक हैं उनको यह भी मौका नहीं मिलता कि कहीं किसी चीज के ऊपर कटौती करने का प्रस्ताव वह कर दें, और यह इसलिए भी है। मैं निवेदन करूं कि जो उस तरफ के सदस्य बैठे हुए हैं, वह प्रस्ताव पेश भले ही कर दें, लेकिन जब वोट देने का समय आयेगा तो या तो वह उसे वापस ले लेंगे या वोट अगर देंगे, तो ग्रान्ट को मंजूर करने के लिए देंगे। इसलिए जितने भी कटमोशंस हैं उनको स्पांसर अपोजीशन करता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रथा श्रीमन्, इस सदन में कायम कर दें कि बजट, ही नहीं, बल्कि जो भी कार्यवाही हो, उसमें एक स्पीकर इस तरफ का बोले

[श्री त्रिलोकी सिंह]

तो दूसरा स्पीकर दूसरी तरफ का बोले, और यह भी संसदीय प्रथा है कि एक तरफ का अगर कोई लीडर बोलता है तो दूसरी तरफ से भी लीडर बोलता है, और संयोग से यहां इस तरफ कई दल भी हैं। लीडर, लीडर को फालो करता है और बैक बेंचर बैक बेंचर को फालो करता है। मैंने इस सम्बन्ध में जैनिंग्स की पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ५२ की तरफ श्रीमन्, का ध्यान आकृष्ट किया था और यदि आवश्यकता हो तो पुस्तक कमरे में है, मंगा कर मैं आपकी सेवा में भेंज दूं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--मान्यवर, यह संसदीय प्रथा की बात माननीय नेता विरोधी दल ने जो कही वह तो ठीक ही है और उसमें किसी को मतभेद नहीं हो सकता। लेकिन इस सदन में संख्या का भी ध्यान इसलिए रखना जरूरी है कि संख्या जब थोड़ी है तो कैसे एक इस तरफ और एक उस तरफ देंगे। यह तो संभव नहीं, जहां तीन आदमी और एक आदमी का रेश्यो हो, वहां दोनों तरफ से एक-एक आदमी को बोलने का अवसर दिया जाय। अगर दोनों की संख्या बराबर होती तब तो वह संभव होता, लेकिन विरोधी दल में बहुत कम लोग हैं और धीरे-धीरे सब लोग बोल लेते हैं और उनको फिर दोहराने व तिहराने का मौका मिल जाता है और इधर वालों को अच्छे सुझाव देने का मौका नहीं मिलता। ट्रेजरी बेंचेज के जो लोग हैं उनका वोट तो सरकार के साथ निश्चित है, लेकिन सुझाव की बात हर क्षेत्र से आनी चाहिये। हर क्षेत्र के माननीय सदस्य को अधिकार है कि वे सुझाव दें। औपचारिक ढंग से उधर से कटमोशन आते हैं, लेकिन विचारों के स्पष्टीकरण के लिये और हर एक माननीय सदस्य को अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिये सदन में भाषण करने का अवसर मिलना चाहिये। इसलिये मैं विरोधी दल के नेता से अनुरोध करूंगा कि परम्परा तो ठीक है और उनकी तरफ से सदस्य बोलें, लेकिन दोहराया जाय या तिहराया जाय यह ठीक नहीं मालूम होता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मेरा प्रस्ताव माना जाय।

***श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुजफ्फरनगर)--जहां तक माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने संसदीय प्रथा का जिक्र किया है उसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन जो प्रजातांत्रिक प्रणाली का जिक्र उन्होंने अमेरिका और इंगलैण्ड की पार्लियामेंट का किया उसके मुतालिक इतना निवेदन मैं करना चाहता हूं कि वहां पर अपोजीशन और सरकारी पक्ष के दलों में बहुत बड़ा अन्तर नहीं होता है। इसलिये वहां तो यह न्यायसंगत सा प्रतीत होता है, लेकिन यहां जब इतना बड़ा अन्तर है एक और दो का, जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा, तो मैं भी यही निवेदन करूंगा कि हर व्यक्ति को, हर दल के व्यक्ति को उसके दल की संख्या के अनुपात से बोलने का मौका दिया जाय, अपने विचार प्रकट करने के लिये, जिससे प्रदेश के ऐडमिनिस्ट्रेशन में और एफिशियेंसी में वृद्धि होगी और हर आदमी को अपने विचार रखने का मौका मिल सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष--मेरे सामने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, संभवतः माननीय दीपनारायण मणि त्रिपाठी जी ने उस दिन माननीय नेता विरोधी दल की बात नहीं सुनी। उस दिन भी उन्होंने मेरा इस बात पर ध्यान दिलाया था। संसदीय परम्परा का जहां तक सवाल है खासतौर से बजट में तो एक वक्ता के बाद दूसरे वक्ता को मौका दिया जाना चाहिये और उन्होंने जेनिंग्स की किताब का उद्धरण दिया था और साथ ही साथ पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस का भी, जिसमें लिखा है कि काफी समय विरोधी दल को मिलना चाहिये ताकि वह उस पर समुचित सुझाव दे सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप जानते हैं कि बजट जो है वह किसी प्रदेश या देश की सरकार का आइना होता है और यह उचित ही है कि उसी संसदीय परम्परा के अनुसार यहां भी विरोधी दलों को काफी सुझाव देने का मौका मिले और उस आइने में किसी दुरुस्ती की जरूरत हो तो वह हो जाय। इसलिये मैं माननीय नेता विरोधी दल की राय से सहमत हूं और उनके प्रश्न उठाने के पहले ही मैंने यह परम्परा कायम की थी और उसी हिसाब से पहले भी वक्त दिया था और अब भी दे रहा हूं। लेकिन यह ध्यान जरूर है कि माननीय सदस्यों के क्षेत्रों की ओर भी ध्यान दिया जाय। इसलिये कोई बहुत ही सख्ती से इसकी पाबन्दी नहीं हो सकती, लेकिन बजट में उसका ही पालन करूंगा।

जहां तक सवाल है संख्या का, मेरा ध्यान उस तरफ आकृष्ट किया गया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ ५ पार्टियां हैं जो कि विभिन्न रीति-नीति रखती हैं। तो यह भी हो सकता है कि ५ आदमियों को फिर से मौका दिया जाय, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक ही प्रोग्राम है। इसलिये यह दलील कुछ जंचती नहीं। ऐसी हालत में इस देश और विदेशों में जो परम्परा है वही बजट के भाषणों के सिलसिले में लागू होनी चाहिए और उसी परम्परा का निर्वहन इस सदन में होगा। ट्रेजरी बेंचेज को कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन विरोधी दल को काफी मौका बजट पर भाषण देने का मिल सकेगा, लेकिन मैं इसका भी ख्याल रखता हूं और एक ही सदस्य को बार-बार भाषण करने का मौका नहीं दे रहा हूं और मेरा ख्याल है कि रोजाना ही नये लोग बोल रहे हैं और इस तरफ से कांग्रेस पार्टी और विरोधी दल दोनों दलों के सदस्यों को सुविधा प्राप्त हो रही है। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल का सुझाव था, वह संसदीय परम्परा सर्वमान्य है और उसी का अनुकरण इस सदन में भी होगा।

भाषणों के लिये समय निर्धारण

श्री त्रिलोकीसिंह---एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि आज, कल और परसों जो विवाद होगा, उसमें जो कटौती के प्रस्ताव करें उन्हें २० मिनट का समय और अन्य भाषणकर्ताओं को १० मिनट का समय दिया जाय, किन्तु जो भी सभापति हों या अध्यक्ष हों वे इस बात का ध्यान रखें कि जो मुख्तलिफ दल हैं उनके नेता यदि बोलना चाहें तो उनको १० मिनट से अधिक समय दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, इसलिये समय के बारे में यही बटवारा रहेगा।

१९५७-५८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ४७---लेखा शीर्षक ८१---राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी-लेखा---(क्रमागत)

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ग्रान्ट नम्बर ४७ पर जो ९,६०,५२,६०० रुपये की मांग गयी है, उसमें से एक रुपये की कमी कर दी जाय।

इसकी ताईद में श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यों देखा जाय तो हम निर्माण-काल में चल रहे हैं, यह हमारा डेवलपमेंट पीरियड है और यह भी सत्य है कि सरकार ने घाटे का बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है। एक सीधी सी मानी हुई बात है कि निर्माण-काल में सिविल वर्क्स के ऊपर बहुत कम खर्चा किया जाता है, बिल्डिंग के ऊपर बहुत कम खर्चा किया जाता है, क्योंकि बिल्डिंग का खर्चा ऐसा होता है, जिससे कोई मुनाफा तत्काल या डेवलपमेंट की तरफ कोई विशेष प्रगति नहीं होती है। तो घाटे के बजट में, बिल्डिंग के ऊपर तथा सिविल वर्क्स के ऊपर बहुत कम खर्चा होना चाहिये, लेकिन अबके मौजूदा बजट में यह बात नहीं रखी गयी है।

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

श्रीमन् देखा जाय, पिछले वर्ष के बजट में सन् १९५६-५७ में साढ़े नौ करोड़ रुपया सिविल वर्क्स के ऊपर खर्चे का एस्टीमेट रखा गया था, लेकिन जब वह रिवाइज किया गया, रिवाइज्ड एस्टीमेट आया, तो वह ६,२०,००,००० रह गया, यानी ३ करोड़ की कमी हुई। तो हमें यह डर है श्रीमन्, कि कहीं इस साल भी वही हश्र न हो जो पिछले साल के बजट के सिलसिले में हुआ। आज खर्चा कुछ आंका जाता है और कुछ दिनों के बाद जब रिवाइज्ड एस्टीमेट रखा जाता है तो ३ करोड़ और ४ करोड़ कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि खर्चे का सही अन्दाजा और किस स्कीम में कितना खर्चा होने वाला है इसका अन्दाजा और हिसाब-किताब सरकार ठीक तरह से नहीं लगा सकती है, लेकिन डर है श्रीमन्, इस साल जो सिविल वर्क्स में अनुदान रखा गया है कहीं वही नतीजा न हो जो पिछले साल हुआ था। यदि हम देखें तो शिक्षा के ऊपर पिछले साल ७७ लाख रुपये ऐस्टीमेट के अन्दर रखे गये थे, लेकिन जब वह रिवाइज किया गया तो केवल ४,६५,००० रुपया रह गया। इसी प्रकार से उसे भी अगर हम देखें और गौर करें तो उससे भी यही अंदाजा लगता है कि शिक्षा के ऊपर जो खर्चा हुआ उसका भी सही अंदाजा नहीं रखा गया है और योजना पर कितना खर्च आया इसका कोई सच्चा और सही हिसाब नहीं था।

श्रीमन्, इस साल देखें कि शिक्षा के ऊपर ८७ लाख रुपया रखा गया है तो हमें यही डर है कि इसका भी वही हश्र न हो जो पिछले साल रखा गया था और रिवाइज्ड ऐस्टीमेट में कमी करनी पड़ी। मेडिकल विभाग में पिछले साल जो १,५५,००,००० रुपया.....

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बजट की ग्रान्ट नम्बर ४७ है जिस पर हम डिसकशन कर रहे हैं और माननीय सदस्य पूरे बजट पर डिसकशन कर रहे हैं, जिसका यह मौका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--ग्रान्ट को अगर आप गौर से देखें तो इसमें सभी विभागों के लिये भवन निर्माण का प्रश्न है। इसलिये वह नियमानुकूल बोल रहे हैं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--श्रीमन्, सिविल वर्क्स में हर विभाग के लिये एलाटमेंट होता है। इसमें जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन से लेकर एजूकेशन, पब्लिक हेल्थ, इंडस्ट्रीज, मिसलेनियस डिपार्टमेन्ट्स, पुलिस और कम्यूनिकेशन आदि सभी विभाग आ जाते हैं। इसलिये सिविल वर्क्स पर कटौती का प्रस्ताव पेश करने के बाद मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले साल बजट में जो एलाटमेन्ट हुआ था और अनुदान दिया गया था और इस साल जो तखमीना रखा गया है उसका मुकाबिला करके सही माने में जो पिछले साल खर्च हुआ था उसकी ओर मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया था। मैं निवेदन कर रहा था कि मेडिकल विभाग पर जो एलाटमेंट हुआ था वह १,५५,००,००० रखा गया था, लेकिन बाद में एलाटमेन्ट रिवाइज हुआ तो ६२ लाख रुपया ही रह गया। इस साल इसमें ९६ लाख रुपया रखा गया है, मेडिकल डिपार्टमेन्ट के एलाटमेन्ट के लिये तो इसमें हमें संदेह है।

श्री सुल्तान आलम खां--मैं यह अर्ज करना चाहता था कि जो ४७ नम्बर की ग्रांट है उसमें हर महकमे को इमारत बनाने के लिये रुपया दिया गया है, लेकिन डिपार्टमेन्ट्स के खर्चे अलग-अलग दिये गये हैं। इसलिये पूरे डिपार्टमेन्ट्स के क्रिटिसिज्म का यह मौका नहीं है। यहां पर तो जहां तक इमारतों का ताल्लुक है उसी पर कहा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--मेरा ख्याल है कि रिफ्रेंस देने का उनको हक है, इसलिये उसी तक आप (श्री पद्माकर लाल से) अपने को सीमित रखें।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--मैं तो इसको रिफ्रेंस तक ही सीमित रख रहा हूं और ब्योरे में नहीं जा रहा हूं। कितनी इमारतें बनीं और जो खर्चे का ब्योरा है उसको नहीं ले रहा हूं, बल्कि रिफ्रेंस के लिये केवल जिक्र कर रहा हूं।

तो १ करोड़ ५५ लाख रुपये का जो एलाटमेन्ट था मेडिकल डिपार्टमेन्ट की इमारतों के लिये या अन्य निर्माण कार्यों के लिये वह बाद में जब रिवाइज्ड हुआ तो सिर्फ ६२ लाख रह गया। इसके पीछे सरकार के पास कोई सही खर्चे का हिसाब नहीं था। इस समय ५९ लाख का एस्टीमेट रखने के बाद हम क्यों न वही नतीजा निकालें जो पिछले साल के बजट के साथ हुआ था। फिर श्रीमन् देखा जाय तो ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में अबके साल अनुदान की रकम बढ़ा दी गयी है, ७ लाख से १५ लाख कर दी गयी है और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में भी पिछले साल २७ लाख था जो बढ़ा कर अबके साल ४५ लाख कर दिया गया है। इसी तरह पुलिस का पिछले साल २७ लाख था, जो इस साल बढ़ा कर ६३ लाख कर दिया गया है। श्रीमन्, देखा जाय तो पुलिस और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के खर्चे में इजाफा किया गया है और शिक्षा आदि महकमों के लिये कम कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष––आप ४७ नम्बर के अनुदान की ही संख्याएं बता रहे हैं?

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव––जी हां। मैं पिछले साल और इस साल दोनों का मुकाबिला करके बता रहा हूं। यातायात के ऊपर पिछले साल रिवाइज्ड बजट ३ करोड़ ४१ लाख रुपये का था और अबके साल वह केवल २ करोड़ ७८ लाख रखा गया है। इसके माने यह हैं कि ६३ लाख की इसमें कमी की गयी है।

एक चीज और है। असेम्बली हाल में लाउड स्पीकरों के सम्बन्ध में अब तक चार हजार रुपये सालाना में काम चल जाता था। अब उस प्रबंध को हटा कर १ लाख ४० हजार रुपये के लाउड स्पीकर्स इस असेम्बली भवन में लग रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि काफी रुपया और इस सम्बन्ध में खर्च करना पड़ेगा। जो लाउड स्पीकर लगने जा रहे हैं, उसके लिये जरूरत इस बात की होगी कि इस हाउस को एअर कंडीशन किया जाय। जब तक यह हाउस एअर कंडीशन नहीं हो जायगा, तब तक वह लाउड स्पीकर इन पंखों के चलते हुए काम नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूं कि यह चीज साफ तो नहीं जाहिर होती है, लेकिन जनता में जो आमतौर से एक टीका टिप्पणी चल रही है और हिल एक्सोडस के बारे में जो आलोचना है, उसका आनन्द दूसरे रूप में यहां ही लेने का प्रबन्ध यह सरकार कर रही है। क्या जरूरत है कि जब केवल ४,००० रुपये सालाना के खर्चे से इस हाउस में लाउड स्पीकर का प्रयोग संभव है और हो जाता है, तो एक लाख रुपये से ज्यादा खर्च करके दूसरे प्रकार के लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जाय?

श्री उपाध्यक्ष––यह बजट ज्यादातर माननीय अध्यक्ष की सहमति से होता है तो इसके बारे में अधिक टीका-टिप्पणी न करें, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने खिलाफ ही बोल रहे हों। इसलिये आप अब दूसरी मद पर बोलें।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव––श्रीमन्, यह सिविल वर्क्स में जो काम होते हैं उनके सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मद के अन्दर कितना करप्शन और कितनी फिजूलखर्ची है। इसमें तमाम नाजायज खर्च और करप्शन होता है और उसके कारण कितना रुपया जनता का बरबाद होता है। कई माननीय सदस्यों ने करप्शन का जिक्र करते हुए और कई विभागों का जिक्र किया। मैं उसके ज्यादा विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। यह मानी हुई बात है और उधर के भी कई माननीय सदस्यों ने माना है कि करप्शन इस वक्त बहुत ज्यादा है। उसका कारण यह पहले की गुलामी की जिन्दगी बतलाते हैं, लेकिन मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह जो फिजूलखर्ची, करप्शन, भ्रष्टाचार और घूसखोरी ज्यादा फैली हुई है, इसका कारण गुलामी की जिन्दगी नहीं, बल्कि यह जो १० साल तक कांग्रेस का राज्य रहा, वह है।

[श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव]

इसमें भ्रष्टाचार अधिक बढ़ा है। मेरा नम्र निवेदन है कि जो निर्माण के नाम पर नये टैक्स लगाने की बात की जाती है, वह बहुत हद तक खत्म हो जाती है। अगर इस फिजूल-खर्ची और भ्रष्टाचार को रोका जाय, तो उस के लिये कोई स्कीम बनाई जाय। ऐसा करने से नये टैक्स बहुत कम लगाने पड़ेंगे और निर्माण का काम ज्यादा हो सकेगा।

सिविल वर्क्स में जो निर्माण की स्कीम्स हैं वह बिल्कुल अव्यवस्थित हैं। कहां पर पुल बनना है, कहां पर सड़क बननी है, कहां पर पुलिया बननी है, इसका ध्यान सरकार नहीं रखती है। लखनऊ और इलाहाबाद की पहले से खूबसूरत सड़कों को चौड़ा करने में और उनको ज्यादा खूबसूरत बनाने में रुपया खर्च किया जाता है, और जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां यातायात के कोई साधन नहीं हैं, मीलों तक सड़क या पुल नहीं हैं, वहां जाने के लिये कोई साधन इस कांग्रेस सरकार की तरफ से मुहैय्या नहीं किया जाता है। मैं श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि तराई का इलाका है, पर्वी जिले हैं, इनमें आवागमन के साधन न होने के कारण लोगों की जिन्दगी पर बुरा असर पड़ता है। वह आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि ऐसे क्षेत्रों में अधिक पुल और सड़कें होनी चाहियें। लखनऊ और इलाहाबाद काफी खूबसूरत हैं, इनको हम और ज्यादा खूबसूरत नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि जो पिछड़े इलाके हैं, जहां गरीबी है, तंगी है, उनकी हालत सुधारने के लिए निर्माण के कार्य किये जायं।

श्रीमन्, बड़े-बड़े पुल और बड़ी-बड़ी योजनाएं आज देश के लिये जरूरी नहीं हैं। मैं आपके द्वारा इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि देहात के रहने वाले, जिनके लिये आज बरसात में निकलने के रास्ते नहीं हैं, उनके लिये जितनी फायदेमन्द छोटे-छोटे पुलों की योजना और सड़कों की योजना हो सकती है, उतनी कारामद उनके लिये बड़ी सड़कें और पुल नहीं हो सकते हैं। आप बड़े बांध बनाइये और बड़े पुल बना लीजिये और लखनऊ और इलाहाबाद में सड़कों को चौड़ा कर लीजिये, लेकिन याद रखिये देहात की रहने वाली जनता जरा भी अहसास नहीं करेगी कि आपने कोई तरक्की का काम किया है जब तक कि आप देहात के रहने वाले लोगों की जिन्दगी के लिये कोई राहत न पहुंचायें। अपने गांवों से बाहर जाने के लिये, यदि आपने उनके लिये पुल नहीं बनाया और आपने आवागमन का उनके लिये साधन उपस्थित नहीं किया, तो उनके लिये कुछ नहीं किया। देहात में छोटे-छोटे नाले होते हैं और छोटी-छोटी नदियां होती हैं और उनके गांव ऐसे तालाबों से घिरे होते हैं कि हजारों बीघे जमींन में फसलें नष्ट हो जाती हैं। छोटे पुल और नाले बना कर उनकी फसलों को बचाया जा सकता है। जब तक आप इस तरह के छोटे कामों को पूरा नहीं करेंगे, तब तक सही मानों में तरक्की की तरफ हमारा देश अग्रसर नहीं हो सकता है। इस बात को आप यकीन मानिये।

श्रीमन्, यहां जो भ्रष्टाचार होता है, उनकी चर्चा की गयी। हमारे माननीय सदस्य गौरीशंकर जी ने बजट के सिंचाई सम्बन्धी अनुदान पर चर्चा करते हुए बलिया में पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर के ऊपर बहुत गहरे आरोप लगाये। इसी तरह से अन्य जगहों के सम्बन्ध में भी भ्रष्टाचार के काफी गहरे आरोप हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा और एक बार इसी सदन में यह बात कही जा चुकी है कि आज देखा जाय तो जो एक मामूली ओवरसियर है या इंजीनियर है, उसके जीवन के रहन-सहन का स्तर कितना ज्यादा ऊंचा है। हजार रुपये के महीने से कम उनको नहीं पड़ता है। उनके बैंक बैलेन्स को देखा जाय तो काफी रुपया मिलेगा। एक ओवरसियर की ३ साल की

नौकरी में २५० रु० तनख्वाह पर इतने रुपये जमा करना आसान नहीं है। उनकी औरतों के नाम रुपया जमा रहता है। उनके बच्चों के नाम भी रुपया जमा रहता है। क्या यह किसी से छिपी हुई बात है? वह कहां से ले आते हैं? छोटी-छोटी आपकी योजनायें बनती हैं। एक लाख की योजना है तो उसमें से ५० हजार रुपया फिजूलखर्ची और भ्रष्टाचार में चला जाता है। केवल ५० हजार रुपया ही काम में आता है।

अन्त में श्रीमन्, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय, उन दलीलों के मातहत, जिनका मैंने अभी सदन के सामने जिक्र किया है।

फिजूलखर्ची के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि लखनऊ में ५० हजार की लागत पर एक स्वीमिंग पुल बन रहा है। आखिर यह यहां पर किस लिये बनाया जा रहा है। यह केवल फिजूलखर्ची है। ७५ हजार रुपया जीपों के लिये खर्च किया जा रहा है। यह भी फिजूलखर्ची है। डिप्टी मिनिस्टर्स के घरों के लिये ९५ हजार रुपया केवल फर्नीचर में खर्च किया जायगा, यह भी फिजूलखर्ची है। जिस तरह से यह अपव्यय किया जा रहा है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कौंसिल भवन के सामने सड़क बन्द करने की एक योजना है, जिसमें करीब ४ लाख रुपया व्यय किया जायगा। आखिर यह सड़क क्यों बन्द की जा रही है और इसका क्या तात्पर्य है। इससे आप कौन सी प्रगति हासिल करने जा रहे हैं, जिससे आपको ४ लाख रुपया खर्च करने की आवश्यकता पड़ गयी। यह सब रुपये का अपव्यय किया जा रहा है। अगर इस रुपये को किसी पिछड़े हुए एरिया के लिये लगाया जाता––जैसे कि गोंडा या बहराइच तथा अन्य पूर्वी जिले के लिए, तो वहां पर काफी अच्छी सड़क बनायी जाती और उससे जनता के बहुत फायदे का काम हो जाता। जो यह सड़क बनायी जा रही है उसमें रास्ते के जो मकान तोड़े जायंगे उनके लिये पुनः बनाने की एक योजना है, जिसमें ५ लाख रुपया खर्च किया जायगा। आखिर यह स्कीम फिजूल नहीं है तो और क्या कही जा सकती है?

श्री राजेन्द्र दत्त (जिला मुजफ्फरनगर)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के सन्मुख १९५७-५८ के सार्वजनिक बजट के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। यह बात सभी जानते हैं कि हमारे साधन लिमिटेड हैं और हमारी आमदनी मखसूस है और उसको भी तरह-तरह के उपाय करके जुटाया जा रहा है, हालांकि इसके ऊपर भी लोगों ने बड़ा एतराज किया है।

लोग बहुत चर्चा करते हैं कि बहुत टैक्स बढ़ गये। लेकिन जब किसी देश का निर्माण करना होता है, किसी देश को बनाना होता है तो उसके लिये साधन जुटाये जाते हैं, चाहे उसका जनता पर कितना ही बोझ पड़े। तो उन्हीं साधनों के बल पर हम अपने देश को ऊपर उठाने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि जो साधन हम जुटा रहे हैं, और जिस तरह से रुपया हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसको उसी तरह से व्यय किया जाय, जिससे लोगों की निगाह में यह जंच जाय कि हम इस रुपये को अच्छी तरह से व्यय कर रहे हैं, अपव्यय नहीं कर रहे हैं।

[श्री राजेन्द्र दत्त]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब दो सुझाव इस सिलसिले में रखना चाहता हूं कि १५ करोड़ के करीब रुपया सार्वजनिक निर्माण विभाग पर खर्च हो रहा है, जो सारे बजट का सातवां भाग है। यह सही है कि इससे भी ज्यादा रुपया इस पर खर्च किया जा सकता था, क्योंकि किसी देश की उन्नति में Communications का बड़ा हाथ होता है। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के शब्दों में—"Communications of all kinds are essential in any system of planning. There is grave danger that while we produce goods, we cannot transport them easily."

इस बात को ध्यान में रखते हुए पैसा वहां ज्यादा खर्च करना चाहिये जहां कि सरप्लस इलाका हो और जहां पैदावार ज्यादा होती हो, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो किस प्रकार हम वहां की पैदावार को बाहर भेज सकेंगे और जिन इलाकों में अन्न की कमी हो जाती है उसे पूरा कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय निर्माण मंत्री से जो महोदय बातें कर रहे हैं, उन्हें उनकी दाहिनी तरफ से बातें करना चाहिये, चेअर की तरफ पीठ करके उन्हें बात नहीं करनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र दत्त—इस रुपये का इस तरह से व्यय होना चाहिये कि लोगों की निगाह में न खटके और यह रुपया उस इलाके में खर्च होना चाहिये जो अन्न के बारे में सरप्लस के इलाके हैं जिससे लोग मंडियों में आसानी से गल्ला ले जा सकें और उसको दूसरे कमी के इलाकों में आसानी से पहुंचा सकें। मैं आपके सामने इस सिलसिले में एक नजीर रखना चाहता हूं। हमारे यहां बहुत से इलाके ऐसे हैं जो बहुत सरप्लस के इलाके हैं, लेकिन वहां सड़कें नहीं हैं और मंडी तक अनाज लाने में १ रुपया प्रति मन के लगभग व्यय हो जाता है। जिससे उन लोगों को तो नुकसान होता ही है और मारकेट प्राइस पर भी उसका असर पड़ता है। इस वास्ते ऐसे इलाकों में शीघ्रता से सड़कों का निर्माण होना चाहिये।

दूसरा सुझाव यह है कि गवर्नमेंट का जो 'स्टार एन्ड ग्रिड' का फारमूला है उसका भी ठीक से अमल होना चाहिये। बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें सड़कें बहुत ज्यादा हैं लेकिन उन्हीं में और सड़कें बनायी जाती हैं, और जिनमें पक्की सड़कें कम हैं, उनमें कमी रखी जाती है। मुजफ्फरनगर का ५१ जिलों में से ४७ वां नम्बर है उस फारमूले के अनुसार सड़कों में बहुत कमी होने पर भी वहां सड़कें कम बनायी जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उन जिलों के साथ जिनमें उस फारमूले के अनुसार सड़कें कम हैं ज्यादती न की जाय, बल्कि उन्हें इस मामले में तरजीह दी जाय।

जो पंचवर्षीय योजना बन रही है उसमें P. W. D. में एक अजीब तरीके से काम लिया जा रहा है। हमने जिला प्लानिंग कमेटी में तीन चार बार सर्वसम्मत रिजोल्यूशन पास करके भेजा। असिस्टेंट सेक्रेटरी P. W. D. महोदय जब मुजफ्फरनगर गये उनके सामने भी सर्वसम्मत प्रस्ताव रखा लेकिन जब हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखा तो हमें वह सुझाव कहीं नहीं मिले। अपने जिले की बात हम ज्यादा समझते हैं और यहां बैठे हुए चीफ इंजीनियर या डिपार्टमेंट कैसे ठीक समझ सकता है? मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिले के आदमी ही किसी बात को अच्छी प्रकार से समझते हैं बजाय यहां बैठे हुए आदमियों के। उनको इन बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का खूब प्रचार किया। तीन पुल मुजफ्फरनगर में बनना निश्चित हुए थे, लेकिन जब उसका नक्शा हमारे सामने आया, तो उसमें दो ही रह गये। एक बात हम पब्लिक के सामने जाकर कहते हैं और कल को उस पर अमल नहीं होता है तो उसका क्या हश्र होगा और पब्लिक में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों के साथ ऐसी ज्यादती न की जाय। जब पब्लिक के सामने एक चीज रख दी जाय तो उसको पूरा करना चाहिये। लिहाजा पब्लिक के सामने जो भी चीज कहें, वह ऐसी नाप तौल कर होनी चाहिये कि वह पूरी उतरे, ज्यादा बातें बढ़ा कर कभी नहीं कहनी चाहिये। इस वास्ते मैं आपके सामने इस डिपार्टमेंट में सुधार करने के सम्बन्ध में दो-तीन सुझाव रखना चाहता हूं। एक तो यह कि 'स्टार एंड ग्रिड' फारमूला पर पूरी तरह से अमल किया जाय, जिससे सारे जिले को पूरी तरह से फायदा हो। यह नहीं कि एक को तो फायदा हो और दूसरे को नुकसान हो। यह नहीं होना चाहिये कि एक तो कमी में रहे और दूसरा बढ़ता जाय।

दूसरी बात यह है कि जितना काम आज इस रुपये में जो बजट में रखा है, हो रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतने ही रुपये में इससे सवाया काम तो बिल्कुल ही हो सकता है। इसके लिये मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस समय रेट्स बने, उस समय जो महंगाई थी, वह बिलकुल पीक पर थी, लेकिन आज उससे कम महंगाई है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें रेट्स को रिवाइज करना चाहिये। अगर रेट्स कम होंगे तो काम ज्यादा हो सकता है। इस चीज को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिये।

जहां तक इस डिपार्टमेंट के कर्मचारीवर्ग की बात है, जाहिर है कि वह डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें करप्शन बहुत काफी है। सब लोग इस बात को मानते हैं। तो हमको इस तरह का कोई कानून बनाना चाहिये, जिससे जो आफिसर है उनके ऊपर कुछ दबाव पड़े। अगर उनकी शिकायत होती है तो उनका सस्पेंशन किया जाय, उनका प्रमोशन रोका जाय और हो सके तो उनका टर्मिनेशन तक किया जाय। इन चीजों को करने के बाद ही हम करप्शन को दूर कर सकते हैं।

चौथी बात यह है कि सरकार डिपार्टमेंट का मोरेल ऊंचा उठाने का प्रयत्न करे। सरकार कहती रहे कि हमें देश का निर्माण करना है, इसको बनाना है, इसको आगे बढ़ाना है और उसमें सब को सहयोग देना चाहिये। हम मानते हैं कि आपको और जगह नौकरी मिल सकती है और यहां से ज्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन चूंकि इस देश को आगे बढ़ाना है, इसलिये आपको इसके लिये कुछ त्याग भी करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं, जहां तक हो सके, उन पर गौर करके अमल किया जाना चाहिये।

श्री भूप किशोर (जिला एटा)––श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस पंचवर्षीय योजना में पक्की सड़कें तथा गैर पक्की सड़कें लक्ष्य के मुताबिक नहीं बन पायीं और योजना के बाहर भी पक्की सड़कों का जो निर्माण होना था, वह पूरा नहीं हो पाया। सी० सी० ट्रैक की सड़कें पूरी लम्बाई की नहीं हो सकीं। इससे बिल्कुल साफ साबित है कि सरकार अपनी स्कीम को कार्यान्वित करने में असमर्थ हो रही है। पक्की सड़कें जो शहरों में बनने को हैं, उन्हीं की ओर ध्यान दिया गया है और गांवों में जाने वाली सड़कें, जिनका ग्रामीण जनता से सम्बन्ध है, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। वे सड़कें जो ४,००० मील बनने को थीं, वे इस वक्त तक सिर्फ ३,३४० मील ही बन पायी हैं, अर्थात् ६६० मील कम सड़कों का निर्माण हुआ। पंचवर्षीय योजना में कई ऐसी चीजें हैं, जिनको सरकार पूरा

[श्री भूप किशोर]

नहीं करा सकी है। तो इससे साबित होता है कि सरकार अयोग्य है। जैसे स्थानीय पक्की सड़कें, जो मरम्मत होने को थीं, वे ७६ मील थीं, उनमें से सिर्फ वह ५० मील की ही मरम्मत करा पायी; और कच्ची सड़कें ३५७ मील मरम्मत होने की थीं, उनमें से सिर्फ १७८ मील की ही मरम्मत हुई; ३२० मील पक्की सड़कों का निर्माण होना था, उसमें से सिर्फ ८३ मील का ही निर्माण हुआ; सी० सी० ट्रैक का ७६ मील के बजाय सिर्फ २ मील का ही निर्माण हुआ; नयी पुलियों का निर्माण १६१ का होना था, जिनमें से सिर्फ ९९ का ही निर्माण हुआ।

बेरोजगारी दूर करने के लिये ६७८ मील सड़क के बनाने की सैक्शन मिली थी, लेकिन सिर्फ १०९ १/२ मील सड़कें ही बन पायीं। यह प्रयत्न किया गया है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। मजा तो यह है कि ३३ मील ओ० डी० सड़कें बनने को थीं, जिनमें से सिर्फ आधा मील ही बन पायी। सरकार इस बात में हमेशा नाकामयाब रही है कि उस के पास ठीक से काम करने के लिये अच्छे सरकारी आदमी नहीं हैं। जैसे कि हमारे यहां एक पुल का टेंडर लिया गया और अधूरे में ही ठेकेदार ने अपना काम बन्द कर दिया, और बाद में नतीजा यह हुआ कि उसके रेट्स बढ़ाये गये और फिर काम शुरू कराया गया। इस वजह से सरकार को उस काम के लिये ५०-६० हजार रुपया अधिक देना होगा। ऐसी हालत में जब सरकार के पास योग्य आदमी नहीं हैं तो सब से पहले वह अपने यहां योग्य आदमियों की भरती करे और यदि उसने इन अयोग्य आदमियों से काम लिया तो यह अयोग्यता देश को डुबो बैठेगी और कोई काम ठीक नहीं होगा।

मैं देखता हूं कि एटा में सड़कों के निर्माण के लिये कोई धनराशि नहीं रखी गयी है। अलीगंज, एटा का एक पिछड़ा इलाका है, जिसमें सड़कों की बहुत जरूरत है। सराय अगस्त एक बड़ा धार्मिक स्थान है और यहां पर विदेशों से, चीन और जापान तक से बौद्ध यात्री आते हैं। फर्रुखाबाद से सराय अगस्त तक तो सड़क बन गई है, लेकिन अलीगंज तक वह नहीं बढ़ाई गई है और इस अलीगंज की सड़क का कोई जिक्र इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं है। थाना दरयागंज से कासगंज जाने वाली सड़क का बनना भी बहुत जरूरी है, इस पर बहुत यातायात है और यह हमारे जिले के एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाती है। अगर इसका निर्माण कार्य हो जाय तो कलकत्ता से पेशावर तक जाने वाली जी० टी० रोड से हम मिल जायंगे, केवल इस १८-२० मील के टुकड़े का सवाल है। जैथरा से रामपुर तक की सड़क की बहुत जरूरत है, इस पर हमारा एक तीर्थ स्थान कम्पिल है जो बहुत प्रसिद्ध स्थान महाभारत काल से चला आता है। यहां के यात्री रूशमन स्टेशन पर उतरते हैं और आठ दस मील पैदल चलने में परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा घटिया घाट के पुल की भी बहुत जरूरत है, वहां पर भी लोगों को बहुत कष्ट है, फर्रुखाबाद में वह जरूर बनना है, इस तरफ भी सरकार ध्यान दे तो अच्छा है। कछला के पुल से कानपुर १७५ मील तक कोई पुल नहीं है, बरसात के जमाने में उधर उत्तर की ओर जाने में लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और खाद्य पदार्थों तक के पहुंचाने में उत्तर की ओर बहुत परेशानी है। वहां की जनता लाखों की तादाद में आज कल आधा पेट भोजन पाती है। इसलिए घटिया घाट का पुल जरूर बनवाया जाय। इससे जनता को बहुत तकलीफ है, यहां पर सब से ज्यादा आमदरफ्त है और हर साल लाखों रुपया सरकार को ठेके से मिलता है और उसी से अन्दाजा हो सकता है कि कितना ट्रैफिक इस जगह पर है। ऐसी हालत में जब कभी स्त्रियां या बच्चे यहां पानी पार करते हैं तो बड़ी परेशानी और आफत होती है। स्त्रियों को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी मुसीबत से बीच-बीच में पानी में घुस करके साड़ी को समेट कर अपमानजनक तरीके से पार कर पाती हैं।

श्रीमन्, अब मैं प्रोजेक्ट की बनी हुई सड़कों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––जरा लाल रोशनी का भी ध्यान रखिये।

श्री भूपकिशोर––अलीगंज क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत खराब है। कारण यह है कि उन पर कंकड़ वैसे ही डलवा दिया गया और ऊपर से रेत डाल दी गयी जिसकी वजह से सड़कें बिल्कुल खत्म हो गईं। लागत पर १० फीसदी का ठेका होता है जो ओवरसियर ठेकेदार से तय करता है। चुनांचे १० फीसदी लेकर ओवरसियर उस काम को पास कर देता है। इस तरह से सरकार को काफी नुकसान हुआ है।

हरिजनों को जो सरकार कुओं के लिये मदद देती है, एक तिहाई मदद सरकार देती है निर्माण-कार्य करने के लिये, तो वह भी काफी देर से मिलती है, जिसका नतीजा यह होता है कि उन बेचारों को साल भर में करीब उतना ही ब्याज दे देना पड़ता है ६०० रु० का, जिससे वे लोग रुपया उधार लेते हैं, क्योंकि खुद तो उनके पास इतना रुपया कहां है जो लगा सकें, तो मैं चाहूंगा कि जो भी एड आप उनको दें वह पहले दे दी जाय तो अच्छा हो।

श्री सूरत चन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने जो ग्रान्ट नम्बर ४७ के सम्बन्ध में प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि आजादी प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश में निर्माण विभाग के निरीक्षण में जितने भी काम हुए हैं, उनमें काफी प्रगति हुई है। भ्रष्टाचार के लिये जो दूसरी तरफ से आरोप लगाया गया है, मैं यह नहीं मानता कि भ्रष्टचार नहीं है, लेकिन उसके उपाय मौजूद हैं और उनके लिये सरकार प्रयत्नशील है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे श्रमिकों की कोआपरेटिव सोसाइटीज इस प्रकार की नियत करें, जैसे हमने अपने जिले में जंगलात के श्रमिकों की सोसाइटीज नियत की हैं और वह बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं और इस वक्त उनके पास करीब १ लाख रु० से ज्यादा कैपिटल है। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से कहूंगा कि वह कमेटीज हमारे जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों को अच्छी तरह से कर सकती हैं और जो उनके पास लेबर है, स्किल्ड लेबर, वह सड़कों और मकानों के कामों को अच्छे तरीके से और ठीक से कर सकते हैं।

दूसरे मैं यह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे हिल्स में और खास कर टेहरी-गढ़वाल में तो दो, तीन साल हुए जब हमें यह पता चला कि उत्तर प्रदेश में भी पी० डब्लू० डी० विभाग है। टेहरी गढ़वाल को मर्ज्ड हुए करीब ९ साल हो गये और आज तक वहां पर एक मील भी नई सड़क नहीं बन पायी है। सिर्फ पिछले साल धरासू-बड़कोट रोड पर काम किया गया है, लेकिन इस साल बजट में वह बैलगाड़ी की सड़क करार दी गई है। मैं यह अर्ज करूंगा कि बैलगाड़ी की सड़क और वह भी पहाड़ में, वहां तांगे, इक्के वगैरह नहीं चल सकते हैं। मैं चाहूंगा कि उस सड़क को मोटर रोड करार दिया जाय। टेहरी-धरासू रोड जो इंटरिम मिनिस्टरी के वक्त बनी, उसके लिये इस साल कोई अनुदान नहीं रखा गया है। ग्रान्ट नम्बर ४७ के पेज ५४१ पर लिखा हुआ है कि गंगोत्री, यमनोत्री और टेहरी-धरासू रोड के लिये कोई अनुदान नहीं है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि टेहरी-धरासू रोड वही है जो गंगोत्री और यमनोत्री मार्ग है। टेहरी से अगर चलें तो धरासू पर बाइफ़रकेशन होता है, एक सड़क गंगोत्री जाती है और एक यमनोत्री को। इस सड़क पर लाखों यात्री हिन्दुस्तान भर से आते हैं। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि इस सड़क के लिये कोई अनुदान नहीं है। मैं मंत्री महोदय से पर्सनल तरीके से प्रार्थना करूंगा कि वे इस सड़क के लिये कुछ अनुदान दें।

[श्री सूरत चन्द रमोला]

दूसरे हमारे जिले में कम्यूनिकेशन्स की सिर्फ दो ही सड़कें हैं एक ऋषीकेश से धरासू को जाती हैं और दूसरी ऋषीकेश से कीर्तिनगर जाती है। यही दो सड़कें हैं। यह भी सड़क टेहरी और धरासू से इतनी खराब है कि जरा सा पानी बरस जाय तो रुक जाती है और जाने-आने का रास्ता बन्द हो जाता है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुल्तान आलम खां के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सूरत चन्द रमोला---अधिष्ठाता महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के सामने अभी लंच से पहले पहाड़ी जिलों की और खास कर टेहरी गढ़वाल जिले की पी० डब्ल्यू० डी० की जो सड़कें हैं, उनके बारे में अर्ज कर रहा था। धरासू-बड़कोट रोड के बारे में मैंने कहा कि वह जो सड़क ली गई है, वह बजट में दिखाई गई है कि वह बैलगाड़ी की सड़क है। उसके लिये मैं काफी कह चुका।

अब मुझे यह अर्ज करना है कि पहाड़ी जिलों और खासकर टेहरी-गढ़वाल जिले में सार्वजनिक निर्माण कार्य बहुत ही धीमे चल रहे हैं। टेहरी गढ़वाल यू० पी० के सब जिलों में बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला है और जब तक आवागमन के साधन वहां नहीं बढ़ाये जायेंगे, तब तक इस जिले का भला होना मुश्किल है। जब सन् ४७ में वहां पर क्रान्ति हुई थी, राज्य का शासन अन्तरिम शासन के हाथ में आया, तो वहां मिनिस्ट्री ने सात लाख की लागत से मल्डियाना-लम्बगांव सड़क बनाई थी। वह सड़क करीब-करीब बन गई थी, लेकिन जब टेहरी राज्य उत्तर प्रदेश सरकार में विलीन हुआ, तो उस सड़क पर आज तक पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से कोई काम नहीं किया गया, गो कि वह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० ने ले ली है। प्लानिंग कमेटी ने जरूर २ लाख रुपये का श्रमदान इस सड़क पर करवाया है, अभी मैं कुछ दिन पहले खुद इस सड़क को देखने के लिये गया था तो करीब १२ मील लम्बी यह बनी हुई थी, और उस पर एक गैंग लगा हुआ था जो कि पत्थर सड़क पर पड़ते हैं उनको भी ठीक तरह से नहीं उठा पा रहा था। इस सड़क के लिए मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि तुरन्त इस सड़क के लिए कुछ अनुदान प्रदान करें। बहुत थोड़ा रुपया लगेगा और उससे यह सड़क मोटरेबिल बन सकती है। इस समय यह सड़क ब्राइडिल पाथ के नाम से ली गई है। यहां मल्डियाना के पास गंगा नदी पर एक पुल पड़ता है। वह पुल भी सेकेंड फाइव-ईयर प्लान में मौजूद है। मैं अर्ज करूंगा कि इस पुल के बनने में कुछ देर भी हो, तो भी यह सड़क तो मोटर के काबिल बनायी जा सकती है।

इस वर्ष टेहरी से मसूरी जो कि पैदल का रास्ता था ४० मील के करीब वह सड़क भी प्लानिंग कमेटी ने श्रमदान के द्वारा बनवायी थी और पी० डब्ल्यू० डी० ने अब उसको अपने हाथ में ले लिया है। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग का इसके लिए शुक्रगुजार हूं। लेकिन इस सड़क के लिये जाने के बाद ही यहां पर जो काम किये गये, वे ठीक ढंग से नहीं हुए। इस सड़क की देख-रेख के लिये और इसके निर्माण के लिये इस वक्त के बजट में कोई प्राविधान नहीं है। मैं निर्माण विभाग के मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस सड़क को कुछ ग्रान्ट जरूर दें, क्योंकि इस सड़क पर खास बात यह है कि टेहरी से राइट अपटु देहरादून के बीच में कोई पुल नहीं पड़ता है। पहाड़ की चोटी चोटी से हो कर यह सड़क जाती है और इस पर कोई भारी पुल नहीं है। थोड़े ही रुपये में यह सड़क मोटर के काबिल बनाई जा सकती है।

एक बात मैं यह भी अर्ज करूंगा कि बजट जो कुछ भी असेम्बली में पास किया जाता है, उसके लिये ऐडमिनिस्ट्रेटिव या और तरह के जो कुछ भी सैंक्शंस होते हैं, जब हम इंजीनियरिंग विभाग से पूछते हैं कि इसके लिये बजट में प्राविधान है, आप इसे क्यों नहीं करते ? तो जवाब यही मिलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं आया है । इस तरह से काम में देर हुआ करती है । तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इस तरह से इन सैंक्शन में देर नहीं होनी चाहिये । जैसे ही बजट पास हो वह सैंक्शन जल्दी ही कार्यान्वित कर देना चाहिये और उनको मिल जाना चाहिये ।

तीसरे सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो गैंग्स सड़कों पर होते हैं उनके कुलियों की हालत बहुत खराब है । सुबह ८ बजे से उनकी ड्यूटी होती है और शाम के ८ बजे तक उनसे काम लिया जाता है और उनकी तनख्वाह ४०–४५ रुपये माहवार होती है । मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन गरीबों की हालत सुधारी जाय । फिर यह भी पता नहीं चलता कि वे गैंग के कुली हैं क्योंकि उनके पास वर्दियां नहीं हैं । जाड़े व बरसात में वहां बहुत ठंड पड़ती है । जाड़े व बरसात में वे ठंडे कपड़े पहनते हैं और पहाड़ों की चोटी पर काम करते हैं । वे गरीब गर्म कपड़ा खरीद नहीं सकते । वे कम्बल ओढ़ कर आते हैं और रात में भी उसी कम्बल से काम निकालते हैं । तो पहाड़ों की चोटियों पर जो कुली काम करते हैं, जैसे नेलंग की सड़क बन रही है जो १२ हजार फीट पर है, जो कुली वहां हैं, उन कुलियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से वर्दियां जरूर मिलनी चाहिये ।

इतना कह कर अन्त में मैं यह अर्ज करूंगा कि परिस्थिति को देखते हुए टेहरी-गढ़वाल की पिछड़ी हुई हालत को देखते हुए विभाग के अधिकारी और मंत्री खास तौर से तवज्जह इस जिले की तरफ दें ताकि जिले व देश के नवनिर्माण में हाथ बटाया जा सके ।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस माननीय सदन में अपने क्षेत्र की कुछ बातों को रखने के लिये अवसर प्रदान किया है । श्रीमन्, आज इस माननीय सदन के सामने सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये करीब १० करोड़ रुपये का अनुदान पेश है । यह अनुदान इसलिये रक्खा गया है कि सूबे के अन्दर सड़कें, पुल व इमारतें बनाई जायं ।

श्रीमन्, मैं आपके जरिये से सदन के सामने बताना चाहता हूं कि इस महकमे के अन्दर जितनी फिजूलखर्ची है शायद इससे ज्यादा और किसी महकमे के अन्दर फिजूलखर्ची नहीं दिखाई पड़ती है ।

श्रीमन्, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसी लखनऊ शहर के अन्दर जबकि सूबे में सड़कों की कमी है, यहां लखनऊ में एक खांदारी सड़क है उसको तोड़ने में करीब २ लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं और इस तरह से यह व्यय जो है बनी हुई सड़कों का ही पुर्ननिर्माण करने में, उनको चौड़ी करने में, उनको सीमेंटिंग करने के लिये, किया जा रहा है और साल के आखिर में नक्शे के द्वारा ग्राफ के द्वारा माननीय सदन को बताया जायगा कि इस सरकार ने इतनी लम्बी सड़कें इस वित्तीय वर्ष में तैयार की हैं, जबकि वह सड़कें जो मौजूद हैं इन्हीं के अगल-बगल में चौड़ी करके बनायी जा रही हैं, या जो सड़कें मौजूद हैं उन पर ऐशफाल्ट और सीमेंट बिछायी जा रही है ।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन के सामने यह भी पेश करना चाहता हूं कि सरकार मिट्टी के कामों के विकास के लिये २,३०,००० रुपये से एक इमारत बनायेगी, जिसमें मिट्टी के बरतनों का काम सिखाया जायगा । श्रीमन्, यह काम, देहातों में जो हमारे भाई रहते हैं, वह अच्छी तरह से करते हैं । उन्हीं देहातों में इस काम की तरक्की के लिये और वहीं पर इस काम को तरक्की देना, हम उचित समझते हैं, क्या सदन उसे उचित नहीं समझता है ?

[श्री होरीलाल यादव]

श्रीमन्, मैं आगे आपके जरिये सदन के सामने यह पेश करना चाहता हूं कि सरकार की जो सड़कें बनाने की योजना है वह भी समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि सरकार जो सड़कें बना रही है, वह ऐसे इलाकों में ही उन्हें ज्यादा फैलाने की कोशिश कर रही है, जहां पहले से वह सड़कें ज्यादा मौजूद हैं और उन इलाकों में, जो सूबे के उत्तरी हिस्से हैं, जो बहुत पिछड़े हिस्से हैं, जहां यातायात के पक्के साधनों की कौन कहे, कच्ची सड़कें भी मौजूद नहीं हैं, वहां पर इसके लिये कम पैसा खर्च करने की कोशिश की जा रही है ।

मैं, श्रीमन्, आपके जरिये से अपने जिले की कुछ बातें इस सदन के सामने रख देना बहुत उचित समझता हूं । जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वह इलाका एक कालेपानी का इलाका कहा जाता है, जिस इलाके के अन्दर जो थाना है, वह कहीं भी कम से कम १२ मील से सड़क के नजदीक नहीं है और आजकल तो उस इलाके पर पहुंचना एक समस्या है । चाहे जितनी बड़ी दुर्घटना होती रहे, कोई अधिकारी उस तरफ जाना नहीं चाहता, उसको वहां पहुंचने की फुर्सत नहीं है और जो अधिकारी वहां हैं, वही वहां के राजा हैं । मैं आपके जरिये से माननीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि ऐसे इलाकों पर जहां से कोई भी सड़क मिली हुई न हो, ऐसे थानों को सड़कों से मिला देना बहुत जरूरी है, इसलिये कि वहां के रहने वालों के माल की, उनकी जान की रक्षा हो सके, और कोई घटना हो, तो जिले के हेडक्वार्टर से सहायता बहुत जल्दी पहुंचाई जा सके ।

श्रीमन्, मैं आपके जरिये यह भी बतलाना चाहता हूं कि गंगा और काली नदी के बीच में जो क्षेत्र है, उसके अन्दर करीब-करीब २० मील लम्बा और ६ मील चौड़ा इलाका है, जिसके अन्दर कोई पक्की सड़कें क्या कहें, कच्ची सड़क भी कोई नहीं हैं । आजकल बरसात के दिन हैं, इसका तो कहना ही क्या, उन दिनों में जबकि गर्मी और सर्दी होती है, उन सड़कों पर चलना और राह ढूंढ़ना किसान के लिये दूभर हो जाता है । अपनी पैदावार का ठीक दाम वह किसी हालत में नहीं पा सकता ।

मैं श्रीमन्, यह भी माननीय सदन को बता देना चाहता हूं कि घटिया घाट जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने अभी किया, जिसके सिलसिले में न मालूम कितने रेप्रेजेंटेशन सरकार के सामने पेश किये गये, कितने प्रतिनिधि मंडल सरकार के सामने आये, लेकिन उस सड़क के निर्माण के लिये इस वित्तीय वर्ष में कोई साधन नहीं रखे गये । हमारी जिला प्लानिंग कमेटी ने भी सर्वसम्मति से इस बात का प्रस्ताव पेश करके सरकार के पास भेजा कि इसी सड़क को बनाने में प्राथमिकता दी जाय, क्योंकि यह सड़क उस इलाके में, जो गंगा और रामगंगा का ४० मील लम्बा और १२ मील चौड़ा इलाका आबाद है और फर्रुखाबाद शहर के अन्दर आने-जाने और माल ले जाने का एक मात्र साधन है, इतनी खराब हो गयी है, इतनी टूट गयी है, इतने इसमें कटाव हो चुके हैं कि इसके जरिये से इसके पास के बसे हुये गांव भी खतरे में पड़ गये हैं । उनका कटाव बराबर जारी है और अगर इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया तो मैं आदरणीय सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वहां जो गांव सड़क के किनारे बसे हुये हैं, उनको दूसरी जगह बसाना पड़ेगा और सरकार के लिये यह एक बड़ी भारी समस्या हो जायगी ।

श्रीमन्, इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार है वह तो इसी से मालूम हो जाता है जो कि हमारी सरकार की ठेके देने की पद्धति है । उसका तखमीना तो बहुत रखा जाता है और कम तखमीने पर ठेकेदार को ठेका दिया जाता है । श्रीमन्, दस करोड़ रुपये की जो यह धनराशि इस विभाग के लिये खर्च करने के लिये रखी गई है, उसमें से करीब-करीब एक करोड़ रुपया वैसे ही चला जायगा । हमारे सदन के माननीय सदस्य भी जानते हैं कि जो ओवरसियर काम कराते हैं तो उसका १० प्रतिशत तो उनका बंधा हुआ है । इसमें कोई कमी नहीं हो सकती है । इसमें वह रकम शामिल नहीं है जो ठेकेदार को रुपया लेते समय खजांची को देनी पड़ती है । श्रीमन्, इस हिसाब से देखा जाय तो दस करोड़ में से एक करोड़ रुपया तो वैसे ही चला जायगा ।

श्रीमन्, कम टेंडर पर ठेके दिये जाते हैं और अगर ठेकेदार १० प्रतिशत नहीं देगा तो इमारत पास नहीं की जायगी और ठेकेदार खराब माल जैसे खराब ईंटा, और एक–छै का सीमेंट वगैरह नहीं लगा सकेगा ।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आज सार्वजनिक निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में बोलने का अवसर आपने प्रदान किया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मुझे इस बात का दुख है कि मैंने एक बार नहीं, इस सदन में प्रवेश करने के पश्चात् कई बार प्रयास किया था कि मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय, लेकिन खेद है कि मुझे अवसर नहीं दिया गया और मुझे अपने मन की बात अपने मन तक ही रखनी पड़ी । मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं ।

आज सदन के समक्ष जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों का विषय है उस सम्बन्ध में मैं सब से पहले अपने निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो यह कहा गया है कि काम कुछ नहीं होता, भ्रष्टाचार बहुत है । भ्रष्टाचार की जगह पर भ्रष्टाचार है और काम की जगह पर काम है । हमारे मित्र विचार करें कि १९४७ से लेकर १९५६ तक कितनी सड़कें बनी हैं । पहले ४,९०० मील लम्बी पक्की सड़कें थीं, वह अब ९,९५७ मील हो गई हैं । जब सरकार ने काम नहीं किया है तब दुगुनी सड़क कैसे बन चुकी हैं ? तब भी कहा जाता है कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है ।

दूसरी बात यह है कि १९५५–५६ के बीच में ७८५ मील लम्बी सड़कें बनाई गई हैं । मैंने सड़क की एक उपमा देकर काम के बारे में बताया है । मैं सब से पहले अपने मित्र भूपकिशोर जी का आभारी हूं कि जिन्होंने एटा से आने के पश्चात् हमारे जिले के निर्माण कार्यों की ओर संकेत किया है । मैं उसके बाद अपने साथी श्री होरीलाल जी यादव का भी आभारी हूं जो हमारे जिले के एक एम०एल०ए० हैं । उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने के साथ–साथ हमारे क्षेत्र की भी कुछ समस्याओं को रखने की कृपा की । मैं इसके साथ इतना और बतला देना चाहता हूं कि हमारे जिले में आज से ८-९ वर्ष पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक फतेहगढ़ कायमगंज की सड़क थी, वह पी०डब्लू०डी० ने ले ली, लेकिन अब तक वह बन नहीं पा रही है । सरकार ने इतनी कृपा तो जरूर की है कि वह सड़क जो २४ मील लम्बी है, ५ से १३ मील तक इस नयी योजना में पक्की करने के लिये रखी है, लेकिन जहां तक इस सड़क का सम्बन्ध है, शायद हमारे प्रदेश की कोई भी सड़क इतनी गन्दी, इतनी खराब और इतनी ऊंची–नीची नहीं होगी । सड़क को जाने दीजिये, जो उसके इधर–उधर पटरियां हैं उनमें कमर के बराबर गारा हो गया है । यही नहीं, मोटरों का चलना तो दूर रहा, मोटर जीप, जिसकी आज दुनियां में दुहाई दी जाती है कि हर जगह जा सकती है, उसका भी उस सड़क पर चलना कठिन हो जाता है । इसलिये मैं अपने मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि उन्होंने अगर ५ से लगा कर ८ मील लम्बी सड़क बनवा दी, तो दूसरे वर्ष में वह ८ मील के बजाय १३ मील सड़क और जो खराब हो जाती है और जिसका बनना न बनना बराबर हो जाता है । उस सड़क को जल्द से जल्द बनवा कर पूरा करने की कृपा करें ।

दूसरी बात मुझे इस सम्बन्ध में यह कहनी है कि हमारे मित्र श्री भूपकिशोर जी ने जो घटिया घाट के पुल की चर्चा की है अब उस पुल की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिये । यातायात की दृष्टि से फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, खीरी–लखीमपुर, बरेली, इन तमाम जिलों का सम्बन्ध उस पुल से जुड़ता है । यही नहीं, इसका सम्बन्ध भारत की सीमा नैपाल और तिब्बत से सीधा-सीधा जुड़ता है । रक्षात्मक दृष्टि से भी मैं विशेष रूप से यह निवेदन करूंगा कि यह पुल हमारे राष्ट्र के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा । फतेहगढ़ एक पुराना सैनिक केन्द्र रहा है और उसके साथ ही साथ सैनिक शिक्षण केन्द्र भी है ।

[श्री रामकृष्ण सारस्वत]

माननीय मंत्री महोदय से मैं इतना और निवेदन करूंगा कि वे जरा इस ओर भी ध्यान दें कि खाद्य की समस्या पर इतनी लम्बी बहस हुई। फर्रुखाबाद जिले के लिये जो खेती के साधन हैं उनका शाहजहांपुर और हरदोई जिलों से मुख्य सम्बन्ध है। गंगा का जो नावों का पुल बनता है, उसकी अजीब सी हालत रहती है। इंजीनियर लोग ठेकेदारों से मिले रहते हैं और उनसे मिल करके इतने गलत तरीके से पुलों को मंजूर करते हैं कि अगर गंगा का एक डेढ़ फुट पानी बढ़ जाय, तो यातायात के साधन नष्ट हो जाते हैं और फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई की इधर की सवारी उधर और इधर की सवारी उधर रह जाती है। इसलिये मैं अपने मंत्री महोदय से इतना जरूर निवेदन करूंगा कि जब पुल बनने का मौका आये, तो वे उसको देखने की कृपा तो अवश्य करें और उसे ऊंचाई पर बनवाने की कृपा करें।

इसके अलावा जो ठेकेदार हैं उनके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि गंगा और रामगंगा के बीच हमारे जिले का ४० मील लम्बा और १२ मील चौड़ा ऐसा चक है, जो काले पानी का टापू बन जाता है, जहां सवेरे ६ बजे से लेकर शाम के ६ बजे तक, १२ घंटे नाव पर चलने के बाद भी पता नहीं लगता कि कहां से कहां पहुंचेंगे। इस सिलसिले में मुझे यह भी निवेदन करना है कि जो नावें गंगा को पार करने के लिये डाली जायं उनकी संख्या बढ़ा दी जाय और ठेकेदारों के ऊपर नियंत्रण रखा जाय। वैसे तो बारहों मास वहां 'अंधेर नगरी चौपट राजा' वाली कहावत चरितार्थ होती है, हमेशा उतराई ज्यादा ली जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में तो यह इतनी ज्यादा ली जाती है कि कुछ कहना ही नहीं। एक आदमी से ८ आना या १ रुपया तक लिया जाता है। मैं अपने सामने बैठे हुये मित्रों से भी निवेदन करूंगा। वे अक्सर कहा करते हैं कि लोग इन बेंचों पर बैठ कर हृदयहीन हो गये हैं। मैं कहता हूं कि हृदय हमारे पास भी है। मैं बतला देना चाहता हूं कि हम चाहे इधर बैठें या उधर, किसी जगह पर बैठें, लेकिन हम जिस क्षेत्र से चुन कर आये हैं, उसके लिये हमारा यह कर्त्तव्य है कि उसकी सही बात, चाहे वह आपकी हो या हमारी हो, यहां रखें और उसका स्मरण दिलायें। हमें दुख इस बात का है कि आपने उधर बैठ कर समझ लिया है कि हम हृदयहीन हैं और आप हृदयसागर हैं। हमारे कुछ बुजुर्ग साथी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, नहीं तो उनसे निवेदन करता और अगर कभी मौका मिला तो निवेदन करूंगा कि संभव है कि आप की बातें सही हों और संभव है कि सरकारी पक्ष की बातें भी सही हों, लेकिन यहां इस बात का ध्यान छोड़ कर अपने क्षेत्र में जो काम हुए हैं, जो उसकी सही मांगें हैं उनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। मैं फिर माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने पुराने विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि ठेकेदारों के व्यवहार की ओर भी वह कुछ ध्यान दें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जब डेढ़ दो फुट पानी बढ़ जाता है तो वह पुल टूट जाता है। मैं अपने माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जब तक वह पक्का पुल बनवाने में सफल न हो सकें, उस समय तक वह वहां पर पीपे वाला पुल डलवा दें और इस तरह से तमाम जिलों को संबंधित रखने की कृपा करें।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज सुबह से जिस अनुदान पर बहस हो रही है और जिसे माननीय निर्माण मंत्री ने प्रस्तुत किया है उस पर हमारे विरोधी दल के साथी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, यह जो निर्माण-कार्य है, इसको यदि ठीक ढंग से किया जाय, तो इसकी तारीफ ही की जानी चाहिये, लेकिन मैं यह देखता हूं कि जो भी निर्माण होता है, उसमें अधिकतर उन व्यक्तियों का निर्माण होता है कि जो उस निर्माण-कार्य में लगे होते हैं। श्रीमन्, देखा गया है कि जो सड़कें बनती हैं, कागजों पर उनकी लम्बाई चौड़ाई आ जाती है, लेकिन वस्तुस्थिति देखी जाय तो अधिकतर वह एक साल तक भी ठीक से नहीं चल पाती हैं और पुनः वैसी ही हालत में हो जाती हैं जैसी कि पहले थीं। इधर मैं देखता हूं कि जो भी कार्य किया जा रहा है, उसमें

बहुत से क्षेत्रों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। सरकार का ध्यान सभी क्षेत्रों की ओर जाना चाहिये। मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं कि जहां न तो कोई सड़कें ही बनीं और न किसी और प्रकार की कोई व्यवस्था हुई।

इस प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं कि जो निचाई पर हैं जहां पानी भर जाता है, गर्की आ जाती है, वहां गल्ला रखने के लिये कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार की ओर से कुछ ऐसे मकान बनाये जाते कि जहां ठीक प्रकार से गल्ला रखा जाता तो अच्छा होता। बहुत-सा गल्ला खराब हो जाता है, उधर गर्की से पानी जो नीचे के क्षेत्र में रहता है, उसके निकालने के लिये सरकार की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी, जिससे वहां की जमीन ऊसर हो रही है और उत्पादन वहां पर घट रहा है।

श्रीमन्, मैं जब देखता हूं कि यह सड़कें अधिकतर उन जगहों में बनायी जाती हैं या वहां उनकी मरम्मत अधिक होती है, जहां धनवानों की गाड़ियां चलती हैं, जहां पर टाटा या बिड़ला की मोटरें चलती हैं। उन पिछड़े हुये क्षेत्रों में जैसे कि इटावा जिले के पिछड़े हुये कुछ क्षेत्र हैं, तथा जमुना, चम्बल, सिंध और अन्य कितनी नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र पार पट्टी है यह इटावा जिले का एक तिहाई हिस्सा के करीब इन नदियों से घिरा हुआ है, और इनके लिये किसी प्रकार से भी सरकार ने नदियों को पार करने के लिये अभी तक पुल का निर्माण नहीं किया है। इटावा जिले में जमुना नदी पर ४ सड़कें ऐसी हैं जिन पर पुल बनाना अत्यन्त आवश्यक है। एक सड़क तो इटावा में जसवन्तनगर से बाह जाती है और दूसरी औरैया से शेरगढ़ होकर जालौन जाती है और तीसरी इटावा से मध्यप्रदेश को जाती है और फतेहगढ़ से आती है। ये तीन सड़कें इस तरह की हैं जिन पर पुल बनाने की बहुत जरूरत है। मैं देखता हूं कि इन स्थानों पर अभी तक प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई भी पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण वह क्षेत्र पिछड़ता हुआ चला जाता है। यदि इन तीन स्थानों पर पुल बना दिये जायं तो उससे वहां के लोगों के लिये बहुत सुविधा हो जाय। यदि इटावा जिले में यह मध्य प्रदेश से मिलाने वाली सड़क पर इटावा में पुल बन जाय, तो फिर यह सीधा रास्ता ग्वालियर तक का हो जाय। इस पुल के बन जाने से यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र जहां पर सरकार को लाखों रुपया डाकुओं की समस्या को हल करने के लिये हर साल खर्च करना पड़ता है, उसमें सरकार को काफी आसानी हो जाय। मैं देखता हूं कि अंग्रेज यहां से चले गये, परन्तु अपने समय में वह भी डाकुओं की समस्या हल न कर सके। इस क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से २,४ कुख्यात डाकू हमेशा बने ही रहते हैं। उसका एक मात्र कारण यही है कि वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। यहां के आदमियों को रोटी-रोजी की मुसीबत रहती है। ऐसी स्थिति में यदि वहां पुल का निर्माण हो जाय, तो वहां सरकार यातायात का साधन जुटा सके और डाकुओं को समाप्त कर सके। साथ ही साथ उस पिछड़े हुये क्षेत्र में तरक्की करने के लिये काफी अच्छे साधन भी बनाये जा सकते हैं।

श्रीमन्, मैं यह भी देखता हूं कि हमारे यहां इटावा से मैनपुरी की सड़क ऐसी है कि जब से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से इस सड़क को पी० डब्ल्यू० डी० ने लिया तब से इसकी हालत और भी खराब हो गयी और इसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इटावा जिले में बहुत-सा क्षेत्र ऐसा है जैसा कि विधुना तहसील में गर्की का क्षेत्र है जहां पर पानी भर जाता है। वहां पर सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है, जिससे वहां का पानी निकाला जा सके।

उत्तर प्रदेश में एक समस्या कुम्हारों की भी है, जिनके लिये सरकार ने ठीक से कोई व्यवस्था नहीं की है। इस प्रदेश में कितने ही कुम्भकार ऐसे हैं, जो केवल मिट्टी के खिलौने और बर्तन बना कर अपनी गुजर करते हैं। उनके लिये कहीं १, २ जगहों पर कोई ऐसे मकान बनाने से उनकी समस्या हल नहीं होती। उनकी स्थानीय समस्याएं

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

हैं। उनको खिलौने बनाने के लिये मिट्टी लेनी होती है, जो गांव में किसी एक खास जगह ही मिलती है। उनके लिये सरकार की ओर से या गांव सभा की ओर से उस स्पेशल मिट्टी के लिये प्रबन्ध नहीं किया गया। उसके लिये गांव में एक स्थान होता है और उस जगह की मिट्टी से ही वे खिलौने या बर्तन बनाते हैं। सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था उनके लिये नहीं की जिससे उनको आसानी से मिट्टी मिल सके .....

श्री रामकृठग जैसवार (जिला मिर्ज़ापुर)--मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि जो माननीय सदस्य कुम्भकारों की चर्चा कर रहे हैं, क्या यह भी इसमें सार्वजनिक निर्माण के बजट में शामिल है ?

श्री अधिष्ठाता--आप कृपया अपने भाषण को अनुदान तक ही सीमित रखें।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा--तो, श्रीमन्, कुम्भकार की समस्या के लिये निर्माण की दृष्टि से कोई व्यवस्था होनी चाहिये। ऐसी कितनी शिकायतें आती हैं कि पुल निर्माण होने के साल भर के अन्दर ही कहीं वह फट जाता है, कहीं दरार पड़ जाती है और दूसरी कमजोरियां आ जाती हैं, जब कि हमारे निर्माण विभाग के इंजीनियर्स और ऊंचे-ऊंचे अधिकारी उनकी देखभाल के लिये हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ठीक प्रकार से चीज बन भी नहीं पाती है, लेकिन उसका विघटन शुरू हो जाता है। निर्माण के लिये उन क्षेत्रों को भी देखा जाय, जिन्हें सरकार ने नजर अन्दाज कर रखा है। देहात की गरीब जनता सड़कें न होने के कारण अपनी उपज मंडियों में नहीं ले जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उधर हमारी सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये। निर्माण-कार्य के लिये स्वीकृत धनराशि को खर्च करने के लिये कोई समिति होनी चाहिये, जिसमें केवल इंजीनियर्स पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये। वे लोग ठेकेदारों से मतभेद होने पर अच्छी चीज को भी कैंसिल कर देते हैं।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)--अधिष्ठाता महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस सदन में आने के बाद यह पहला अवसर मुझे अपने विचारों को व्यक्त करने का प्राप्त हुआ है। आज लोक निर्माण विभाग के बजट पर पक्ष और विपक्ष में विवाद चल रहा है, आलोचनाएं की जा रही हैं तथा सुझाव दिये जा रहे हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कुछ तो इस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतें पेश की गईं और कुछ अपने-अपने क्षेत्रों की निर्माण के लिए बातें कही गयीं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्रीय चरित्र के लिये बहुत बड़ा काला दाग़ सा हो गया है। ऐसा देखा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के घर का कोई आदमी इस ढांचे में जाता है तो वह भी वही कर्म करना शुरू कर देता है जो एक साधारण नागरिक उस स्थान पर रह कर करता है। किसी क्रान्तिकारी या प्रतिगामी विचार रखने वाले का प्रभाव किसी कर्मचारी पर आज दिखलाई नहीं देता। यह सर्वविदित सत्य है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं एक बार रेल से यात्रा कर रहा था। उसी डिब्बे में एक सज्जन बैठे हुये पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता की भ्रष्टाचार की शिकायत करते चले आ रहे थे। अन्त में मैंने निश्चय किया कि उनसे मैं यह स्पष्टतया पूछूंगा कि आप कौन सज्जन हैं। उन्होंने अपना परिचय देने से इन्कार किया और बाद में बताया कि मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग का एक जिले का इंजीनियर हूं। मैंने कहा, कहिये आपके यहां तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने कसम खाकर कहा कि मैं सिवाय कमीशन के और कोई रकम नहीं लेता हूं। तो कमीशन लेना उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं समझा। इसके लिये सरकार के पास कौन से उपाय हैं, यह हम लोगों के मिल कर तय करने की चीज हो गई है। यह ऐसी समस्या नहीं है, जिस पर किसी पार्टी, व्यक्ति

बल का प्रभाव पड़ सके। हां, यह सच है कि बुराई की चर्चा करने से वह सिद्धान्ततः बढ़ती है। मैंने स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ की पुस्तकों में पढ़ा है कि बुराई को दूर करने का प्रयास करना ही श्रेयस्कर होता है, बनिस्बत उसकी चर्चा करने के। चर्चा से बुराई घटती नहीं है वरन् बढ़ती है ।

दूसरी चीज अपने-अपने क्षेत्रों की कही गई। यह सही है कि उत्तर प्रदेश में योजनाएं नियोजित ढंग से चलाई जा रही हैं। हमारी सरकार सारे प्रदेश में वह नवीन चित्र लाना चाहती है, जिसे बनाने के लिये इस पार्टी के लोगों ने स्वराज्य का आन्दोलन किया था। जिस स्वराज्य की तस्वीर का खाका उन्होंने अपनी आंखों के सामने रखा था, आज उसी नक्शे पर वह कार्य किये जा रहे हैं। हो सकता है कि अर्थाभाव के कारण जितनी तेजी से हम लोग अपना कार्य करना चाहते हैं, आज न कर पा रहे हों। लेकिन मेरा यह विश्वास और दृढ़ धारणा है कि जिस समाजवाद के ढांचे का समाज बनाने का झंडा हमने उठाया है और जिस समाजवादी समाज के निर्माण की सरकार ने घोषणा की है, उसकी योजना के अनुसार ही सरकार अपना क़दम बढ़ाये जा रही है।

हम तो उस पिछड़े हुये इलाके के हैं जहां पर आज तक विकास का कार्य पिछड़ा हुआ रहा है। जब तक ब्रिटिश सल्तनत रही, गोरखपुर और देवरिया से कुली और मजदूर दूसरी जगह भेजे जाते थे और बलिया और गाजीपुर के लोग पलटनों में भेजे जाते थे। वहां विकास का कार्य होगा या नहीं, वहां की जनता स्वावलम्बी बनेगी या नहीं, वहां उद्योग बढ़ेंगे या नहीं, वहां आवागमन के साधनों का सुधार होगा या नहीं, इस ओर ब्रिटिश सल्तनत का ध्यान नहीं गया था। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई है कुछ विकास का कार्य वहां प्रारम्भ हुआ है, अब नलकूप, जिनका हमने नाम नहीं सुना था, और काली सड़कें इत्यादि वहां देखने को मिल रही हैं, लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस क्षेत्र का मैं हूं, वहां ४ लाख जनता के भीतर जाने का कोई अच्छा मार्ग नहीं है। मैं बलिया के उस पूर्वी भाग का हूं जहां गंगा और घाघरा की पूरी विभीषिका हमेशा लोगों को परेशान करती है। वर्षा होते ही आवागमन के मार्ग बन्द हो जाते हैं, लेकिन वहां कोई पक्की सड़क नहीं है। कच्ची सड़कों पर भी वहां काली मिट्टी के कारण बरसात में जूता पहनकर चलना मुश्किल हो जाता है। आप वहां कोई सवारी नहीं ले जा सकते। आपको जाने के लिए उधर कोई साधन उपलब्ध नहीं हो सकता। ५ मील जाने के लिये ५ रुपये से कम में कोई एक्का तैयार नहीं होता, दूर जाने की तो बात ही छोड़ दीजिये। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कृपा करके बलिया जिले के पूर्वी क्षेत्रों की ओर ध्यान दें। उधर भी आप कुछ ऐसा काम करें कि लोग जानें की हमारी सरकार ने हमारे लिये भी कुछ काम किया है।

आज बहुत से भाइयों ने अपनी-अपनी बातें कहीं। एक भाई ने सिखला-सिखला कर एक मेम्बर से यह कहलवाया कि अमुक जगह पर चहारदीवारी बनायी जा रही है उसकी क्या आवश्यकता है, अमुक जगह की सड़क चौड़ी की जायगी, उसकी क्या आवश्यकता है, अमुक जगह स्विमिंग टैंक बनाया जा रहा है, उसकी क्या आवश्यकता है? मैं निवेदन करूंगा कि जिस समाजवाद की रूपरेखा उनके दिमाग में है, चाहे उस समाजवाद में वे चीजें न हों, लेकिन जो समाजवाद हमारे मस्तिष्क में है, उस समाजवाद में हर एक सुविधा के लिये कुछ न कुछ और उसमें से जितना भी हम पूरा कर सकते हैं, उतना पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब रह जाता है प्रायोरिटी का सवाल कि पहले किस को प्राथमिकता दी जाय। हो सकता है मंत्री महोदय ने कुछ ऐसी चीजों को प्राथमिकता दे दी हो, जिनको नहीं मिलनी चाहिये थी। किन्तु यह तो एक निर्णय की ग़लती हो सकती है। इसमें उद्देश्य और नीयत की कोई बात नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--अधिष्ठाता महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने, जो प्रायः १० करोड़ की मांग पेश की है और जिसके खिलाफ हमारे विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस सम्बन्ध में सदन का ध्यान आज प्रातः किये गये एक प्रश्न और उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। आज सुबह बुलन्दशहर जिले के सम्बन्ध में एक सवाल किया गया कि वहां पर बस स्टैंड का मेंटेनेंस शेड कब बना था और कब गिर गया और उसमें क्या लागत लगी थी? उत्तर में सरकार की ओर से कहा गया कि डेढ़ साल पहले बना था और अब गिर गया और लागत बतलाने से सरकार ने इन्कार कर दिया। मैं आज जिस वजह से इस मांग का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, उसका असली कारण यही जवाब है, जो आज सरकार की ओर से दिया गया था। अगर सरकार यह हिम्मत करती, वह यह स्वीकार करती कि उसमें ठेकेदारों ने कितनी बेईमानी की, इंजीनियर ने कितनी की, या सरकार की ओर से निगहबानी ठीक नहीं हुई, तो जितनी भी बजट की मांग वह इस सिलसिले में करती, उसे मैं स्वीकार करता, लेकिन जब सार्वजनिक निर्माण के कार्य में बेईमानी होती है और उस बेईमानी का जवाब वे इस तरीके से देते हैं और बेईमानी पर इस तरीके से पर्दा डालना चाहते हैं, तो, श्रीमन्, मैं आपके जरिये से अपना यह ख्याल जाहिर कर देना चाहता हूं कि मैं इस मांग का समर्थन नहीं करता। उधर के एक साथी ने कहा कि इधर के साथियों के पास हृदय हो या न हो, परन्तु उधर के साथियों के पास भी हृदय है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे हम हृदयहीन हो क्यों न हों, मगर जैसा भी हमारा हृदय है वह आपकी इस मांग के समर्थन के लिये तैयार नहीं है। मैं आपसे चाहूंगा कि सरकार ने जो मांग की है.....

श्री रामकृष्ण सारस्वत--अधिष्ठाता महोदय, मेरा अभिप्राय हृदयहीन कहने से यह नहीं था।

श्री अधिष्ठाता--क्या आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर है?

श्री रामकृष्ण सारस्वत--जी हां, मेरा अभिप्राय हृदयहीन कहना किसी के लिये नहीं था। मेरा कहना तो यह था कि जो हम लोगों को हृदयहीन कहा जाता है और अपने को हृदयसागर समझा जाता है, जैसे दूसरों के पास हृदय ही नहीं है, यह सही नहीं है। मेरा कहना यह था कि दोनों के पास हृदय हैं।

श्री अधिष्ठाता--यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय--मैं यह कह रहा था श्रीमन्, कि सरकार पहले अपने इस डिपार्टमेंट की बेईमानी को रोकने की कोशिश करे। ठेकेदारों, ओवरसियरों और इंजीनियरों पर ज्यादा नियंत्रण करे, इस बात का काफी प्रबन्ध करे कि वे लोग बेईमानी न कर सकें और फिर वह कोई भी मांग लेकर आवें, तो हम उस मांग का स्वागत करने के लिये तैयार हैं; लेकिन इससे पहले कि वह अपने घर की गन्दगी को दूर न कर सकें, हमसे यह चाहें कि हम करोड़ों रुपये की पूंजी उनके हाथों में सौंप दें, हमारा हृदय तो इस बात को गवारा नहीं करता। आप बहुमत में हैं और बहुमत में रहते हुए जितनी ज्यादा रकम चाहें स्वीकार करा लें और जैसा कि मेरे एक साथी ने उधर से कहा था कि निर्माण-कार्य के साथ-साथ कुछ व्यक्तियों का भी निर्माण आप करते हैं। उसके साथ-साथ आप कुछ व्यक्तियों का भी निर्माण करते रहें, हमें उसमें कोई परहेज नहीं, लेकिन हम आपको रुपया सौंपने के खिलाफ जायेंगे, क्योंकि हमारा मन और मस्तिष्क इस बात को गवारा नहीं कर सकता कि हम आपकी मांग का समर्थन करें। यही कारण है कि जिस वजह से मैं आज आपकी इस मांग का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

एक बात मैं पहले ही कह देना चाहता हूं और वह यह है कि इस सदन में पिछले बहुत दिनों से मैं नहीं था। आज ही मैं सदन में उपस्थित हो सका हूं और मेरे मांगने पर भी मुझे बजट सम्बन्धी पूरे कागजात नहीं मिल सके हैं और मैंने बजट के कागजात को नहीं देखा है। इसलिये मैं कोई आंकड़ा तो नहीं पेश कर सकता हूं और न आंकड़े पर कोई बहस करने के लिये तैयार हूं। मैं केवल एक बात इस बारे में कहना चाहता हूं और वह यह है कि मेरे सरकारी पक्ष के एक साथी श्री रामलखन जी ने, जो बलिया के माननीय सदस्य हैं, कहा कि हम समाजवाद के नाते यहां पर स्वीमिंग पुल बनाना चाहते हैं, लखनऊ की सड़कें चौड़ी करना चाहते हैं, और इसी को वे समाजवाद समझते हैं, लेकिन मेरे समाजवाद की व्याख्या तो कुछ दूसरी ही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रान्त के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां सौ-सौ मील तक बरसात में रास्ते बन्द हो जाते हैं और वहां पर पहुंचने के लिये कोई साधन नहीं रहता। जब वे ऐसी स्थिति का होना स्वीकार करते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि लखनऊ में लाखों रुपये तक व्यय करने का उन्होंने क्यों समर्थन किया। पहले भी लखनऊ में जब अंग्रेज यहां शासक थे या दिल्ली में रहते थे, या शहरों में रहते थे, उन अंग्रेजों ने अपने दो सौ वर्ष के राज्य में शहरों की उन्नति के लिये काफी पैसा खर्च किया और खास कर के लखनऊ को सजाने में तो उन्होंने कोई कसर ही नहीं उठा रखी। मैं तो समाजवाद का दूसरा मतलब समझता हूं। आप आज देहातों की तरफ जाकर देखिये तो मालूम होगा कि अंग्रेजों ने वहां कोई मार्ग बनाने की बात न कभी सोची और न उसकी जरूरत ही समझी और आज स्वराज्य हो जाने के बाद वहां की गरीब जनता हमारे कांग्रेसी नेताओं और हमारे उन माननीय मंत्रियों की तरफ आशा लगाये बैठी है कि हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र की तरफ भी नये-नये मार्ग खुलेंगे। लखनऊ में पचास-पचास कदम पर जो गमले लटकाये जा रहे हैं, जिसके अन्दर लगे फूल की ताजी खुशबू, सड़क पर चलने वालों को सुख पहुंचा सके। अगर इसके बजाय आपने देहातों में पहुंचने के लिये मामूली सड़कें और वहां तक पहुंचने के मामूली साधन उपस्थित कर दिये होते तो मैं समझता हूं कि आप के कदम समाजवाद की ओर बढ़े होते। मैं कहना चाहता हूं कि आप इस लखनऊ को सजाने में जो पैसा व्यय करना चाहते हैं और दूसरे नगरों के सजाने में जो पैसा आप खर्च करना चाहते हैं, उसको आप बचाइये और उसे उस निर्माण में खर्च कीजिये जहां पर उनकी वास्तविक और नितान्त आवश्यकता है, जहां की जनता सड़कों की भूखी है, जिसने निर्माण जाना ही नहीं है। मैं अपने जिले की कुछ बात कहने के लिये समय जरूर चाहता हूं, मैं कुछ इधर-उधर कहता रहा, लेकिन अपने जिले की बात अभी नहीं कह पाया . . . .

श्री अधिष्ठाता––आप बहुत दूर चले गये थे, अपने जिले के बारे में जो आपको कहना है वह जल्द कह लें, वक्त कम है।

श्री देवनारायण भारतीय––मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां की २ सड़कें थीं जो पिछली पंचवर्षीय योजना में ली गई थीं, लेकिन वे अभी तक पूरी नहीं बनी हैं। एक तो है पुवांया–मैलानी रोड और दूसरी है जलालाबाद से ढाई घाट जाने वाली सड़क। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहता हूं कि यह सड़कें अभी तक नहीं बनी हैं। जलालाबाद–ढाईघाट रोड केवल डेढ़ मील ही बनी है और बाकी दस मील अभी बननी बाकी है, इसी तरह से उस पुवांया–मैलानी रोड का ८ मील का ऐसा हिस्सा बाकी है, जो बन भी गया है, वह भी उसके न बनने से बेकार है। जब तक यह सड़क पुवाया से मैलानी को नहीं मिलाती उस वक्त तक जो सड़क खुटर तक बनी है वह भी बेकार है। इस के अलावा शाहजहांपुर जिले की तीन-चार सड़कें ऐसी हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक सड़क है जो काठ से मदनापुर

[श्री देवनारायण भारतीय]

को जाती है जो कच्ची है। अगर यह दस मील का टुकड़ा पक्का कर दिया जाय, तो हमारी दो तहसीलों का यातायात बढ़ जाता है और जिले का देहातों की पैदावार शहरों में आसानी से पहुंच सकती है। उसी तरह से तिलहर में खुदागंज से जो कटरे को सड़क जाती है, वह कच्ची है। अगर उसको पक्का करके मिला दिया जाय, तो खुदागंज जो टाउन एरिया है और जहां पर खंडसारी की मंडी है बहुत तरक्की कर सकता है। उसको शहर और रेल से अलग रखने से बहुत नुकसान हो रहा है और यह कोई दूरदर्शिता नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह सड़क भी उसी गिनती में आ जानी चाहिये, जिनको जल्द बनना है। इसी तरह से एक सड़क पुवायें से पूरनपुर जिला पीलीभीत को जाती है, पुवायें का ऐसा क्षेत्र है कि जिस में जंगल और देहात अधिक हैं, उस में पक्की सड़क के न होने से दोनों जिलों के गांवों की पैदावार शहरों में ठीक से नहीं पहुंच पाती और एक बड़ी भारी बाधा इस तरह से है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने अगले प्रोग्राम में इन तीनों सड़कों को शामिल करने की कोशिश करे और पुवायां से पूरनपुर तक जो सड़क जाती है, उसको जल्दी पक्की कराने पर विचार करे।

कुमारी कमलकुमारी गोइंदी (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से, मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करती हूं। जहां तक तरक्की का प्रश्न है, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि सड़कों का निर्माण हो रहा है। जौनसार-भावर की तरफ जाइये तो आप देखेंगे कि पहाड़ी इलाकों में पत्थर कट रहे हैं और सड़कों का निर्माण हो रहा है। अगर आपको जंगल में मंगल बनाती हुई सड़कें देखनी हैं, तो दुद्धी की तरफ आप जा सकते हैं। इससे मालूम होगा कि यातायात में किस तरह से तरक्की हुई है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि पूरी तरक्की हो गई है।

मैं थोड़े से समय में कुछ सुझाव देना चाहती हूं। पहला सुझाव यह है कि जरा गांव की तरफ देखें, इलाहाबाद का तो नाम ही नहीं लिया गया, करछना की तरफ एक-एक गांव आप देखें तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि गांव के लोगों ने सारे रास्ते जोत रखे हैं, साधारण जाने का रास्ता तक नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार सर्वे कराये और साधारण मार्ग जरूर छोड़ दिये जायं, ताकि जनता वहां तक आसानी से पहुंच सके, सड़कों का डीमारकेशन हो जाय। इसके अलावा सभापतियों को यह सुझाव दिया जाय कि इन demar cated सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगवा लें, जिससे रास्ता अच्छा हो जाय। इसके अलावा रास्ते में जो ऊंची-नीची जगहें पड़ती हैं, उसके लिये सभापतियों से कह दिया जाय कि वे लोग इसको बराबर करवायें। अगर थोड़ा बहुत सरकार को खर्चा भी देना पड़े, तो दिया जाय।

(इस समय ३ बजकर १८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लेकिन सबसे दर्दनाक हालत उन गांवों की है, जो नालों के किनारे बसे हुये हैं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी करछना में कंजासा इत्यादि अनेकों गांव इस तरीके से बसे हुये हैं कि अगर उनके साधारण जीवन को देखा जाय तो आपको मालूम होगा कि किस तरह से वहां के लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है, तो डाक्टर का पहुंचना मुश्किल है, और न वह ही ले जाया जा सकता है। वहां के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बरसात में उन नालों को पार करके नहीं जा सकते हैं, कभी-कभी तो ऐसे केसेज हो जाते हैं कि बच्चे बह जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन जगहों पर छोटे-छोटे पुल बनवाने का सरकार कष्ट करे और जो बड़ी २ योजनायें हैं, उनमें से कुछ पैसा निकाल कर इनको पूरा किया जाय। ऐसी जगहों पर निर्माण का काम भी होना मुश्किल है, क्योंकि निर्माण का सामान तक नहीं पहुंच सकता। इसलिये मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करती हूं कि इन पुलियों के ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करके इनको बनवाया जाय, ताकि वहां की जनता को सुख पहुंचे और निर्माण का सामान भी पहुंच सके।

तीसरी बात यह है कि सड़कों के किनारे जो मंडियां हैं और दोनों तरफ कच्ची है तो उसमें यह असुविधा पड़ती है कि धूल सामान के ऊपर पड़ती रहती है और बीमारी फैलती है।

बरसात के दिनों में तो अगर उधर से कोई गुजर जाय, तो देखेंगे कि किस तरह ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कोई सड़कों के किनारे जा नहीं सकता, दोनों तरफ की पटरियां बहुत गंदी हो जाती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि इन मंडियों से ही बीमारी शुरू होती है। जैसी मेरी कांस्टीट्यूएंसी में जसरा इलाहाबाद बांदा रोड पर स्थित है। पहले पहल यहां से ही बीमारी आरम्भ हुई, क्योंकि मक्खियों का यह घर है। घूरपुर जो इलाहाबाद-रीवां रोड पर है तथा भरवारी मंडी–इन सब मंडियों की यही हालत है। तो हमारा यह सुझाव है कि किसी भी मद से रुपया निकालकर यहां के लोगों का जो दुःखमय जीवन है, उसमें सुधार करने का प्रयास आप करें। अगर हम लोग इन चीजों पर ध्यान देंगे, तभी वहां जो हमारी जनता है, उस तक हमारे स्वराज्य की रोशनी पहुंच सकेगी और हम लोग उनको उन्नति के मार्ग पर ले जा सकेंगे। आज वहां सामान पहुंचाना तो दूर रहा, जाना भी मुश्किल है। इसलिये मैं इस तरफ फिर सरकार की तवज्जह दिलाती हूं। जहां तक तरक्की का सवाल है वह तो आप सब जानते हैं कि चारों तरफ सड़कों के मामले में बहुत ही तरक्की हुई है। धन्यवाद!

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय पद्माकर लाल जी ने पेश किया है मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस निर्माण विभाग का जो बजट है दस करोड़ रुपये के करीब का है। इस पर सुबह से अब तक हुई इधर के भी सब भाइयों की बातों को मैं सुनता रहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि भ्रष्टाचार और खामियां कामों की हर व्यक्ति को महसूस होती हैं। उधर के लोग भी बताते हैं और इधर के लोग भी बताते हैं कि भ्रष्टाचार है। लेकिन इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाते हुये सबसे ज्यादा स्तब्ध रह जाता हूं इस बात की ओर कि हर आदमी को तो दिखाई देता है, इस सदन के सभी सदस्यों को भ्रष्टाचार और कामों में खामियां दिखाई देती हैं लेकिन मंत्री महोदय को नहीं दिखाई देतीं कभी भी। जब मंत्रिमंडल का चश्मा चढ़ गया और वह माननीय हाफिज जी ने इसी सदन में बताया कि मेरी आंखों से देखो तब इसे देख सकते हो वरना नामुमकिन है देखना। तो मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाता हूं कि जैसा कि कहा गया है कि 'लैला बचश्मे मजनू बायद दीद' तो यह काम तभी दिखाई दे सकता है कि जब मंत्रिमंडल के चश्मे से देखें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपका ध्यान गोंडा जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं। हमारे निर्माण मंत्री जी वहां गये हैं और देखा है कि गोंडा जिले की हालत कितनी भयावह है। वहां यातायात के साधन तो जाने दीजिये। एक सड़क का हाल मैं आपको बतलाऊं, नवाबगंज मझा से जो ढेमवाघाट को जाती है, उस सड़क पर ४ मील के लिये गन्ना विभाग की तरफ से सरकार से मंजूरी हुई है जो सी०सी० ट्रैक बन रही है, वहां एक दरिया पड़ जाती है। उस पर पुल का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पता नहीं कितना रुपया लगेगा, लेकिन उस क्षेत्र के २० हजार आदमी ऐसे हैं जो बाढ़-ग्रस्त हो जाते हैं, उनको नावों पर लाया जाता है, तब वह बड़ी मुश्किल से पार होकर नवाबगंज कस्बे में पहुंच पाते हैं। तो मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करता हूं कि उस पुल के निर्माण में मंत्री महोदय जो कुछ भी सहायता कर सकें, करें। वहां के केन ग्रोअर्स ने २० हजार रुपये और सोसाइटी ने ५० हजार रुपये उसके लिये दिये। इस पुल का तखमीना भी पेश किया गया, बजट भी शायद बना हो, लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं गया। तो उस सड़क को बना दिया जाय।

दूसरी बात यह कि मंत्री महोदय के साथ मुझे स्वयं जाने का अवसर मिला। एक सड़क नवाबगंज से अतरौला जाती है। वहां एक शक्कर की फैक्टरी है, जिसमें ४५ लाख मन गन्ना पेरा जाता है। इस सड़क की बड़ी दुर्दशा है। उस पर बैलगाड़ी तक नहीं चल सकती। उस रास्ते से चलिये तो रास्ते में कोई बैलगाड़ी टूटी हुई और कोई उल्टी हुई नजर आयेगी। यह कभी नहीं हो सकता कि समूची गाड़ी वहां पहुंच जाय। उस सड़क को बनाने के लिये सारा

[श्री बलदेव सिंह]

सामान मुहइया हो गया। मंत्री महोदय मौके पर गये और कहा भी कि अब इसका निर्माण हो जायगा। वहां रोड़ा व पत्थर पड़ गया, लेकिन अब उसे दूसरी जगह के लिये ट्रक से ढोया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट हो कर वहां आया, खर्चा पड़ा और अब उठा कर दूसरी जगह उसे ले जाया जा रहा है। ऐसे ही मनकापुर से दरजीकुआं सड़क जाती है। बाजार के नजदीक दो मील तक सड़क बहुत खराब थी। मैंने निर्माण विभाग के एक्जिक्यूटिव इंजीनियर से मिल कर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर जनता द्वारा कुछ धन संग्रह हो, तो इस सड़क को बना सकते हैं। हमने परिश्रम करके रुपया इकट्ठा किया, आदमी दिये, रोड़ा दिया। पी०डब्लू०डी० का रोलर भी गया, सड़क कुटी, पत्थर की गिट्टी बन गई, तारकोल व डामर आ गया, लेकिन जब परसों मैं वहां से चला हूं, तो देखा कि ट्रक पर सामान लादा जा रहा है और दूसरी जगह जा रहा है। रोलर से गिट्टी कुटी पड़ी है, लेकिन तारकोल नहीं पड़ेगा। मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस तरफ दिलाऊंगा कि जनता ने उदारतापूर्वक सहायता दी, हजारों आदमियों का श्रम दिया और २०, २५ हजार रुपये भी दिये, लेकिन श्रीमन्, रोड़ी तो कूटी गई सिर्फ तारकोल न डालने से उसे बरबाद न किया जाय। ऐसी ही एक सड़क मोतीगंज से डुमरिया-डीह तक जाती है। मोतीगंज से दो मील तक वह सड़क बन रही है और दो मील पक्की सड़क बनने से छूट रही है। लिहाजा मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल १० मील सड़क गोंडा जिले में बनी, जिसमें भी कुछ काम तीन मील का बाकी है। तो श्रीमन्, अगर इसी तरह से दो मील सड़क हर साल बनती रही, तो कब तक वह कार्य पूरा हो पायेगा और कौन-सा तरीका ऐसा होगा, जिससे कि वहां की सड़कें बन जायं।

श्रीमन्, आप जानते ही हैं कि यह जिला बाढ़-ग्रस्त है। सड़कों व पुलों का निर्माण आप जानते ही हैं कि बड़ा आवश्यक है। वहां चारों तरफ से नदियां राप्ती, सरयू, घाघरा गोंडा जिले को बीचों-बीच चीर कर निकलती हैं और फिर भी वहां पर किसी प्रकार के पुल का साधन नहीं है। अब अगर इस बरसात के जमाने में गोंडा जिले से कोई आदमी मोटर ले कर निकलना चाहे तो नामुमकिन है। नाव का साधन मिले और उस पर भी अगर हवा माफिक हो तो एक दिन पार होने में लगेगा वर्ना दो दो दिन उस रेते में पड़े रहना पड़ता है। तो उस पुल के सरज में, निर्माण के लिए कई बार चर्चा आई। खैर, धन हो या न हो, वह बन सकता है या नहीं बन सकता है, लेकिन मैं ध्यान उस ओर खास तौर से दिलाता हूं कि जहां कि सांझे का एरिया है और जहां बीसियों हजार आदमी हर साल नाव से निकालने पड़ते हैं और महज एक पुल चौघड़िया के बनने से उस काम में बहुत सरलता हो सकती है और अच्छे ढंग से आदमियों को निकाला जा सकता है। तो मैं आपके द्वारा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस चौघड़िया पुल पर जो भी वहां की जनता की सहायता चाहेंगे और वहां के विभाग की सहायता चाहेंगे, वहां से उनको पचासों हजार रुपये सहायता में मिल सकते हैं अतः उस सड़क को निर्माण कराने की कृपा करें।

ऐसे ही एक सड़क कर्नलगंज से कुकुरभोगवा को जाती है। उस सड़क में, श्रीमन्, कमर-कमर के बराबर गड्ढे हैं और उसका पार होना न होना तो आप जानें।

अब श्रीमन् आपको लालबत्ती भी हो गयी है और मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि बजाय अपने चश्मे के, अपनी आंखों के, इस सदन की आंखों से भी देखने की कृपा करें, जिससे इस प्रदेश का कल्याण हो। सारी जनता समझती है कि भ्रष्टाचार होता है और सारे इधर के, उधर के सभी सदस्य इसमें सहमत हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक इंजीनियर ने यह बात कही कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि सिवाय कमीशन की रकम के और कोई नहीं लेता हूं। तो कमीशन की रकम लेनी जायज थी। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस मंत्रिमंडल के चश्मे से न देख कर सारे इधर-उधर के लोगों की आंखों से देख कर देश का निर्माण करने में सफल हों। अन्त में मैं पद्माकरलाल जी के कटमोशन का समर्थन करता हूं।

श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)––उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी देश प्रगति के मार्ग पर तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक उस देश में यातायात के साधन समुचित रूप से प्राप्त न हों। हमारे प्रदेश में यातायात के साधनों की बहुत कमी है और यही कारण है कि हमारी जो पंचवर्षीय विकास की योजनाएं हैं उनको शीघ्रता से पूरा करने में हमें काफी बाधा पड़ती है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब पंचवर्षीय योजना बनने लगी उस समय उत्तर प्रदेश के लिए सारे निर्माण विभाग के लिए काफी धनराशि की घोषणा की गयी, लेकिन हमें इस बात का दुःख है कि वह धन जो केन्द्र से हमें मिलना चाहिये था और जिसके आधार पर हमने अपने प्रदेश के निर्माण कार्यों का एक चित्र खींचा था, उस धन में काफी कमी हुई और वह चित्र हमारा पूरा नहीं हो सका।

हम समझते हैं कि इस अवसर पर सभी इस सदन के माननीय सदस्य हमसे सहमत होंगे कि हमें इस बात के लिए सरकार की तरफ से तथा अपने सब लोगों की तरफ से काफी जोर डालना चाहिये कि केन्द्र से हमारे प्रदेश को काफी सहायता मिल सके।

बजट के आइटम को पढ़ने से हमें ज्ञात हुआ है कि इस चालू वर्ष में ३२० मील नयी पक्की सड़कें बनायी जायंगी और १५५ मील मौजूदा सड़कों को आधुनिक ढंग से बनाया जायगा। इसमें कोई शक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि हमारे प्रदेश में अच्छी से अच्छी सड़कों का निर्माण हो सके। यह हम आप सभी को विदित है कि हमारे प्रदेश में यातायात के साधनों की बहुत कमी है। हमारे प्रदेश के अधिकांश जिलों के अधिकांश भाग ऐसे मिलेंगे जिनमें बाढ़ और बरसात के दिनों में ६–६ महीने तक आवागमन रुक जाता है। मैं विशेषतौर से आपका ध्यान पूर्वी जिलों की ओर दिलाना चाहूंगा कि वहां जो सड़कें हैं उनकी दशा बड़ी शोचनीय है और वहां कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें साल के छै महीने तक अधिकांश भाग प्रायः आवागमन के लिये समाप्त न हो जाता हो।

श्री उपाध्यक्ष––आवागमन से आपका मतलब जन्म-मृत्यु से तो नहीं है ?

श्री शिवमंगल सिंह––जी नहीं, आने जाने से है। जब हमारे यहां ऐसी समस्या उपस्थित है तो हमें अपने धन का काफी रुपया सड़कों के आधुनिकीकरण में लगाना कुछ उचित प्रतीत नहीं होता बजाय इसके मैं समझता हूं कि सब भागों में अधिक से अधिक नई सड़कें बनाई जायं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मार्डरेनाइजेशन आफ रोड्स की तरफ ज्यादा ध्यान न देकर अगर हम नई सड़कों के बनाने में लगेंगे तो प्रदेश का काफी लाभ होगा।

मैं अब माननीय मंत्री जी का ध्यान विभागीय त्रुटियों की ओर दिलाना चाहता हूं। हम बजट के जितने आइटम्स को स्वीकृति प्रदान करते हैं उनके सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ करने के आदेश बहुत दिनों तक जिलों में नहीं पहुंच पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि निश्चित समय पर काम पूरे नहीं हो पाते। कोई भी काम करने के आदेश जाते हैं तो वह ४–५ महीने से पहले जिले में नहीं पहुंच पाते हैं।

श्रीमन्, सड़कों का काम ऐसा होता है जैसे कंकड़ इकट्ठा करना है, उसके लिये एक खास समय होता है। अगर समय पर आज्ञा पहुंच गई तब तो कंकड़ जमा कर लिया जाता है अगर बाद में पहुंची तो परिणाम यह होता है कि कार्य पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि कंकड़ नहीं मिल पाता है। अगर कोई अधिकारी अधिक दिलचस्पी लेता है तो रद्दी किस्म के कंकड़ से काम पूरा कराया जाता है और हम अनुभव करते

[श्री शिवमंगलसिंह]

हैं कि सड़कों की क्वालिटी खराब होती जा रही है। ऐसी दशा में मेरा सुझाव है कि जो प्रोसीजर यहां से जिलों को आदेश जाने का है उसको सरल बनाया जाय ताकि समय पर सूचना भेजी जा सके और समय पर कार्य पूरे हो सकें।

मैं विशेषतौर पर मंत्री महोदय का ध्यान अपने जिले बलिया की सिकन्दरपुर-बांसडीह-रेवती सड़क की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह एक ऐसी सड़क है, जिस पर ५ टाउन एरियाज में से चार स्थित हैं। प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी जिलाधीश और अन्य अधिकारियों ने इसकी महत्ता को स्वीकार किया है। यह सड़क उन क्षेत्रों से गुजरती है जहां प्रायः प्रत्येक वर्ष बाढ़ आया करती है। अगर बाढ़ न भी आये तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि साल में छै महीने तक किसी भी सवारी का उस पर जाना मुश्किल हो जाता है। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि जब लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं तो इन सड़कों के द्वारा उनको कोई सामान नहीं पहुंच पाता है तथा इनका कुछ उपयोग नहीं हो पाता है। यह सही है कि यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ले ली गई है। लेकिन हमें खेद है कि इस सड़क की प्रगति तेजी के साथ आगे नहीं चल रही है और मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि बलिया जिले के लिये यह सड़क (सिकन्दरपुर-बांसडीह-रेवती सड़क) सब से महत्वपूर्ण सड़क है। ऐसी दशा में हम मंत्री महोदय से यह अनुरोध करेंगे कि वे शीघ्रातिशीघ्र इस सड़क को पूरा करने की कृपा करें।

दूसरी चीज जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा वह है सरयू नदी पर स्थित पिपरा का पुल। यह पुल बलिया से बनारस हाइवे पर स्थित है और जितने भी लोग उधर से गुजरने वाले होते हैं वे इस बात को महसूस करते हैं कि बरसात के दिनों में उस नदी को पार करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिये हमारे यहां से जिला नियोजन समिति ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके सरकार से यह अनुरोध किया था कि पिपरा का पुल बनना बड़ा आवश्यक है। और यहां से जब हमारे मंत्री महोदय बलिया गये थे तो उनको भी यह दिखलाया गया था और उन्होंने स्वीकार किया था कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण पुल है। इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पुल को शीघ्र से शीघ्र बनवाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ जो हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री जी द्वारा अनुदान प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--श्रीमन्, हमारे पद्माकरलाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं, श्रीमन् देख रहा हूं कि अभी तक वाद-विवाद के अन्दर जो बातें कही गयीं वे स्थानीय समस्याओं को लेकर कही गयीं। परन्तु हमारे मंत्री महोदय ने जो बजट हमारे सामने रखा है उसको अगर कोई ध्यानपूर्वक देखे तो मैं समझता हूं कि उसको हंसी भी आयेगी और रोना भी आयेगा। मैं हंसने का एक उदाहरण आपको अभी देता हूं कि इस बजट के अन्दर एक सड़क बन रही है जिसका नाम रखा गया है "आदित्यनाथ झा रोड"। मैं समझता हूं कि ये सज्जन हमारे प्रान्त के चीफ सेक्रेटरी होंगे। उस सड़क के लिये ४ लाख रुपये रखे गये हैं। और रोने का विषय इसके अन्दर यह है कि जिन शहीदों...

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस तरह से नामों को लेकर आप वाद-विवाद न करें।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--श्रीमन्, इसमें छपा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--कुछ भी हो। एक इशारा काफी है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--लेकिन श्रीमन्, वह नाम इसमें छपा हुआ है, इसीलिये मैं कह रहा हूं।

श्री उपाध्याक्ष––मैंने कह दिया।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे––आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। और शहीदों का जो स्मारक बन रहा है उसके लिये केवल ३ लाख रुपये रखे गये हैं। बड़ा आश्चर्य है कि जिन लोगों ने इस देश की स्वतन्त्रता के लिये सब कुछ न्यौछावर किया उनके स्मारक में केवल ३ लाख रुपये लगाये जा रहे हैं और जो सज्जन केवल कागज के ऊपर शहीद होते हैं उनके स्मारक में ४ लाख रुपये लगाये जा रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद है, बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं समझता हूं कि अगर अंग्रेजी में एक कहावत कहूं कि यह तो मार्टिर्स का इरेक्स मेमोरियल बन रहा है और दूसरा कुछ भी नहीं हो रहा है तो कुछ अनुपयुक्त नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि अगर बजट में देखा जाय तो जहां सड़कों का विवरण दिया हुआ है, वहां बजट में सफों के सफे खाली हैं, कोई आंकड़े ही नहीं दिये हैं। श्रीमन्, जो पुलिस का निर्माण इस विभाग द्वारा होगा उसमें आर्डिनरी एक्सपेन्सेज, और पुलिस आर्डिनरी स्कीम्स ६३,२४,१०० रुपये की रखी हुई है। यह डेवलपमेंट श्रीमन्, क्या पुलिस का किया जा रहा है? शिक्षा के अन्दर देखिये, १४ आर्डिनरी स्कीम्स ९,६१,००० रुपये की हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पाश्चात्य देश टोटेलिटेरियन कहे जा सकते हैं, जिनके अन्दर पुलिस का महत्व अधिक और शिक्षा का कम होता है। शिक्षा केवल सूचना मात्र को रहती है और वह सूचना भी सेन्सर्ड ऐंड कंट्रोल्ड बाई पुलिस होती है, उसी प्रकार की चीज यहां भी निर्माण की जा रही है। आज श्रीमन्, मैं कहूंगा कि देश को आवश्यकता इस बात की थी कि इतने बड़े देश को निर्माण करने की दृष्टि से शिक्षा के ऊपर अधिक जोर दिया जाता। श्रीमन्, अगर आप मेडिकल ले लें तो देखेंगे कि हमारे देश में आज जब कि महामारियां हो रही हैं उस समय अस्पताल आदि अन्य इमारतें बनाने के लिये इसमें कुल २,८१,७०० रुपया रख गया है। यह आर्डिनरी स्कीम्स में रखा गया है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि कृषि की आर्डिनरी स्कीम्स का कोई वर्णन नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बजट में जहां कि आर्डिनरी स्कीम्स को इतना महत्व दिया जा रहा है और पुलिस में ६३ लाख रुपया रखा गया है, उसमें क्या एग्रीकल्चर का कोई महत्व नहीं है यदि इस प्रान्त को देखा जाय, इसके समाज और राज्य की नींव को देखा जाय तो यही पता चलेगा कि यह एक कृषि प्रधान प्रदेश है, इंडस्ट्री प्रधान नहीं, उसकी ओर इस प्रकार ध्यान न देना एक दुर्लक्ष्य है। इससे हमारे समाज की नींव पुष्ट न होगी, बलवती नहीं होगी। उसको बलवती करने के लिये आवश्यकता है कि सड़कों का पूरा इंतजाम किया जाय। छोटी-छोटी रोड्स क्यों न हों उनके निर्माण की आवश्यकता है। गांव के अन्दर आप जाने का प्रयास करें तो बाज ऐसे स्थान हैं कि जहां कोई सड़क नहीं है। पुल नहीं है, बरसात में आवागमन असंभव हो जाता है। इतना ही नहीं श्रीमन्, मैं जौनपुर जिले के सम्बन्ध में कह सकता हूं कि बाज स्थान ऐसे हैं कि बरसात में अगर उन गांवों के अन्दर कोई बीमार पड़ जाय तो डाक्टर, वैद्य, हकीम को बुलाया नहीं जा सकता। बीमार ईश्वर के भरोसे ही रहेगा, जिये या मरे, यह उसका भाग्य है। तो आवश्यकता इस बात की थी कि उन लोगों की सहायता करने की दृष्टि से आने जाने के साधन बढ़ाने और उनको डेवलप करने की ओर दृष्टि जाना चाहिये थी, लेकिन इसमें हमारे मंत्री महोदय ने कोई ध्यान नहीं दिया, यह इस बजट से स्पष्ट है। आज बाजारों में आप देखें कि जो गल्ला किसान के यहां पैदा होता है वह अगर बाजार में ८ रुपये मन बिकता है उसको अपने घर पर वही ७ रुपये या ७ रुपये २ आने मन बेंचना पड़ता है। अगर खरीदार से इस फर्क के लिये प्रश्न किया जाय तो उत्तर होता

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

है कि इतना पैसा तो हम कारटेज के लिये रख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आने जाने के साधनों के अभाव के कारण किसान को उसके द्वारा उत्पादित सामान का पूरा मूल्य नहीं मिल सकता और जो उसको मूल्य मिलना चाहिये वह भी व्यापारी की कटौती के कारण उसको मिलना दूभर हो जाता है।

श्रीमन्, मैं देख रहा था कि इस बजट के अन्दर इस विभाग की दो नीतियां दिखाई पड़ रही हैं। कुछ स्थानों पर मकानों को प्राइवेट नेगोशियेशन्स के द्वारा खरीदा गया है और कुछ स्थानों पर श्रीमन्, जमीनों को एक्वायर किया गया है। अल्मोड़े में शिक्षा विभाग के लिये जमीन एक्वायर की गई है। सरकार को एक्वीजीशन का अधिकार है, परन्तु उसका प्रयोग लखनऊ में क्यों नहीं किया गया? अभी कुछ ही दिन पूर्व, मैं उदाहरण के लिये कह रहा हूं रायल होटल क्यों नेगोशियेशन्स के द्वारा खरीदा गया? एक्वायर क्यों नहीं किया गया? इसमें आया है अकबरपुर हाउस १,७४,००० रुपये में खरीदा गया। वह क्यों नहीं एक्वायर किया गया? क्लाइड रोड पर एक मकान खरीदने का विवरण आता है। क्यों उसके लिये प्राइवेट नेगोशियेशन्स हो रहे हैं? उसके अन्दर एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। और उस मकान के लिये एक लाख ७४ हजार रुपया सरकार आज दे रही है क्यों इसको एक्वायर नहीं किया गया? ऐश-बाग में इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी के लिये ज़मीन ली गयी है इसके लिये कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है। उसको कम्पेन्सेशन देने की क्या आवश्यकता है? जब आपको एक्वायर करने का अधिकार है तो क्यों नहीं उस ऐक्ट के अनुसार उसको एक्वायर किया जाता और उचित मूल्य पर उस ज़मीन को लिया जाता? एक बात मैं उदाहरण के लिये कहने को अवश्य बाध्य हूं। जब सरकारी अधिकारियों को सरकार से पैसा दिलाने का अवसर आता है तो वह प्राइवेट नेगोशियेशन कराते हैं और अगर वह २ रुपये की चीज़ है तो उसका ४ रुपया दिलाते हैं। इस तरह से वह दुगुनी कीमत उसकी सरकार से दिलाते हैं। जब उनको स्वयं खरीदना होता है तो वह स्वयं बात करते हैं। पुरानी कैसिल्स रोड (विक्रमादित्य मार्ग) पर अभी ६ एकड़ ज़मीन केवल ७५ हजार रुपये में ली गयी है। यह क्या है? इससे एक ही बात दिखाई देती है, जो ब्यूरोक्रेसी की बात कही जाती है। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल अपने मन्त्रियों के हाथ से बाहर होकर अपने आप भागती चली जाती है। मैं मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस सरकार की जो यह मितव्ययिता की पालिसी है, जब इसके लिये आवश्यकता हो तो क्यों नहीं लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट का प्रयोग किया जाता? प्राइवेट नेगोशियेशन से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्राइवेट नेगोशियेशन से यह हो सकता है कि ज्यादा पैसा दिया जाय।

मैं श्रीमन्, यह कह रहा था कि इस तरह से मकान लिये जाते हैं। ७६ हजार रुपये से नैनीताल में एक कोठी लेने की व्यवस्था की गयी है। मैं समझ नहीं पाया कि किस लिये यह मकान लिया जा रहा है। क्या हमारी सरकार यहां से दफ्तर नैनीताल हटा रही है। और उनके उपयोग के लिये वह मकान होगा। अगर यहां से दफ्तर हटाये जा रहे हैं तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट हाउस नैनीताल में खाली पड़ा हुआ है। क्यों नहीं उसका उपयोग किया जाता। इस ७६ हजार रुपये का जिक्र न तो माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में किया और न इस बजट में इसका कोई विवरण दिया हुआ है कि नैनीताल में कोठी लेने की क्या आवश्यकता पड़ गयी। मैं समझता हूं यह कोठी का खर्च बिल्कुल फिजूलखर्ची है।

मैं दूसरा उदाहरण भी दूं। इसी बजट के अन्दर डिप्टी मिनिस्टर्स के रेजिडेन्स के लिये १ लाख ८४ हजार रुपया दिया जा रहा है। जहां पर स्कूलों के बनाने के लिये व्यवस्था न हो वहां पर इस प्रकार से खर्च करने की क्या आवश्यकता है? इसमें हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूलों के लिये जो तिब्बत बोर्डर के पास खोले जायंगे उनके लिये

१ लाख ३९ हजार रुपये की बर्जटिंग की गयी है लेकिन २३ हजार ३ सौ रुपये का इस्टीमेट किया गया है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? रहने के मकानों को इतने महंगे बनाने की क्या आवश्यकता है। जहां पर हमारे बच्चों की शिक्षा होती है और जहां पर हमारे बालक अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हों उन स्कूलों के लिये इतना कम पैसा रखा जाता है यह कितने आश्चर्य की बात है? यह तो श्रीमन्, कहना पड़ेगा कि शिक्षा की ओर से सरकार उदासीन है और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के प्रति पूर्ण प्रयास करने का प्रयास है। जहां बालकों के जीवन निर्माण का प्रश्न है उसके बारे में दुर्लक्ष्य किया जाता है। इस प्रकार की सरकार की नीति घातक होगी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि फिर से इस बजट को हम लोगों की दृष्टि से, समष्टि की दृष्टि से ढालने का प्रयत्न करें। इसी बजट में श्रीमन्, एक आइटम ससपेन्स एकाउन्ट का ५६–५७ में ३ लाख रुपया रखा गया था लेकिन रिवाइज्ड इस्टीमेट में वह ७ लाख हो गया। मैं यह पिछले साल के आंकड़ों से भी देखता आ रहा हूं कि पहले कम रुपया रखा जाता है, लेकिन रिवाइज्ड में उसके आंकड़े दुगुने हो जाते हैं। इस साल के बजट में भी ३ लाख रुपया ससपेन्स एकाउन्ट में रखा गया है। इसके लिये मैं यह प्रश्न करूंगा कि क्या यह ७ लाख नहीं हो जायंगे। मुझे पिछले बजट को देखने से यह स्पष्ट हुआ कि पहले यह पद्धति थी कि ससपेंस एकाउन्ट सारे बजट के लिये एक होता था लेकिन इसमें भिन्न-भिन्न ससपेन्स एकाउन्ट रखे हुये हैं। इसकी क्या आवश्यकता है, इसका कहीं भी दिग्दर्शन नहीं है और माननीय मंत्री जी ने इसका इशारा तक नहीं किया।

श्रीमन्, मैं यह सुझाव दूंगा कि समाज के उत्थान की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से सारे हमारे काम होने चाहिये। जिस विभाग से माननीय मंत्री जी का सम्बन्ध है उसका सम्बन्ध आवागमन के मार्गों से है। उसमें तो और भी ज्यादा पैसा लगना चाहिये था। यह सारा ससपेंस एकाउन्ट बेकार है। अभी अमेरिका में एक एंटी ट्रस्ट इंक्वायरी कमेटी बैठी थी। जब उसके जनरल motors की बात आयी तो कमेटी के अध्यक्ष ने जनरल motors के चेयरमैन से यह प्रश्न पूछा कि तुम्हारे बजट में यह ससपेंस और एक्सपेंस एकाउन्ट्स क्या हैं तो उन्होंने बताया कि यह ससपेंस और एक्सपेंस एकाउन्ट में जो रुपया है वह अधिकारियों के आवागमन और टी० ए० में खर्च होता है। यह पूछने पर कि पूरे बजट का वह कौन-सा भाग है उन्होंने कहा कि वह total बजट का २५ प्रतिशत है। श्रीमन्, व्यापार में, जिस बड़े आर्गनाइजेशन में इतना बड़ा ससपेंस अकाउन्ट हो तो बार-बार यह प्रश्न उठाते रहना होता है कि ससपेंस एकाउन्ट क्यों इतना बढ़ गया।

श्रीमन्, पी०डब्लू०डी० में बड़ा करप्शन कहा जाता है। मेरा तो, श्रीमन्, यह विश्वास हो गया है कि यह करप्शन आज सीजर्स वाइफ हो गया है –

"Ceasar's wife is above suspicion tut everybody knows her infidelities except the poor husband. Now I leave the poor husband to find out her infidelities."

मैं यह कहूंगा कि पी० डब्लू० डी० का करप्शन पकड़ना बहुत आसान है। आज अगर कोई बिल्डिंग बनती है या पुल बनता है आप उसके ऊपर अपने एक्सपर्ट्स को बैठाकर उसकी साइंटिफिक नालिसिस करा लीजिये। अगर उसमें एक-चार का सीमेंट होने के बजाय एक पांच का मिला हुआ है तो स्पष्ट है कि वहां करप्शन मौजूद है। इसी प्रकार से गारा ले लीजिये। जरा-सा प्लास्टर को उखाड़िये तो आपको मालूम हो जायगा कि वहां कौन-सी ईंट लगी हुई है। अगर फर्स्ट क्लास के बजाय वहां सेकिंड क्लास लगी हुई है तो आपको फौरन मालूम हो जायगा कि वहां करप्शन मौजूद है।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

दूसरा सुझाव मैं और दूंगा जो कि प्लानिंग कमीशन की ओर से आया है वह यह है कि जितने भी कार्य इस राज्य के अन्दर हुये हैं उनकी एक सर्वे करायी जाय और उनमें यह देखा जाय कि जितना रुपया उसमें लगाया गया है उस रुपये के मुकाबिले में उस कार्य की उपादेयता है, सुदृढ़ता और स्थायित्व है या नहीं। यदि माननीय मंत्री जी मेरा सुझाव न मानें तो प्लानिंग कमीशन ही का सुझाव मान लें। अगर इस प्रकार सारे पी०डब्लू० डी० वर्क्स का निरीक्षण किया जाय तो सारी स्थिति स्वयं ही मालूम हो जायगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो बिल्डिंग बनायी गयी है या जो काम हुये हैं वे अगर ५० वर्ष के लिये हुये हैं तो २० वर्ष भी वे अच्छी तरह से नहीं चल सकते। अभी विधायक निवास को ही ले लीजिये। बनते देर नहीं हुई कि पानी चूने लगा।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ५७-५८ का सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी बजट है, उस पर मैं अपने विचारों को प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अपने जनपद की ओर से कुछ कहूंगा। देवरिया और देवरिया में हाड़ा तहसील जो है उसमें बहुत ही कम सड़कों का निर्माण हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पडरौना-खड्डा रोड जो ४० मील की है, उसको कृपा करके आपने पी० डब्लू०डी० में ले लिया है, इसके लिये आपको धन्यवाद है लेकिन जिस धीमी गति से उसका कार्यक्रम चल रहा है उसको देखते हुये यह मालूम हो रहा है कि उसमें सालों लगेंगे। उसकी ओर आप शीघ्रता से ध्यान देने की कृपा करें। देवरिया के बारे में आज सब माननीय सदस्य जानते हैं कि वह इस उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला कहा जाय, गरीब जिला या जनपद कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। वहां भुखमरी, बाढ़ और सूखा एक न एक आती ही रहती है। उस जनपद की हाड़ा तहसील की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं।

दूसरी बात मुझे आपसे यह कहना है कि हाटा से त्रिवेणी तक (हाटा वह तहसील है जो नैपाल के किनारे पड़ता है।) कम से कम २० मील तक के मार्ग को पी०डब्लू०डी० ले ली तो बड़ी अच्छी बात होगी। चूंकि पडरौना वहां से ८० मील के करीब पड़ता है, इस ८० मील के अन्दर कोई भी आने-जाने का अच्छा साधन नहीं है। इसकी वजह से बरसात के दिनों में चार पांच महीने तक किसानों को जब कि अकाल, महामारी या और कोई दैवी विपत्ति आ जाती है तो सहायता पहुंचाने के लिये कोई जरिया नहीं रहता जिससे उनको बड़ी परेशानी होती है। सरकार द्वारा गल्ले की दुकानें उत्तरी हाटा में कायम की गयी हैं। वहां पर मैंने देखा है कि बरसात के दिनों में वहां पर आसानी से अन्न तक नहीं पहुंचता, यह एक बड़ी खामी है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि हाटा बिलकुल नैपाल के बार्डर पर है। हाटा के उत्तरी हिस्से में एक तरफ तो बड़ी गंडक बहती है और उसके पश्चिमी हिस्से में छोटी गंडक बहती है जिसे नारायणी नदी भी कहते हैं। इन दोनों नदियों का जब तूफानी कटाव शुरू होता है तो वह पश्चिमी हिस्से को बिलकुल बर्बाद कर देता है। इसलिये रामकोला से लेकर खड्डा तक और लक्ष्मीगंज से खड्डा तक की दो रोड्स को अगर पी०डब्लू०डी० ले सके तो उससे वहां की जनता को बड़ी भारी सहूलियत मिल जायगी। जब बाढ़ आती है, सूखा होता है, या और कोई दैवी आपत्ति आती है या बरसात आ जाती है तो कम से कम खाद्य-पदार्थ वहां तक पहुंच सकें, इसके लिये बहुत जरूरी है कि सड़क बनायी जाय। इस तरह से जीवन की तमाम सामग्री को उन तक पहुंचाने के लिये बड़ा सुन्दर रास्ता हो जायगा।

इसी तरह से हाटा तहसील भी बहुत पिछड़ी हुई है। वहां पर २० मील तक के क्षेत्र में किसानों के लिये दवा करने के लिये कोई अस्पताल ही नहीं है। और बरसात के महीने में कोई साधन न होने से किसानों को बड़ी परेशानी होती है। जब कोई महामारी आती है

भुखमरी होती है या मलेरिया की बीमारी होती है तो उसका उत्तरी हिस्सा जरूर शिकार होता है। न मालूम क्या बात है, कि लगातार चार-पांच वर्षों से गोरखपुर, देवरिया और विशेष कर आजमगढ़, बलिया वगैरह में ही हर साल बड़ी बर्बादी होती है और किसानों को तकलीफ और मुसीबतों का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिये वहां की समस्या की तरफ सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये ।

सदन के माननीय सदस्यों ने कुछ बातें भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी कही हैं। कोई भी चाहे सरकारी बेंच का आदमी हो या अपोजीशन का आदमी हो, इससे रंचमात्र भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पी०डब्लू० विभाग में, माल विभाग में तथा और भी कई विभागों में भ्रष्टाचार है। लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहने से ही हमारा काम नहीं चलने वाला है। मैं तो कहता हूं कि अपोजीशन बेंचों के माननीय सदस्यों और सरकारी सदस्यों तथा माननीय मंत्री जी सभी को एक साथ मिल कर इस प्रदेश से भ्रष्टाचार का निराकरण करना है और मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार की बात कोई उठाता है तो उसमें माननीय मंत्री जी को कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिये। अगर हमारे अन्दर कोई कमजोरी है तो उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। क्या रूस में और चीन में भ्रष्टाचार नहीं था लेकिन उसे दूर किया गया। उसी तरह से हम अपने देश से और अपने प्रान्त से भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं।

जब हम पी०डब्लू० डी० के इंजीनियर्स, ओवरसीयर्स और दूसरे अफसरों को देखते हैं तो उनके जो सजे हुये बंगले हैं, जो उनके ऐशोआराम हैं, जो उनके ठाट हैं, जो उनका खानपान है, उनकी जो मोटर साइकिल हैं, उस सब को देखने से मालूम होता है और समझ में नहीं आता कि दो सौ ढाई सौ रुपया तनख्वाह पाने वाला किस तरह से इतने ऐशोआराम और ठाट की जिन्दगी बिता सकता है। जमींदारी विनाश से पहले जो राजा थे और बड़े जमींदार थे उनका भी अब वह ऐशोआराम नहीं रह गया है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि इस पी०डब्ल्यू०डी० तथा विभागों में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको हमें और आप को और सदन के हर मेम्बर को बड़ी बहादुरी, हिम्मत और तेजी के साथ दूर करना है, मैं समझता हूं कि यह हमारे समाज का एक बहुत बड़ा पाप है और एक भयानक रोग है और मुसीबत है जिससे हम, आप और कोई भी परेशान हो सकता है।

मैं विरोधी पक्ष के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि उन के सुझाव यहां बहुत नम्रता के साथ आने चाहिये। संसदीय प्रणाली में जो माननीय सदस्य भाग लेते हैं उन माननीय सदस्यों का बड़ा भारी स्थान होता है और उनका कर्त्तव्य होता है कि वह संसदीय ढंग से ऐसे सुझाव सरकार के सामने रखें कि जिससे सरकार का कार्य ठीक अच्छे और सुचारुरूप से चल सके। जो संसदीय तरीका पाश्चात्य देशों में अपनाया जाता है वही तरीका हमें अपनाना चाहिये और सुन्दर, अच्छे, कार्यान्वित होने योग्य सुझाव यहां आने चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि जितने हमारे माननीय सदस्य हैं चाहे वह इस तरफ के हों या उस तरफ के हों उन सबके लिये यह जरूरी है कि हमारे समाज में जितनी बुराइयां हैं उनको जल्द दूर करने का हम सब मिलकर प्रयत्न करें और जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वह प्रशासन की जिम्मेदारी और कमियों को समझें और निभायें तभी हमारे प्रदेश का और समाज का बोलबाला हो सकता है। हमारे देश में सच्चा समाजवाद तभी कायम होगा जब हमारा आपका और सारे देश का नैतिक स्तर ऊंचा होगा। जब मैं यहां पर समाजवाद की बात सुनता हूं तो मुझे ताज्जुब होता है कि लोग समाजवाद के न जाने क्या-क्या अर्थ लगाते हैं। कोई कहता है कि समाजवाद में यह मकान नहीं होंगे, मोटर नहीं होंगी, चलने के लिये रास्ते नहीं होंगे, यह सड़कें नहीं होंगी, खाने पीने के साधन नहीं होंगे। पता नहीं कि फिर उनके

[श्री राजदेव उपाध्याय]

समाजवाद में क्या होगा ? समाजवाद को एक हौवा वह बनाते हैं। न मालूम किस रास्ते से, किस ढंग से, किस कार्यक्रम से इन लोगों का समाजवाद कायम होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री राजदेव उपाध्याय—केवल २ मिनट में मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, आप का समय अब नहीं रहा । मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि आपने 'आप' शब्द का प्रयोग अपने भाषण में बहुत किया है । यहां सदन में 'आप' शब्द का प्रयोग अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिये होता है । आप को माननीय मंत्री के लिये कुछ कहना हो तो आप "सरकार" या माननीय मंत्री कहा करें ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—उपाध्यक्ष महोदय, १२ बजे से इस पर बहस चल रही है । ठीक है, एक चीज तो हमारे यहां बहुत हो गई है वह है भ्रष्टाचार और गन्दगी और इसको हमारे जो कांग्रेस के सदस्य हैं वे भी मानते हैं और विरोधी पार्टियों के लोग भी इस बात को मानते हैं । लेकिन सवाल यह है कि इसको दूर कैसे किया जाय ? देश को आजादी सन् ४७ में मिली और तब से सरकार ने बहुत से काम किये, निर्माण किये और सैकड़ों मील की सड़कें बनाईं, पुल बनाये, बांध बनाये । मैं कहता हूं कि सरकार का निर्माण हुआ सन् ४७ में । सन् ४७ तक जब कांग्रेस में थे तो सरकार से कहा करते थे कि कांग्रेस की सरकार बने । लेकिन जब सन् १९४७ में इसका नया निर्माण हो गया तो क्या हुआ ? यह सोचने की बात है । निर्माण तो हुआ और ऐसा निर्माण हुआ कि पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता, त्यागी और तपस्वी जिनके घर बरबाद हो गये वे कांग्रेस से खत्म हो गये और नयों की भर्ती हो गयी और नया निर्माण हो गया । यह निर्माण है ? पुरानी सड़कों को तोड़ दिया और नई सड़कों का निर्माण कर दिया, यह है निर्माण ? सच्चे मजनुओं का पता नहीं, यह तो नकली मजनू रह गये । सच्चा दिल होगा, सच्ची आत्मा होगी तो पाताल को उठाया जायगा और कैलाश को झुकाया जायगा, तब भला होगा ।

श्रीमन्, झाड़ी में आग लग गई उस झाड़ी में प्रतिक्रियावादी पक्षी भी रहते हैं, जब आग लगी तो दूसरे पक्षी कहते हैं कि उड़ चलो अब यहां कोई फायदा नहीं । तो रहने वाले पक्षी कह रहे हैं हम नहीं जायेंगे । सच्चे मजनू कह रहे हैं कि हम झाड़ी को छोड़कर नहीं जायेंगे लेकिन अवसरवादी कह रहे हैं कि हमने तो फल खा लिये और अब उड़ कर दूसरे बाग को जायेंगे । तो झाड़ी के रहने वाले उन प्रतिक्रियावादी और अवसरवादियों से कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे । तो अवसरवादी पक्षी क्या कह रहे हैं--

दौं लागी इस विकट विटप में तड़कन लागे बांस,
तुम क्यों जलौ पखेरुओ पंख तुम्हारे पास ।

झाड़ी के रहने वाले पक्षी कहते हैं --

फल खाये इस वृक्ष के, डीठ बिगारे पात,
यही हमारा धर्म है कि हम जलें इसी के साथ ।

जब सच्चा मजनू होगा तब देश का निर्माण होगा । हमारी सरकार ने कई पुलियां बनाई, पुल बनाये । बहुत निर्माण हुआ, सब चीजों में वृद्धि हुई....

श्री राजदेव उपाध्याय—यह स्पीच सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऊपर हो रही है या किसी और विषय पर ?

श्री उपाध्यक्ष—मेरा ख्याल है कि आप इस भाषण के अलंकार को समझने में असमर्थ रहे ।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था कि सड़कें बढ़ीं, पुल बने, सब चीजों में वृद्धि हुई, अदालतें बढ़ीं, एक जिलाधीश से दो जिलाधीश हो गये, चार तहसीलों में चार हाकिम परगना होते थे अब ६ मैजिस्ट्रेट और दस हाकिम परगना हो गये तो निर्माण हुआ या और कुछ हुआ ? भवनों का निर्माण हुआ, कोठियों का निर्माण हुआ और पन्द्रह बीस लाख आदमियों का तो ऐसा निर्माण हुआ कि पहले यों कहा करते थे कि अंग्रेजों के कुत्ते चला करते हैं कारों में और अब इन नवनिर्माण वालों के कुत्ते चलते हैं हवाई जहाजों में, यह है देश का निर्माण हमें सच्चा मन बनाना है, सच्चा दिल बनाना है, तब हमें देश का निर्माण करना है। इस तरह से क्या निर्माण हो सकता है ?

मथुरा जिले के बारे में श्रीमान् जी से कुछ अर्ज कर देना चाहता हूं। मथुरा और माठ दोनों मिले हुये हैं। राया से सादाबाद जाने वाली सड़क २० मील है। उसके बीच की सड़क की हालत बड़ी खराब है। हमारे यहां श्रावण के महीने में बहिन बिटिया सब बुलाई जाती हैं और बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन को सब दामाद और रिश्तेदार जो होते हैं वह दूर दूर से आया करते हैं लेकिन उस सड़क का हाल क्या बयान किया जाय। उस पर तेज धार पानी की बहती है। श्रावण के महीने में उस सड़क पर से हमारी माता बहिन और बिटिया आती हैं। पचास गांव वहां के ऐसे हैं दाऊ जी के आसपास कि सावन और भादों के महीने में कई हाथ पानी खेतों में भर जाता है। हमने सरकार से कहा कि यहां एक नाला निकाल दिया जाय तो यह पानी निकल जाय। आचार्य जी जो हमारे माठ क्षेत्र से आये हैं उनके यहां अभी माठ के पास से तार आया है कि हमारी सारी ईख और दूसरी फसल गल गई और तीन तीन गज पानी चल रहा है, इसके लिये कुछ कीजिये। कोई नाला खुदवा दिया जाय और उसका पानी निकाला जाय नहर के लिये तो वहां के किसानों को सुविधा हो जाय। तो श्रीमन्, क्या कहूं कोई कटु शब्द नहीं है लेकिन अंत में मैं कहूंगा कि—

कांटे से भी खराब है जिस गुल में बू न हो।
वीराने की मिसाल है जिस दिल में तू न हो॥

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग के अवसर पर बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री द्वारा जो आय-व्ययक का लेखा सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यों तो हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा देश के उत्थान और निर्माण के लिये बहुत सी योजनाएं चलायी जा रही हैं, खाद्य परिस्थिति पर काबू करने के लिये, शिक्षा को बढ़ाने के लिये, सिंचाई के लिए, तमाम यह मदें जहां हैं वहां आज देश में यातायात के साधन उपलब्ध करने के लिये भी सरकार प्रयत्नशील है और आज उसी के आय-व्ययक के लेखे पर हम सदन में वादविवाद कर रहे हैं। यों तो जब से वाद-विवाद चल रहा है हमने देखा कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बातें कही गईं परन्तु यह सुनकर बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब हुआ कि माननीय विरोधी दल के लोग सिर्फ यही समझते हैं कि कोई अनुदान हो या सरकार द्वारा कोई चीज लायी जाय तो जो विरोधी पक्ष है वह सिर्फ विरोध के लिए ही व्याख्यान देता है और अपने विचार प्रगट करता है। यों तो बहुत सी बातें कही गईं, लेकिन जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग का सम्बन्ध है उसमें तो गांव-गांव में सड़कें लानी हैं, यातायात के लिये इंटीरियर में पहुंचना है। तभी किसी गांव की उन्नति हो सकती है। उसके लिये हमारी सरकार की तरफ से बहुत सी कोशिशें हो रही हैं। लोकल बाडीज की तरफ से सड़कें बनाई जाती हैं। टाउन एरियाज या डिस्ट्रक्ट बोर्ड्स की तरफ से प्रबन्ध किये जा रहे हैं और प्लानिंग विभाग द्वारा, जैसा कि माननीय मंत्री द्वारा बतलाया गया, गांव गांव में कई हजार मील सड़कें बनाई

[श्री रामकृष्ण जैसवार]

गई । उनको पक्का करने के साधन हमारे पास नहीं हैं हालांकि उनको पक्का करने का हमारा विचार है। लेकिन इसके लिये साधनों की आवश्यकता है। विरोधी दल के सदस्य और ट्रेजरी बैंचेज के सदस्य भी आय के साधनों पर टीका-टिप्पणी करते हैं, उसी प्रकार से व्यय करने के लिये भी साधनों का उपलब्ध होना आवश्यक है।

हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद जैसा कि बहुत से भाइयों ने बतलाया हमारे प्रदेश व देश में बहुत से कार्य हुए । माननीय सदस्यों ने भी अपने अपने क्षेत्र की बात कही जो कि स्वभावतः कहनी चाहिये थी । हम भी अपने क्षेत्र की बात कहेंगे । हमारे पास जितने साधन उपलब्ध थे उनको देखते हुए हम अपना कार्य करते चले जा रहे हैं।

अभी हमने माननीय यादवेन्द्रदत्त जी दुबे की बातें सुनीं तमाम आंकड़े उन्होंने पेश किये और तमाम आलोचनायें उन्होंने कीं । ठीक है, विरोधी दल के लोगों को अच्छे सुझाव देने चाहिये ताकि यदि हम गलत कदम उठायें तो हम संभल सकें ।

भ्रष्टाचार की बात बड़े जोरों के साथ कही गई । जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं, कण-कण में विद्यमान हैं उसी तरह से भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो वे भ्रष्टाचार की बात कहते हैं तो आज मैं यह कहूंगा कि हमारा सामाजिक स्तर ही इतना नीचा गिर गया है कि कहां पर भ्रष्टाचार नहीं पाया जाता? चमार को ही ले लीजिये। उससे कहा जाय कि बढ़िया से बढ़िया जूता बना दे तो कहीं न कहीं मिट्टीभर दे गा । दूध वाले को देखा जाय, चाहे कितना भी ईमानदार हो पानी अवश्य मिलायेगा। लिहाजा विरोधी दल के लोग, जो सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार का ढोल पीटते हैं उनको चाहिये कि वे और हम दोनों मिल कर भ्रष्टाचार को समाज से निकालने का प्रयत्न करें तो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि पूरी जिम्मेदारी आज किसी जनतंत्र प्रणाली को चलाने के लिये जिस प्रकार से कि लेजिस्लेचर पर पड़ती है उससे कहीं ज्यादा एक्जिक्यूटिव व जुडिशियरी पर होती है। तो आज हमको सरकार के किसी व्यक्ति को नहीं देखना है बल्कि देखना यह है कि सरकार की नीयत क्या है उसकी पालिसी क्या है वह किस प्रकार से सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर रही है, जिनकी कि वह समय-समय पर घोषणा करती है। आज हमने समाजवाद का नारा लगा दिया है। तो देखना यह है कि उस पर वह जा रही है या नहीं जा रही है। अगर खामी है तो उस तरफ हमें ध्यान आकर्षित कराना चाहिये ।

यह ठीक है कि यातायात के साधनों की बहुत कमी है । लेकिन प्रत्येक जिले में जितना संभव हो सकता है सरकार करने की कोशिश कर रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो टार्गेट बनाया गया था, जो लक्ष्य था, उसकी पूर्ति की गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये जो बजट बन रहा है जो लक्ष्य है उस पर हम अग्रसर हो रहे हैं।

इन सब बातों को कहते हुए मैं पुनः माननीय मंत्री का ध्यान अपने जिले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। गंगा पर पुल के निर्माण के लिये बड़े जोरों से चर्चा चल रही है। और वह पेपर्स में कारस्पाडेंस में आया और जिम्मेदार लोगों के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वह जल्द बनेगा । मैं अनुरोध करूंगा कि उसे वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और इस बजट में सम्मिलित करने की कृपा करें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसकी तरफ कदम बढ़ायें। जनता को यह प्रतीत हो कि हमारे जिले की यह महत्वपूर्ण चीज जो बनारस और मिर्जापुर को मिलाती है वह कम से कम बनने जा रही है। इंटीरियर में मिर्जापुर दुद्धी और राबर्ट्सगंज में जो निर्माण कार्य किये गये वह बड़े सराहनीय कार्य हुए और जो पुल और सड़कें बनायी गयीं उनके लिए मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा लेकिन इसके साथ ही साथ मिर्जापुर में और इलाके हैं जैसे लालगंज से हलिया और सतीशगढ़ का ऐसा एरिया है जो दुद्धी से कम बैकवर्ड नहीं है और जिला

धीश और प्लानिंग कमेटी ने इसकी ओर ध्यान आकर्षित भी किया और प्लानिंग कमेटी ने प्रस्ताव द्वारा भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। बारिश के दिनों में यह बिलकुल कट-आफ हो जाता है।

उसके साथ ही साथ गोपीगंज रोड है। हालांकि वह पी० डब्ल्यू० डी० से संबंधित नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से संबंधित है लेकिन इसके पहले माननीय गुप्त जो वहां गये थे और कुछ हजार रुपया उन्होंने दिया था। सरकार की ओर से यह कहा गया कि अगर जनता की ओर से १०,००० रुपये का चन्दा होगा तो हम पूर्णरूप से सहानुभूति प्रकट करेंगे। माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आज इस स्केर्यासिटी के जमाने में जनता से इतना चन्दा वसूल किया जाना मैं उचित नहीं समझता और न जनता चंदा दे ही सकती है। ऐसी भयानक परिस्थिति में जब कि सड़क बहुत ही खराब हो गयी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि वह हो सके तो इसको पी० डब्ल्यू डी० में मिला दें और जिस प्रकार से बनवा सकें बनवाएं। हमारे जिलें में और भी सड़कें हैं जैसे मड़िहान से धोरावाल जाने वाली सड़क। इस सम्बन्ध में शिकायत यह है कि जिले से जो जिलाधीश और प्लानिंग कमेटी द्वारा सुझाव आते हैं यहां डिपार्टमेन्ट वाले उनको चेंज कर देते हैं। तो यह या तो पूछे नहीं और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सुझाव न मांगे और अगर मंगाते हैं तो उन पर कार्य करना चाहिये। इस चीज को तो वहीं पर ठीक से बतलाया जा सकता है कि कौन चीज महत्वपूर्ण है। यहां पर बैठे-बैठे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो प्रार्थना यह है कि जो हमारे जिले से सुझाव मांगे जायं और जिलाधीश या प्लानिंग कमेटी द्वारा भेजे जायं वह कार्यान्वित किये जायं।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ५ मिनट का समय मुझे दिया। मुझे कहने को तो बहुत सी बातें थीं मगर ५ मिनट का समय होने की वजह से और बातों पर प्रकाश न डाल कर मैं सिर्फ अपने पास के ही पर्वतीय प्रदेश की जो तकलीफें वहां पी० डब्ल्यू० डी० विभाग में पायी जा रही हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

मुझे सब से पहले यह कहना है कि पर्वतीय प्रदेश सरकार का बहुत आभारी है कि वहां बहुत गरीबी का इलाका होते हुए जब कि वहां न कोई विकास था और न कोई इंडस्ट्री थी जिससे कि वहां के लोग अपना जीविकोपार्जन कर सकें, सरकार ने यह प्रयास किया है कि उन पर्वतीय प्रदेशों में भी सड़कें बनाई जायं जिससे काफी लोगों को वहां रोजी मिल रही है और सारा इलाका विकसित हो रहा है। टनकपुर से धारचुला गरब्यांग बागेश्वर से असकोट सामाधुरा–मिलम कई सड़कें वहां निर्माण हो रही हैं जिससे यह आशा की जाती है कि भविष्य में पर्वतीय प्रदेश का बहुत ज्यादा विकास हो सकेगा जैसा कि काश्मीर के इलाके का है। मैं उन बातों को न कह कर उन सड़कों की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा जिनका बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। एक सड़क रामेश्वर से गंगोली हाट होकर बेरीनाग सामाधुरा तक बनाने के लिए सरकार ने कई बार ध्यान दिया और कई रूप में वहां की जनता को यह आश्वासन दिला दिया कि यह सड़क बहुत जल्दी बना दी जायगी। इतना ही नहीं सड़कों की जिला प्लानिंग कमेटी से जिले की प्रायोरिटी (प्राथमिकता) पूछी कि किसको टाप प्रायोरिटी दी जाय और उन्होंने यही खयाल किया कि यह सड़क हमारे जिले में एक सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, जो कि सारे जिले के बीचोबीच जाती है। इसलिये रामेश्वर–गंगोलीहाट–बेरीनाग–सामाधुरा सड़क को सब से पहले ले लिया जाय। मुझे दुःख है कि इस बजट में भी उसका जिक्र कहीं नहीं है।

[श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट]

इसी तरह से चौकोड़ी से बेरीनाग तक लूप लाइन का भी आश्वासन दिया गया था लेकिन उसका भी इसमें कहीं जिक्र नहीं है। इसके अलावा कई एक महत्वपूर्ण पुल हैं थल बागेश्वर व जौलजीवी जिनका जल्दी से जल्दी बन जाना नितान्त आवश्यक है।

इसके अलावा कई ऐसे एमाउन्टस हैं जो लैप्स हो चुके हैंउनकी ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। जैसे वेटिरिनरी हास्पिटल चम्पावत, वीमेन्स हास्पिटल पिथौरागढ़, मेन्स हास्पिटल पिथौरागढ़। इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह मुनसियारी में ४ लाख रुपये मन्जूर हुये थे एक बिल्डिंग के लिये। उसका काम भी आरम्भ नहीं किया गया। तो ये जो लैप्स एमाउन्ट्स हैं इनकी बिल्डिंग्स का बनना बहुत आवश्यक है।

ऐसे ही पिथौरागढ़ में जो डिवीजन खोला गया है उसमें उसका खास-खास हिस्सा छूट जाता है। सम्पूर्ण तहसीलें पिथौरागढ़ और चम्पावत इसी डिवीजन के अन्दर आनी चाहियें। श्रमदान द्वारा जो कई सड़कें बनी हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान न होने की वजह से उनकी हालत खराब है जैसे घूनाघाट, भूलाघाट ,पुल हिन्डोला व कन्डाली छीना वाली सड़क हैं। इसी तरह घाट का जो पुल है उसके लिये मंत्री महोदय ने कहा था कि सब पुलों पर पैदल चलने वालों से टैक्स बन्द हो चुका है लेकिन घाट के पुल पर अभीतक टैक्स लिया जा रहा है।

एक दूसरी बात और है कि पी० डब्ल्यू० डी० के रेट्स कैनाल विभाग से कम हैं। मैंने देखा कि जो ठेकेदार इर्रीगेशन में काम करते हैं उनको ज्यादा रेट्स दिये जाते हैं उसी काम के लिये बनिस्बत उनके जो पी० डब्ल्यू० डी० के ठेकेदारों को दिये जाते हैं। लम्पसम तरीके में ठेकेदारों को यह विदित नहीं होता है कि कितने का यह काम है। बाद को जब उनके ठेके मन्जूर हो जाते हैं तो वे मजबूर हो जाते हैं कि किसी न किसी तरह अपने घर की इज्जत को बचायें। वे ठेके इसलिये लेते हैं कि चार पैसे कमा कर अपनी रोटी चलायें, इसलिये नहीं कि उल्टे अपने घर की इज्जत को बेचें। मुझे यह मालूम हुआ है कि बहुत थोड़े रुपयों में वहां का काम दिया जाता है। अभी तक टनकपुर-पिथौरागढ़ में बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अभी तक कोई भी ठेकेदार ऐसा नहीं हुआ जिसने ५,६ हजार रुपया भी कमाया हो। सरकार की लिव ऐंड लेट लिव की पालिसी होनी चाहिये। ठेके ऐसे दिये जाने चाहिये कि उसमें कम से कम कुछ मार्जिनल प्राफिट तो उसको हो अन्यथा एक विशस सर्किल पैदा होता है जिसके कारण करप्शन बढ़ता है।

घूसखोरी के बारे में मुझे यह कहना है कि घूसखोरी अवश्य इस विभाग में है लेकिन जो हमारे ऊपर के लोग हैं जैसे चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह इस प्रदेश का अहो भाग्य है कि ऐसे महानुभाव हमारे प्रान्त में निकले कि कोई भी उनमें से ऐसा नहीं है जिसके विषय में थोड़ी सी भी डिसआनेस्टी का हम खयाल कर सकें। जो करप्शन हो रहा है वह नीचे की श्रेणी में हो रहा है। इनसे जो नीचे के लोग हैं उनमें करप्शन अवश्य है। उसके लिये मेरा खयाल यह है कि उसमें बहुत कुछ हद तक हम लोगों का भी हिस्सा है। वह इस माने में कि अंग्रेजों की हुकूमत में हमारे प्रदेश में सिर्फ ढाई करोड़ रुपये का बजट पी० डब्ल्यू० डी० का हुआ करता था लेकिन अब १५ करोड़ का होता है और जितने भी टेक्निकल हैण्डस हैं वे सब उसी जमाने के हैं। हम चाहते हैं कि काम तो सात आठ गुना बढ़ा दें लेकिन टेक्निकल हैंडस कुछ भी न बढ़ायें। तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकतीं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य इधर नहीं देख रहे हैं तो यह न समझें कि उनका समय बढ़ता चला जा रहा है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट––तो इस करप्शन को यहां से हटाया जाय। मैं माननीय सदस्यों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि पी० डब्ल्यू० डी० के छोटे कर्मचारियों के बीच से ही करप्शन हटाने की जरूरत है। मैं कई अफसरों से मिला हूं। उनका कहना है कि अगर काम इतनी जल्दी न मांगा जाय तो करप्शन बहुत हद तक दूर किया जा सकता है और कर्मचारियों से सख्ती का व्यवहार करके घूसखोरी बन्द हो सकती है परन्तु कार्य की प्रगति कम हो जावेगी।

***राजा वीरेन्द्रशाह** (जिला जालौन)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने समय न होने पर भी मुझको पांच मिनट का समय दिया। जो कटौती का प्रस्ताव हमारे मित्र ने पेश किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। हमारे मित्रों ने इधर से भी और उधर से भी इस पर अपने-अपने विचार रखे, लेकिन मैं केवल इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जब सरकार नये-नये टैक्स द्वारा रुपया लेकर निर्माण-कार्यों में लगाना चाहती है तो उसका यह भी कर्तव्य हो जाता है कि जो रुपया फिजूल खर्च होता है उसको रोकने की चेष्टा करे।

श्रीमन्, १९५४ में इसी धारा सभा के सदस्यों की एक प्राक्कलन समिति ने इस विभाग के सम्बन्ध में अच्छी तरह जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दी थी। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसकी सिफारिशों को नहीं माना गया। जब आपका इतना खर्चा है तो इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? इसकी सिफारिशों पर ध्यान दिया जायगा तभी आप संभाल सकेंगे।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि जो निर्माण-कार्य शहरों में होते हैं, देखने में आया है कि वह जल्दी प्रगति कर जाते हैं लेकिन देहातों के कार्य पिछड़े रहते हैं। कोई न कोई अड़चन डालकर इंजीनियर लोग काम को पूरा नहीं करते। मेरे जिले में एक सड़क श्रमदान द्वारा १८ मील लम्बी बनाई गई और उसके लिये ५० हजार रुपया भी जमा किया गया। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इंजीनियरों ने परवाह नहीं की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी यह सड़क न बन सकी। इसके लिये इतना रुपया भी जमा है फिर भी यह नहीं बन सकी। कोई न कोई अड़चन लगा दी जाती है। कोई कहता है कि गुम्मे का पुल लगाया जाय कोई कहता है रोड़े से लगाया जायगा। इस तरह से जो कार्य हमने किया था वह भी पूरा नहीं हो पा रहा है। मेरा अर्ज करना यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसी तरह से कार्य हो जैसे शहरों में होता है। हमारे लखनऊ में स्टैडियम बन गया है और म्यूजियम की बिल्डिंग बन रही है लेकिन जो कार्य देहातों में होता है उसमें इंजीनियर्स इतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। अगर आपने देहातों का निर्माण नहीं किया, अगर आपने देहात के लोगों को आराम नहीं पहुंचाया या नहीं पहुंचा सके तो दस करोड़ रुपया जो आप खर्च करते हैं वह बेकार जायगा। इसके सम्बन्ध में कहने का मैं इसलिये हक रखता हूं कि मैं देहात से चुनकर आया हूं और देहात के लोग ही सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। इसलिये उनके कार्य सब से पहले होने चाहिये। देहात के कार्यों को सबसे पहले लिया जाय और सब से पहले उनके काम किये जायं।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा काम यों तो पहले से बहुत आसान है और ज्यादा समय की आवश्यकता भी नहीं थी। कटौती के प्रस्ताव को पेश करने के बाद पक्ष में और विपक्ष में हुये भाषणों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना और मुझे हर्ष है कि जवाब देने के लिये मुझे एक भी प्वाइंट नहीं मिला। पक्ष में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव]

बोलने वाले सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है और विपक्ष में बोलने वाले सदस्यों ने केवल एक जुम्ला कहा है कि मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अनुदान का समर्थन करता हूं और उसके उपरान्त उनके भाषण का जितना हिस्सा था, वह जो बुनियादी उसूल मैंने रखा था अपनी कटौती के प्रस्ताव में, माननीय सदस्यों ने उसीका समर्थन किया है। चाहे माननीया कमलकुमारी गोईन्दी का करछना क्षेत्र हो या विष्ट जी का पर्वतीय इलाका या शिवमंगल सिंह जी का बलिया का इलाका हो या पुजारी जी के मथुरा का देहाती क्षेत्र, सभी सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में इस कमी को महसूस किया है और उसे यहां पर कहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से यातायात के साधनों की उन्नति ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। श्रीमन्, इसी बुनियादी उसूल के ऊपर मैंने अपने कटमोशन को आधारित किया था। मैं फिर स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो योजनायें सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बनाई जाती हैं वह दोषपूर्ण हैं। ज्यादातर इस विभाग की दृष्टि देहाती क्षेत्रों के यातायात की उन्नति की ओर होनी चाहिये। श्रीमन्, देहात की ओर ध्यान देने का मेरा मतलब यह है कि देहात में यातायात के साधन बढ़ाने से इस प्रदेश की बहुमुखी प्रगति होगी। तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं आभारी हूं माननीय सदस्यों का जो विपक्ष से भी बोले हैं कि उन्होंने मेरे इस उसूल का समर्थन किया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से।

श्रीमन्, आमतौर से जो भ्रष्टाचार की बात मैंने अपने भाषण में कही थी, माननीय सदस्यों ने पक्ष के और विपक्ष के, उसका एक स्वर से समर्थन किया है। इसके अलावा अपव्यय जो हो रहा है उसका भी समर्थन दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने किया। श्रीमन्, आखिर इसका कोई उपाय निकालना होगा। इस अपव्यय और भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई तरीका निकालना पड़ेगा। मैं अपने माननीय सदस्य के उस जुमले को दोहराना चाहूंगा कि माननीय मंत्रिगण मंत्रियों के चश्मे से हर चीज को न देखें बल्कि इस सदन के आरदणीय सदस्य जिस तरह से देखते हैं उस तरह से देखें हर चीज को और हर काम को। ऐसा करने से उनको असलियत समझ में आ जायगी और सच्चाई का उनको अनुभव होगा। मैं इस बात को मानता हूं कि अपने दिल में वह इस बात को रखते होंगे, लेकिन कह नहीं सकते। वह असमर्थ हैं कि अभी तक वह इस करप्शन को और भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाये, घूसखोरी को नहीं रोक पाये। मेरे पास श्रीमन्, इतने उदाहरण हैं कि जिनको समय की कमी के करण बतला नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष--आप माननीय मंत्री जी को लिख कर भेज दीजियेगा। उन पर कार्यवाही होगी।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--मैं उनको लिख कर भेज दूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जो भ्रष्टाचार और अपव्यय हो रहा है अगर उसको रोका जाय तो जितना कार्य हुआ है निर्माण का उसका चार गुना किया जा सकता है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। श्रीमन्, इस भ्रष्टाचार और अपव्यय के कारण हमें यह कहने में संकोच नहीं है कि यह जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वह पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट हो गया है। यह हम दावे के साथ कह सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारे भाषण बड़े ध्यान से सुने और मैं पूरे सदन का शुक्रगुजार हूं। जहां तक कटमोशन की बात है उसके सिलसिले में और जितने और माननीय सदस्यों ने बातें कहीं वह सब दो तीन हिस्सों में बांटी जा सकती हैं। एक तो स्थान-स्थान से सड़कों की मांग आई। उसके सिलसिले में मुझे सिर्फ

यह कहना है कि आज की जो सरकार है उसका भी यह मंशा है कि गांव-गांव में, घर-घर तक, हर स्थान पर सड़कें पहुंच जायं। और जितने हमारे पास साधन होते हैं उनके अन्दर ही हम काम करते हैं और उसी तरीके से हम सड़कें बनाते हैं। उसमें यह ख्याल रहता है कि समाज का अधिक से अधिक लाभ हो सके। इस बात को मद्देनजर रखते हुये हर जिले के अन्दर प्लान और फेज के मुताबिक सड़कें बटी हुई हैं। जो जिस जिले का नुमाइन्दा है उनकी सलाह से वे सड़कें रखी गयी हैं।

यहां पर यह कहा गया है कि गांव और शहर में अन्तर किया गया है। जो शहर हैं वह भी गांवों के ऊपर निर्भर करते हैं। उनमें गांवों का लाभ भी बंधा रहता है। जो गांव के नुमाइन्दे हैं वह शहर के भी नुमाइन्दे हैं। दोनों का उनमें फायदा होता है। इसलिये शहर और गांव में किसी तरह का भेद नहीं किया जाता। अगर एक सड़क मिर्जापुर को जाती है तो वह गांवों को होकर जाती है और शहर से निकल कर भी जा सकती है। तो उससे दोनों का ही फायदा होता है।

जहां तक करप्शन की बात कही गयी, अभी तक सरकार ने इस बात की काफी कोशिश की है और आगे भी वह हमेशा इस बात की तरफ सजग रहेगी। इसलिये यह कहना कि मंत्रिमंडल अपने चश्मे के नजरिये से देखता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। इस समय जो मन्त्रिमंडल है वह डेमोक्रेटिक इन्सटीटचूशन का नुमायन्दा है। जनता की राय से ही बना हुआ है। वह जनता के ही नजरिये से हर चीज को देखता है। इसलिये यह कहना निर्मूल है कि सरकार ध्यान नहीं देती है। अभी जैसा मेरे एक दोस्त ने कहा बार-बार इन बातों को यहां पर कहने से वह चीज बजाय इसके कि दबे और फैलेगी।

जहां तक सरकार की बात है विभिन्न स्थानों के ८ गजेटेड अफसरों को करप्शन के सिलसिले में सजा दी है, ७ नान-गजेटेड अफसरों पर अदालत में मुकदमा चलाया गया है और १८ दूसरों को सजायें दी गई हैं। सरकार इस ओर बराबर सजग है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों के पूरे सहयोग से हम इसमें कामयाब होंगे। यह नहीं है कि पूरा विभाग भ्रष्टाचार में रंगा हुआ है। सरकार को गर्व है कि हमारे ऊंचे अफसर ईमानदारी से काम करते हैं, यद्यपि नीचे कुछ ब्लैकशीप हो सकते हैं। कहा गया कि लखनऊ और इलाहाबाद की सड़कें चौड़ी की जाती हैं और दूसरी सड़कों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। नेशनल हाईवे देहली से बनारस और मिर्जापुर तक चली गई है और उसे चौड़ा व ठीक केन्द्रीय सरकार अपने पैसे से करती है। लखनऊ में कंधारी बाजार की गली चौड़ी करने की यह बात है कि यह एक बाईपास है जो सड़क पर भीड़ कम करने के लिये चौड़ा किया जा रहा है। जहां तक स्टार-ग्रिड फारमूले का और मुजफ्फरनगर का सम्बन्ध है, मैं मानता हूं कि डेफीसिट है मगर १५० मील सड़कें हम बना चुके हैं और १०० मील और बना कर २५० मील कर देंगे। यदि और धन मिला तो और भी बनावेंगे।

इमारतें पुलिस, शिक्षा और मेडिकल इत्यादि की अलग-अलग विभागों की होती हैं, और उनका धन हमारे बजट में आकर मिला दिया जाता है। पहले वर्ष में पूरा रुपया आ जाता है। लेकिन ४–६ महीने तक तो डिटेल्ड ऐस्टीमेट, साइट और नक्शा ही तय होने में लग जाते हैं, यह नहीं है कि पैसे को एकदम वैसे ही बहा दिया जाता है। काम जब शुरू हो जाता है तो वह फिर सुचारु रूप से चलता है।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा––वाइंट आफ आर्डर। माननीय मंत्री की आपकी ओर पीठ है।

श्री उपाध्यक्ष---पूरी पीठ इधर नहीं है, वह कायदे का पालन कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल---ससपेन्स एकाउन्ट का भी जिक्र किया गया। हर हैंडक्वार्टर पर सामान खरीद कर डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास भेजा दिया जाता है। जो कुछ बचता है उसे ससपेन्स एकाउन्ट के तौर पर दिखा दिया जाता है।

श्री सुरथ बहादुर शाह---उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग यहां के मेम्बर नहीं हैं क्या वे लोग सदन में आ सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष---मंत्री अथवा अन्य लोगों को सहायता देने के लिए कुछ खास व्यक्तियों को पास दिये गये हैं। अगर माननीय सदस्य किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा करेंगे तो उनके पास चैक करा लिये जायेंगे?

श्री गिरधारीलाल---प्राइवेट नेगोसियेशन्स के बारे में भी कहा गया। इस सिलसिले में जितना ध्यान माननीय सदस्यों को है उतना ही सरकार को भी है जिसके हाथ में आज पूरे सूबे की और सूबे के धन की पूरी जिम्मेदारी है और उसका लक्ष्य एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है। एडमिनिस्ट्रेशन को रोक रखना नहीं है। कहीं पर अगर हम देखते हैं कि एक्वीजीशन करने में देर लग रही है और जमीन की बहुत जरूरत है और अगर वह निगोसियेशन से मिल सकती है तो यह सोचा जाता है कि फिर निगोसियेशन से क्यों न ले लिया जाय। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए २-१ मकानात ले लिये गये हैं। जहां तक डिप्टी मिनिस्टर्स के मकानों का सम्बन्ध है, वे डिप्टी मिनिस्टर्स हों, एम० एल० एज० हों जो हमारे प्रान्त के नुमाइन्दे हैं उनके एवरेज स्टेटस को कायम रखना होता है और उसी हैसियत से उनके अथवा सरकारी अधिकारियों के मकानों को बनाया जाता है। इसमें किसी को मेरे ख्याल से कोई खास ऐतराज नहीं होना चाहिये।

लाइफ के सिलसिले में भी बात कही गयी। वैसे तो टू ऐर इज़ ह्यूमन, (To err is human) हमारा बहुत बड़ा सूबा है और उसमें अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं जैसे बिल्डिंग्स, सड़कें, पुल आदि। हर प्रकार के काम में थोड़ी बहुत ग़लती हो ही सकती है फिर भी इस महकमे द्वारा जितने भी काम हुए हैं वे बहुत मजबूत हुए हैं। उनकी लाइफ के सिलसिले में कहा गया कि ५० साल की जिनकी लाइफ होनी चाहिये उनकी लाइफ मुश्किल से २५ साल या १० साल होगी। एक आध ऐक्सेप्शन तो इसमें भले ही हो सकता है लेकिन वैसे जितने मकान बनाये गये हैं वे सब पक्के हैं, मजबूत हैं और उनकी लाइफ लंबी है।

एक माननीय सदस्य ने रोडवेज के किसी बस स्टेशन के बारे में कुछ कहा। वैसे तो कैबिनेट का एक सदस्य और मंत्री होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी आ ही जाती है, लेकिन जहां तक इस विभाग का ताल्लुक है इस प्रकार के रोडवेज के जो छोटे-छोटे स्टेशन्स हैं वे सब हमारे विभाग द्वारा नहीं बनाये जाते बल्कि उन्हीं के विभाग द्वारा बनाये जाते हैं और असेम्बली में क्वेश्चन आवर में जिसका जवाब दिया गया था वह भी उन्हीं के महकमे द्वारा बनाया गया था।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात को रख कर माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने कटमोशन को वापिस ले लें और इस अनुदान को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७---लेखा शीर्षक: ८१ के अन्तर्गत १ रु० की कटौती की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों पर लागत––लेखा शीर्षक: ८१––राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी–लेखा के अन्तर्गत ९,६०,५२,६०० रु० की मांग, वित्तीय वर्ष १९५७–५८ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष द्वारा अपने निवास स्थान की सज्जा के व्यय में कटौती की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष––मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। मैं इस सदन का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने अनुदान संख्या ४७ के अन्तर्गत मेरे निवास स्थान के लिये भी फर्नीचर के लिये ५,००० रु० की स्वीकृति प्रदान की है लेकिन मैं उसमें से ३,००० रु० की कटौती करके केवल २,००० रु० स्वीकार करता हूं। मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं।

(इसके बाद सदन ४ बज कर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मिश्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ ;
१ अगस्त, १९५७

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८ पर)

गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क मिर्जापुर के सीमेन्ट के उत्पादन के आंकड़े

माह		सीमेन्ट
		टन
सितम्बर,	१९५४	७,३७५
अक्तूबर,	१९५४	४,८९२
नवम्बर,	१९५४	९,०८४
दिसम्बर,	१९५४	१२,७४३
जनवरी,	१९५५	१५,०८०
फरवरी,	१९५५	१५,२९२
मार्च,	१९५५	१९,९९३
अप्रैल,	१९५५	११,१०२
मई,	१९५५	११,००८
जून,	१९५५	१९,६४२
जुलाई,	१९५५	७,०३८
अगस्त,	१९५५	१८,३०१
सितम्बर,	१९५५	१३,०१९
अक्तूबर,	१९५५	१६,३४०
नवम्बर,	१९५५	१८,८११
दिसंम्बर,	१९५५	६,५८६
जनवरी,	१९५६	१४,३५२
फरवरी,	१९५६	१९,५१०
मार्च,	१९५६	२२,२४६
अप्रैल,	१९५६	१९,०६३
मई,	१९५६	१५,५२९
जून,	१९५६	१६,९२३
जुलाई,	१९५६	१८,६९८
अगस्त,	१९५६	१७,१०२
सितम्बर,	१९५६	१५,३९८
अक्तूबर,	१९५६	१२,५३८
नवम्बर,	१९५६	१०,९३७
दिसम्बर,	१९५६	१८,९५२
जनवरी,	१९५७	१८,६२९
फरवरी,	१९५७	१५,१२८
मार्च,	१९५७	१७,४५३
अप्रैल,	१९५७	२१,३०२
मई,	१९५७	२२,४३१
जून,	१९५७	१६, ९५८
	योग	५,१९,४५५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर)

प्रश्न संख्या १६ से सम्बन्धित सूची

जिला मिर्जापुर में तहसीलवार बाढ़ सहायता के हेतु दी गई सहायता का विवरण

सहायता का विवरण	नाम तहसील											
	मिर्जापुर			चुनार			राबर्ट्सगंज			दुद्धी		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१--सरकारी मालगुजारी में छूट (खरीफ १३६४ फ०)	१,२७,८३३	०	०	१,६०,०७४	१०	०	८५,११४	३	०	..		
२--सरकारी मालगुजारी जो स्थगित की गई												
(खरीफ १३६४ फ०)	२८,१८६	१	०	..			..			..		
(रबी १३६४ फ०)	२,०७,६७८	०	०	६१,६७३	४	०	१,८१,२८७	०	०	२,६४५	११	६
३--१३६४ फ० के खरीफ व रबी की फसलों में नुकसान होने के कारण रबी १३६३ फ० के बकाया मालगुजारी अब तक स्थगित है ..	२,५८,८६१	८	६	१,८६,१५१	१४	०	..			..		
४--१३६४ फ० में रबी की फसल में नुकसान होने के कारण बकाया मालगुजारी ३१-३-५७ से स्थगित की गई	१,०३,५७३	१४	३	१,८०,६६८	८	६	३७,०७०	७	२	..		
५--तकाबी जो वितरित की गई--												
(क) विपत्तिकालीन	..			३५,०००	०	०	५,०००	०	०	..		
(ख) ऐक्ट १२ के अधीन ..	१,२६,०००	०	०	१,२१,०००	०	०	१७,०००	०	०	..		
६--अहेतुक सहायता (जीवन हेतु आवश्यक वस्तुओं के रूप में व नकद सहायता) ..	१४,०००	०	०	३०,०००	०	०	३,५००	०	०	..		
७--काश्तकारों के गृह निर्माण हेतु सहायता (अनुदान)	१०,०००	०	०	१४,५००	०	०	३,०००	०	०	..		
८--कर्जे : मकान निर्माण हेतु--												
(१) अन्य व्यक्तियों को	१,१००	०	०	..			..			..		
(२) किसानों को	१२,०००	०	०	५,०००	०	०	..			..		

९--उपरोक्त दिखाई गई सहायता के अतिरिक्त निम्नलिखित सहायता जिले भर में दी गई--

(१) छात्रों की फीस माफी से हुई हानि की पूर्ति के लिये ५५,००० रु०

(२) कपड़े, कम्बल तथा अन्य सहायता हेतु बांटी गई वस्तुओं की तहसीलवार सूची कार्यालय में देखी जा सकती है।

नोट :--क्रमांक ८ में दी गई तकावी के अतिरिक्त ६०,००० रु० बीज के लिये तथा १,००० मकान निर्माण हेतु और वितरित किया जा रहा है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२ पर)

सूची

सहायता	तहसील गाजीपुर	तहसील जमानिया	तहसील सैदपुर	तहसील मुहम्मदाबाद	योग
तकावी ऐक्ट १२	२८,३७५	२८,३७५	२८,३७५	२८,३७५	११,३५,०००
अन्य प्रकार के कर्ज जो मकान बनाने हेतु दिये गये	१०,०००	१०,०००	१०,०००	९,७५०	३९,७५०
मकान बनाने के हेतु अनुदान	२५,०००	३०,०००	३०,०००	३५,०००	१,२०,०००

विवरण कपड़ा — **मुफ्त कपड़े का वितरण**

मोफलर ..	१	..	..	..	१
बैग ..	१	..	..	..	१
पैताबा ..	५	..	..	..	५
तकिया खोल	२	..	..	..	२
कमीज ..	९७	६३	८१	८२	३२३
पैजामा ..	३७	२३	२३	२४	१०७
कोट ..	२२८	१३८	१४०	१३९	६४५
पतलून ..	३७७	२२६	२२७	२२७	१,०५७
कम्बल ..	२७३	२४९	३२१	३२०	१,१६३
जरसी ..	२४२	२४३	२४२	२४२	६६९
टोपी ..	९	२	२	..	१३
बनियाइन ..	२२	२	१	२	२७
अन्डरवियर ..	६	७	८	६	२७
हाफपैन्ट ..	१३१	१५	२४	२४	१९४
बिलाउज ..	१८५	९५	१०६	१०४	५९०
कुशसर्ट ..	९७	४	६	६	११३
चादर ..	२५	२३	४३	४३	१३४
पेटिकोट ..	३४	१२	१३	१२	७१
लिहाफ ..	२	३	३	३	११
परदा ..	१	२	१	१	५
धोती ..	१०	१०	२०	२०	६०
साड़ी ..	३६	११	४०४	२१९	६७०
फराक ..	२१२	..	..	..	२१२
कुरता ..	४	४	३	३	१४
बन्डी ..	१	२	१	२	६
सुईटर ..	१	..	१	१	३
ओढ़नी ..	१	१	..	१	३
सलवार ..	५	१	..	१	७

विवरण कपड़ा	तहसील गाजीपुर	तहसील जमानियां	तहसील सैदपुर	तहसील मुहम्मदाबाद	योग
दरी ..	३२८	२४०	२१०	२१८	९९६
विभिन्न प्रकार के कपड़े गजों में	१,८८९ गज	१,८८८ गज	१,९२६ गज	१,९२८ गज २७ इञ्च	७,६३१ गज, ९ इञ्च
परदा थान ..	..	..	१६ गज	..	१६ गज
टबुल क्लाथ ..	८	८	८	८	३२

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १४ पर)

सूची

जिला फर्रुखाबाद में मार्च तथा अप्रैल माह, १९५७ में अग्निकांडों के कारण हुई क्षति तथा सरकार द्वारा दी हुई सहायता का विवरण

क्रम-संख्या	आग लगने की तिथि	ग्राम का नाम	अनुमानतः हानि (रु० में)	अहेतुक सहायता	तकावी
१	२	३	४	५	६
		तहसील फर्रुखाबाद			
१	५-३-५७	गादनपुर टुर्रा ..	१,१००	..	..
२	७-३-५७	बरही मजरा बनकटी	४००		
३	३०-३-५७	जारारी ..	३९५	..	..
४	४-४-५७	चपरा ..	६२	..	..
५	११-४-५७	कचहोहा गरहा ..	९४५	..	..
६	११-४-५७	कैरी नगला हेम रंगाई	२,८७०	..	..
७	१२-४-५७	मासोनी ..	३५०	..	..
८	१४-४-५७	सीरोली ..	७०	..	..
९	१४-४-५७	दौलतपुर ..	३२०	..	..
१०	१७-४-५७	कटरी मानपुर ..	५००	..	..
११	१८-४-५७	शेखपुर रुस्तमपुर ..	२,५६०	..	..
१२	१८-४-५७	नगरिया जवाहर ..	६२	..	..
१३	१८-४-५७	कटरी भखरामऊ ..	८००	..	..
१४	१९-४-५७	पखना ..	४००	..	..
१५	१९-४-५७	फर्रुखाबाद सिटी ..	१५०	..	..
१६	२०-४-५७	राजेपुर सरई मेदा ..	४९६	६०	..
१७	२१-४-५७	लेनगांव खाना ..	१७,७६०	..	२८०
१८	२१-४-५७	फर्रुखाबाद सिटी ..	२५	..	..
१९	२५-४-५७	मोहनपुर दीनरपुर ..	६६५	..	..
२०	२६-४-५७	सरफाबाद ..	५०	..	..
२१	२६-४-५७	झांसी हुसेनपुर नुकहंडाका	१२०	..	..
२२	२९-४-५७	कुन्डरी खारा पुरवा	२६२	..	..
२३	२९-४-५७	राजेपुर साराई मेदा	६५१	..	..
२४	२९-४-५७	हमीरपुर ..	८८	..	..
		योग, फर्रुखाबाद तहसील ..	३१,१०१	६०	२८०
		तहसील कायमगंज			
१	३-३-५७	शरीफपुर छिछेनी ..	२३०	..	..
२	६-३-५७	पुनथर डिहा माफी ..	१,४१०	..	१३०
३	४-४-५७	नगला समाधन मजरा खिनमिनी ..	१३५	..	..

क्रम-संख्या	आग लगने की तिथि	ग्राम का नाम	अनुमानतः हानि (रु० में)	अहेतुक सहायता	तकाबी
१	२	३	४	५	६
४	१०–४–५७	काम्मर उद्दीन नागर	४७५	..	..
५	१२–४–५७	अमसाईया असानन्द	२००	..	..
६	१६–४–५७	धारा शादी नगर ..	२१०	..	..
७	१६–४–५७	नगला भखूसा पुरवा कुनखेरा एम० आलम खान. .	१,७३६	४०	१३०
८	२२–४–५७	बीटा बल्लू ..	७४	..	..
९	२४–४–५७	रशीदपुर ताराई ..	७०	..	..
		योग, कायमगंज तहसील ..	४,५४०	४०	२६०

तहसील कन्नौज

१	८–३–५७	अल्लहापुर पुरवा गुनहा	८३२	..	..
२	१२–३–५७	रामपुर मन्झला ..	११७	..	..
३	१८–३–५७	अल्लहापुर पुरवा गुनहा	८,२०८	..	..
४	२५–३–५७	वैसालीरी ..	६७६	..	..
५	२६–३–५७	जीनोली पुरवा भूसी	१,१६९	..	..
६	३–४–५७	रितउकला ..	४४२	..	..
७	१०–४–५७	खुदलापुर ..	१,०२५	..	..
८	११–४–५७	खेरापुरवा गांव इब्राहीम-पुर बनजर ..	१,२४७	..	..
९	१२–४–५७	कन्नौज कच्छचोहा ..	४८,९३७	८१५	..
१०	१४–४–५७	खुदागंजापुर पुरवा रामपुर मनझाला ..	३००	..	..
११	१७–४–५७	कन्नौज ..	१,०२८	..	..
१२	१७–४–५७	फतेहपुर ..	४,३९०	..	..
१३	२२–४–५७	उमर्रदहा ..	३००	..	..
१४	२२–४–५७	जगदीशपुर ..	४००	..	..
१५	२२–४–५७	जहानपुर ..	१२,६३५	३८०	..
१६	२२–४–५७	भासुया ..	२२,२७०	६५०	..
१७	२७–४–५७	कारानपुर ..	२००	..	..
१८	२७–४–५७	पुरवा भगतपुरवा गांव पट्टी का ..	५४५	..	..
१९	२९–४–५७	गादनपुर नरहा ..	७,६१०	..	१०५
२०	२९–४–५७	सैइदपुर सकरी ..	२,६८,९०४	६८७	..
		योग, कन्नौज तहसील ..	३,८१,२३५	२,५३२	१०५

क्रम-संख्या	आग लगने की तिथि	ग्राम का नाम	अनुमानतः हानि (रु० में)	अहेतुक सहायता	तकाबी
१	२	३	४	५	६
		तहसील छिबरामऊ			
१	६–३–५७	महमूदपुर ..	३२५	..	..
२	१२–३–५७	जसुआमई ..	२२०	..	..
३	१६–३–५७	असालतोवाद ..	२००	..	..
४	२१–३–५७	खानपुर ..	२,६१०	८५	..
५	२२–३–५७	मावाई ..	१५	..	..
६	१६–४–५७	छिबरामऊ ..	५६०	..	..
७	१७–४–५७	सुरीख ..	४५३	४०	..
८	२१–४–५७	जुसुवामई ..	८००	..	..
९	२१–४–५७	बहुसिया ..	१६०	..	..
१०	२५–४–५७	खुसका ..	२५	..	..
		योग, छिबरामऊ तहसील ..	५,३९८	१२५	..
		कुल योग ..	४,२२,२७४	२,७५७	६४५

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

गत मई तथा जून माह में आग लगने के कारण क्षतिग्रस्त किसानों की सूची तथा उनको दी हुई सहायता का विवरण

क्रम-संख्या	नाम तथा पूरा पता	दी हुई सहायता की धनराशि	दी जाने वाली सहायता की धनराशि
१	श्री शिवपूजन राय, ग्राम भरौली तहसील बलिया ..	१००	..
२	श्री रामसकल राय, ग्राम गोविन्दपुर, तहसील बलिया	१००	..
३	श्री जगदीश राय	१००	..
४	श्री देव सरन राय	१००	..
५	श्री राम सिंगासन	१००	..
६	श्री गंगा राय	१००	..
७	श्री नार सिंह	५०	..
८	श्री अचय लाल	५०	..
९	मु० रामरती	४०	..
१०	श्री रामधन	२५	..
११	श्री लछ्छू मन	४०	..
१२	श्री राम बिरिछ	५०	..
१३	राधा	४०	..
१४	श्री साम रथी	५०	..
१५	श्री शिवशंकर	४०	..
१६	श्री देवनाथ, ग्राम भरौली	४०	..
१७	श्री निथाली, ग्राम गोविन्दपुर	४०	..
१८	श्री काशी, ग्राम भरौली	५०	..
१९	श्री विश्वनाथ, ग्राम गोविन्दपुर ..	५०	..
२०	मु० केसरी	५०	..
२१	श्री अनूप	२५	..
२२	राजमुनी, ग्राम फेफना	..	२५
२३	श्री बालीराम	..	२०
२४	श्री मुनेश्वर	..	१०
२५	बुधिया	..	२०
२६	श्री सत्यनारायन	..	२०
२७	श्री महेश्वर	..	५०
२८	श्री श्यामविहारी, ग्राम बहौरा	..	२०
२९	श्री जगलाल	..	२०
३०	श्री बनवारी	..	२०
३१	श्री राजपती, ग्राम भागमल रसड़ा	..	१५०
	योग	१,२४०	३५५

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

१९५६ में जालौन जिले में प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा किये गये कार्यों का विवरण

कितने कर्मचारी भर्ती किये गये

१—हल्का सरदार	६९
२—ग्रुप लीडर	३७२
३—रक्षक	२,३०३

प्रशिक्षण (संस्था)

४—बिना अस्त्रों के सैनिक शिक्षा	५६८
५—अस्त्रों सहित सैनिक शिक्षा	३२९
६—शारीरिक विज्ञान प्रशिक्षण	२७५
७—अन्य प्रशिक्षण (तैरना आदि)	१३४

स्वास्थ्य वर्द्धक कार्य

८—कितने दंगलों का आयोजन किया गया	७१
९—भाग लेने वाले पहलवानों की अनुमानित संख्या	३,४२५
१०—कितनी प्रतियोगितायें आयोजित की गईं	४७
११—भाग लेने वालों की अनुमानित संख्या	६,७९८
१२—स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रदर्शनों की संख्या	७
१३—भाग लेने वालों की संख्या	१०७
१४—आयोजित व्यायामशालाओं की संख्या तथा अखाड़ों की संख्या	१००

कार्यशील शिविर आयोजन

१५—विकास कैम्प की संख्या	२०
१६—भाग लेने वालों की संख्या	६५७
१७—वन महोत्सव कैम्प आयोजन की संख्या	३
१८—ग्रीष्म कालीन कैम्प तथा उनकी संख्या	१

सामाजिक तथा अन्य सेवायें

१९—मेले में कार्य करने वाले स्वयंसेवकों की संख्या	३४७
२०—अन्य ड्यूटी	२३४
२१—खोये हुये बच्चों की संख्या जो तलाश किये गये	४५

प्रशंसनीय कार्य

२२—प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा पकड़े गये डाकुओं व दुश्चरित्रों की संख्या ..	३

विकास कार्य

२३—सड़क निर्माण	.. .. ..	४३ मील	३ फर्लांग
२४—सड़क सुधार	.. .. ..	१३६ मील	६ फ०
२५—बांध व बंधी निर्माण	.. ..	१९	
२६—सिंचाई की नहरों व गूलों का निर्माण	..	१७ मील	..
२७—सिंचाई की नहरों व गूलों का सुधार	..	२ मील	४ फर्लांग
२८—नालों व नालियों का निर्माण	.. ..	..	६ फ०
२९—तालाब गहरे व साफ किये गये	..	..	५४
३०—पुल व पुलियों का निर्माण	.. ..	..	७
३१—पुल व पुलियों का सुधार	.. ..	..	१
३२—कुओं का निर्माण	.. ..	..	५
३३—पेड़ लगाने हेतु गड्ढे खोदे गये	..	..	१०६
३४—पेड़ लगाये गये	.. ..	..	१,८६०

सत्यमेव जयते

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

तहसील ललितपुर तथा महरोनी के ओला से क्षतिग्रस्त ग्रामों की सूची

ललितपुर		महरोनी	
क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम- संख्या	ग्राम का नाम
१	चिरा कोदर	१	पटना मडोरा
२	मैखुवां	२	गुरयाना
३	जमुनिया	३	चंदोरा
४	सगोरिया	४	सिरौना
५	बिर्धा	५	सुनरई
६	पथरी	६	जलन्धर
७	निबनवा	७	गौरा कलां
८	रीचपुरा	८	रनगांव
९	बचलापुर	९	धवा
१०	देवगढ़	१०	छप्परा
११	पटावा	११	लहर
१२	करमारो	१२	बमौरी कलां
१३	सटोरा	१३	मुडौरा
१४	कोकटा	१४	जमुनिया कलां
		१५	सिंगरवारा
		१६	परौल
		१७	पिपरट
		१८	पहाड़ी कलां
		१९	परसता
		२०	कबराता

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति, जालौन द्वारा १९५५-५६ में की गई विभिन्न कार्यवाहियों का विवरण

शासकी आदेश संख्या २९८२/२५ सी० एक्स--दिनांक १६ जुलाई, १९५५ में दिये गये निर्देशों के अनुसार एन्टी करप्शन कमेटी, जालौन, की बैठक दिनांक २९-७-१९५५ को बुलाई गयी थी। जिसमें श्री लल्लूराम द्विवेदी, एम० एल० सी०, उक्त कमेटी के चेयरमैन निर्वाचित किये गये थे और १५ व्यक्तियों के नाम का एक पैनल शासन को भेज दिया गया था। शासन ने अपने आदेश संख्या ए-४९७५/२५ सी० एक्स० दिनांक ३-११-१९५५ द्वारा कमेटी के लिये उनमें से ५ व्यक्तियों का चुनाव किया।

इस प्रकार कमेटी का पूरा निर्माण हो जाने के पश्चात् उसकी पहली बैठक दिनांक ६-२-१९५६ को की गयी थी जिसमें कि मंत्री द्वारा कमेटी के सदस्यों को उसके उद्देश्य समझाये गये।

इस विषय में एक पैम्पलेट छपवाकर उसका प्रकाशन कराया गया, तथा उसके द्वारा जनता को कमेटी के सदस्यों के विषय में सूचित किया गया और ढंग बतलाया गया कि किस प्रकार वह भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक कुरीत को दूर कर सकते हैं। जनता से अपील की गई कि कठिनाई एवं आवश्यकता पड़ने पर वह इस विषय में कमेटी के सदस्यों के पास पहुंचा करें। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के निवारण के लिये आवश्यक स्लाइट बनवाकर स्थानीय सिनेमा में प्रदर्शित की गयी।

सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण विभागों में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये भी कमेटी ने निश्चय किया तथा इन विभागों से अपील की कि वह अपने ठेके सहकारी संस्थाओं को दें। विभिन्न इजलासों में हुए तथा कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कमेटी ने यह निश्चय किया है कि वहां पर वही ढंग अपनाया जावे जैसा कि दिवानी अदालतों में प्रचलित है जिसके द्वारा पक्षों को लिखित बयान तथा प्रार्थना-पत्रों की दो प्रतियां दाखिल करनी पड़ती हैं।

कलेक्टरेट के नक़ल विभाग में फैले हुए तथा कथित भ्रष्टाचार पर भी कमेटी ने प्रकाश डाला तथा यह निश्चित किया कि नकल विभाग के कार्याधिकारी का ध्यान आकर्षित करके यह अपील की जावे कि जरूरी दरख्वास्तों की नकल उसी दिन व मामूली दरख्वास्तों की नकल एक सप्ताह के अन्दर दे दी जावे।

कमेटी ने आगे यह निश्चित किया कि पत्रावलियों के साथ फैसले की अतिरिक्त प्रतियां सम्मिलित करने के विषय में जो कि सीधे इजलास द्वारा ही दी जा सकें, शासन के आदेश प्राप्त कर लिये जावें। कमेटी ने यह भी निश्चय किया कि इजलासों के लिये निम्नांकित समय का निर्धारण कर दिया जावे--

(१) फैसले ११ बजे सुनाये जावें।

(२) जमानत (बेल) का प्रार्थना-पत्र ११-१५ बजे लिया जावे।

(३) पब्लिक प्रासीक्यूटर प्रार्थना-पत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ २ बजे प्रस्तुत करें।

(४) जमानत (बेल) का आदेश जेल में ३–३० बजे तक पहुंच जावे।

इसके अतिरिक्त एस० पी० महोदय से प्रार्थना की जावे कि वह ऐसे मामलों की जांच करें जिसमें कि पुलिस उन मामलों में जमानत (बेल) नहीं लेती जिनमें कि वह ले सकती है।

कमेटी की दूसरी बैठक दिनांक ३–३–१९५६ को हुई जिसमें कि यह निश्चय किया गया कि जिले में होन वाले सरावन के मेले में दिनांक १८–३–५६ को भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन किया जावे जिसमें कि यह सामाजिक कुरीति तथा उसको दूर करने के उपायों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जावे।

———

सत्यमेव जयते

नत्थी झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड जेवर, बुलन्दशहर में सन् १९५६–५७ में प्रगति

क्रम-संख्या	कार्य जो सम्पन्न हुये				१९५६–५७ की पूर्ति
१	गन्ना जो टा गया (मन)	..	..	..	१,६६९
२	रासायनिक खाद जो टी (मन)	..	..	..	१,१५५
३	यंत्र जो बांटे गये ..	..	..	..	४७
४	प्रदर्शन जो किये गये	..	..	..	२४३
५	सब्जी के लिये बढ़ाया गया क्षेत्रफल (एकड़)		..	..	१२९
६	सांड वितरित किये गये	..	..	..	५
७	सांड बधिया किये गये ..	..	..	..	६
८	पशुओं के टीका लगाया गया	..	..	..	२,५८७
९	पशुओं की चिकित्सा ..	..	..	..	५९१
१०	पक्षी वितरित किये गये	..	..	..	२
११	पशु-प्रदर्शनी तथा मेले .	..	..	..	२
१२	नई सहकारी समितियां बनाई गईं	..	..	..	४
१३	नये मेम्बर बनाये गये	..	..	..	२०८
१४	हिस्सा जो उगाहा गया (रु०)	..	..	..	१,८६२
१५	कर्जा वितरित किया गया (रु०)	..	..	..	११,८००
१६	कर्जा वसूल किया गया (रु०)	..	..	..	६७८
१७	पानी पीने के नये कुयें बनाये गये	..	..	..	२
१८	कुओं का सुधार किया गया	..	..	..	१८
१९	हैन्ड पम्प जो लगाये गये	..	..	..	९
२०	नालियां पक्की की गईं (गजों में)	..	..	..	१,०९६
२१	गलियां पक्की की गईं (गजों में)	..	..	..	५४९
२२	पानी सोखने के गड्ढे बनाये गये	..	..	..	२९
२३	सामूहिक मनोरंजन जो हुये	..	..	..	७०
२४	दंगल अथवा खेल ..	..	..	..	१
२५	कच्ची सड़क बनी (मीलों में)	..	..	३७ मील ५ फ०	
२६	कच्ची सड़क का सुधार हुआ	..	..	..	४ मील ४ फ०
	जनता का अनुदान				
	श्रम० (रु०)	..	..	..	५२९
	नकद व अन्य	..	..	..	७५०
			योग	..	१,२७९

पी० एस० यू० पी० ए० पी८—९० एल० ए०—१९५७–७९६ ।